Tuesday, 25 February, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
28-8-9
Parliament Library

खंड 48 म अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

7 LSS/75—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 25 फरवरी, 1975/6 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 7, Tuesday February 25, 1975/Phalguna 6, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
103 कलकत्ता की महानगरीय परिवहन परियोजना के लिये राशि का दिया जाना	Release of Funds to Metropolitan Transport Project of Calcutta . .	1
104 आई० डी० पी० एल० द्वारा डाक्सीसाइक्लीन के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal for Manufacture of Doxycycline by I.D.P.L. . .	4
107 उद्योग तथा कृषि के लिये अशोधित तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कार्यवाही	Steps to meet requirements for Crude Oil for Industry and Agriculture . .	5
108 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को अनुदेश	Directions to State Governments for Providing Legal Aid to Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	8
109 एस्सो के अधिग्रहण के पश्चात् विदेशी मुद्रा में बचत	Saving in Foregin Exchage after take over of ESSO	11
110 चुनावों में काले धन और विदेशी प्रभाव की भूमिका	Part played by black money and foreign influence in Elections . . .	12
111 आसाम के तेल क्षेत्रों में अशोधित तेल का उत्पादन	Production of Crude Oil from Asam Oil Fields	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
10[illegible] रेलवे को कोयले की सप्लाई की स्थिति में सुधार	Improvement in Coal Supply to Railways	16
102 अशोधित तेल के लिये सऊदी अरब के साथ करार	Contract with Saudi Arabia for Crude Oil	17
105 राज्यों के लिये मिट्टी के तेल का कोटा	Kerosine Oil Quota for States . .	17

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
106	औषध उद्योग सम्बन्धी हाथी संसमिति की सिफारिशें	Recommending of Hathi Committee on Drug Industry	17
112	अतिरिक्त 60 लाख मीटरी टन अशोधित तेल का आयात	Import of six million tonnes of additional crude	18
113	1971 के लोक सभा के लिये चुनाव में खर्च किया गया काला धन	Amount of black money spent in 1971 Lok Sabha Elections . . .	18
114	स्वदेशी क्षेत्र में औषधियों के उत्पादन की योजना	Plan for production of drugs in Indigenous Sector	18
115	कर्नाटक राज्य से लगे अरब सागर में पैट्रोलियम का सर्वेक्षण	Survey for Petroleum in Arabian Sea touching Karnataka State . .	19
116	निर्वाचन आयोग के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints about the functioning of Election Commission . . .	20
117	दूसरा सागर सम्राट	Second Sagar samrat . .	20
118	कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र	Coal-based fertilizer plant at Korba .	20
119	बंगाल की खाड़ी और कच्छ बेसिन में तेल की खोज के लिये भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seisnic survey for Oil exploration in Bay of Bengal and Kutch Basin . .	21
120	आयल इंडिया का उत्तरपूर्व भारत में 80 कुएं खोदने का प्रस्ताव	Proposal of Oil India to drill 80 wells in North East India . . .	21

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. No.

1001	रेलवे में श्रम सम्बन्ध	Labour Relations in Railways .	21
1002	विदेशी औषधि फर्मों द्वारा "ब्रांड" नाम से औषधियों का उत्पादन	Branded Drugs produced by Foreign Drug Firms	22
1003	कूप छिद्रण पर व्यय	Expenditure on Drilling Wells	22
1004	चौथी योजना के दौरान विदेशी फर्मों को जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued to Foreign Firms during Fourth Plan	23
1005	उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों को स्थाई बनाना	Confirmation of Stenographers on Northern Railway	23
1006	कुछ मांगों के सम्बन्ध में आल इंडिया रेलवे एकाउन्टस एम्पलाईज एसोसियेशन की ओर से अभ्यावेदन	Representation from All India Railway Accounts Employees Association regarding certain demands .	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1007	रेलवे की चोरियों में रेल कर्मचारियों का हाथ होना	Railway Employees involved in Thefts on Railways	25
1008	मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों की मरम्मत तथा विकास के लिये धन की व्यवस्था	Funds Provided for the Repairs and Expansion of Stations in Madhya Pradesh	26
1009	रेल वैगनों के लिये एक रूप मूल्य ढांचा	Equitable price Structure for Wagons .	26
1010	भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत नये उर्वरक एकक स्थापित किया जाना	New Fertilizer Units set up under F.C.I.	27
1011	रेल किराये में वृद्धि के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss incurred due to increase in fares .	27
1012	कोंकण रेलवे पर हो रहे काम में प्रगति	Progress of work done on Konkan Railway	28
1013	भूकम्प से उखड़ी रेल लाइनें	Railway Tracks displaced by Earthquake	29
1014	मिरज और लाटूर के बीच चलने वाली गाड़ियों में दो टायर वाले शयन-यान जोड़ने की मांग	Demand for providing two-Tier Sleeper Coaches in Trains running between Miraj and Latur	29
1015	25 नवम्बर, 1973 को बक्सर और आरा स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान का समय	Arrival and Departure timings of Passenger Trains at Buxer and Arrah on 25-11-73	29
1016	पांशकुड़ा-हल्दिया 'लिंक' में बनाये गये स्टेशन	Stations Built in Panskura-Haldia Link	30
1017	'एल्कोहल' का उत्पादन	Production of Alcohol . . .	30
1018	गैर-सरकारी कम्पनियों और व्यापार गृहों के लाभ	Profits of Private Companies and Business Houses	31
1019	वैगन निर्माताओं को क्रयादेश देने में विलम्ब	Delay in Placing orders for Wagons with the Manufacturers	31
1020	दवाइयों की बिक्री के लिये शिक्षित बेरोजगारों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Educated unemployed to sell Drugs . . .	32
1021	वर्ष 1973-74 के दौरान तेल का उत्पादन	Oil produced during 1973-74	32

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1022	बम्बई बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम के अधीन 16 भूखण्डों का पट्टे पर दिया जाना	Leasing out of 16 Plots under the Bombay Backbay Reclamation Scheme .	33
1023	काश्मीर घाटी में तेल और गैस के लिये खोज	Exploration for Oil and Gas in Kashmir Valley	33
1024	गत तीन मास में गाड़ियों की दुर्घटनायें	Railway Accidents during the last three months	34
1025	कोयले की ढुलाई हेतु मुगलसराय से परे के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की सप्लाई	Adequate Wagon Supply for Coal beyond Mughal Sarai . . .	35
1026	औषधि उद्योग सम्बन्धी सम्मेलन	Convention on Drug Industry . .	35
1027	कर्नाटक राज्य में बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने सम्बन्धी परियोजनायें	Projects for Conversion to Broad Gauge Line in Karnataka State . . .	37
1028	भारत में तेल की खोज करने में सहायता देने सम्बन्धी ब्रिटिश प्रस्ताव	British Offer of Assistance for Oil Exploration in India . . .	37
1029	तेल के मूल्य के बारे में समझौता	Agreement on Oil Price .	37
1030	विदेशी औषध फर्मों द्वारा उत्पन्न की गई औषधियों की कमी	Shortage of Drugs created by Foreign Drug Firms	38
1031	पैट्रोल की खपत, उत्पादन और आयात	Consumption, Production and Import of Petrol	38
1033	भारत से लिये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य	Prices of Crude Oil charged from India	39
1034	तेल की सप्लाई के लिये सयुक्त अरब अमीरात के साथ करार	Agreement with U.A.E. for supply of Oil	39
1035	गैस सिलेंडरों की टूटी हुई सीलों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Broken Seals of Gas Cylinders	39
1036	उर्वरक संयंत्रों के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress on Construction of Fertilizer Plants	40
1037	तेल की खोज के लिये ब्रिटेन द्वारा नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने की पेशकश	Technology for Oil Exploration offered by U.K.	40
1038	वर्मा शैल और काल्टैक्स को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में बातचीत	Negotiations for Take-over of Burmah Shell and Caltex	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1040	वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान कम्पनियों की निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं पर की गई कार्यवाही	Action taken on the Restrictive Trade Practices of Companies during 1972 and 1973	41
1041	रेलवे द्वारा हड़ताल के कारण हुए घाटे का पूरा किया जाना	Recovery of losses incurred by Railways due to Strike	42
1042	बंगलौर-गुंटकल लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना	Conversion of Bangalore—Guntakal Line into Broad Gauge Line . .	42
1043	तेल मूल्यों के बारे में सऊदी अरब के तेल मंत्री के साथ हुई बातचीत	Discussions held with Saudi Arabia Oil Minister on Oil Prices . . .	43
1044	पैट्रोलियम और रसायन की जमाखोरी, मिलावट और चोर-बाजारी के मामले	Hoarding, Adulteration and Black-marketing of Petroleum and Chemicals .	43
1045	अपर इंडिया एक्सप्रैस में पड़ी डकैती	Dacoity in Upper India Express .	44
1046	फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लिमिटेड आफ ट्रावनकोर के कोचीन डिवीज़न में यांत्रिक खराबी	Mechanical Defects in Cochin Division of F.A.C.T.	44
1047	नये रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण	Electrification of New Railway Routes.	45
1048	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये भूमि अधिग्रहण	Acquisition of Land for underground Railway in Calcutta . . .	45
1049	विदेशी तेल कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लेकर विदेशी मुद्रा की बचत	Saving in Foreign Exchange by taking over of Foreign Oil Companies . .	46
1050	अशोधित तेल के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Import of Crude Oil	46
1051	विद्युत कर्षण (इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन) के लिये निर्धारित लक्ष्य	Target set for Electic Traction	46
1052	जीवन दायिनी औषधियों के निर्माण के लिये विदेशी कम्पनियों को स्वीकृति देना	Permitting Foreign Companies to Manufacture Life-Saving Drugs . .	47
1053	अम्बाला–दिल्ली रेलगाड़ी में डकैती	Dacoity on Ambala—Delhi Train	48

ता० प्रा० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1054	बम्बई के तटदूर तेल क्षेत्र को पाकिस्तान से खतरे का समाचार	Reported Pakistan's threat to Bombay Off-shore Oil Field . . .	48
1055	चुनावों में काले धन के उपयोग तथा विदेशी प्रभाव को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to Check the use of Black Money and Foreign Influence in Elections .	49
1056	गुरूवाय्यूर होते हुये त्रिचूर और कुट्टीपरम के बीच प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण	Survey for Railway Line between Trichur and Kuttipuram via Guruvayoor	49
1057	भारत में विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies in India . .	49
1058	इन्टेग्रल कोच फैक्टरी तथा गोल्डन राक वर्कशाप में उत्पादन घटाने का प्रस्ताव	Proposal to reduce Productivity in I.C.F. and Golden Rock Workshop . .	50
1059	अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Petroleum Products due to Rise in Cost of Crude .	51
1061	उड़ीसा को मिट्टी के तेल का नियतन	Allocation of Kerosene to Orissa.	51
1063	विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Different Petroleum Products	52
1064	मई 1974 की आम हड़ताल के बाद से रेलवे की कार्यचालन दक्षता	Operational Efficiency of Railways noticed since May, 1974 General Strike	52
1065	बंगला देश होकर खोवाई टाउन पहाड़मुरा के लिये रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण	Survery for Rail Line to Khowai Town Paharmura via Bangladesh . .	53
1066	तेल निर्यातकर्ता देशों से वार्ता में भारत का भाग लेना	India's participation in Discussions with Oil Exporting countries	54
1067	श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के बाद रेलवे कर्मचारियों द्वारा पटाखे चलाये जाने सम्बन्धी मामले की जांच	Enquiry into Bursting of Crackers by Railway Employees after the death of Shri L. N. Mishra . . .	54
1068	29 जनवरी, 1975 को उल्टाडांगा में हुई रेल दुर्घटना के कारण सम्पत्ति की हानि	Loss of Property due to Train Accident at Ultadanga on 29-1-1975 . .	54
1069	राजगिर और गया के बीच रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Railway Line between Rajgir and Gaya	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1070	दो करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन करने सम्बन्धी शर्त का भारतीय फर्मों पर प्रभाव	Impeat of the condition of Rupees two Crore annual turnover on Indian Firms	55
1071	सोवियत संघ की सहायता से तेल का उत्पादन	Production of Oil with Soviet Assistance	56
1072	मैसर्स रेप्टोकोस ब्रैट एंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री एस० एम० रुइया की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र	Application for appointment of Mr. S. M. Ruia as Managing Director of Messrs Raptakos Brett & Co. Ltd., Bombay	56
1073	झंझार पुर-लौकाहा बाजार रेल लाइन का निर्माण	Construction of Jhanjharpur-Loukaha Bazar Railway Line . . .	56
1074	ब्राडगेज लाइन का समस्तीपुर-दरभंगा से रक्सौल तक विस्तार	Extension of Broad Gauge Line from Samastipur-Darbhanga to Raxaul .	57
1075	मार्टिन रेलवे के स्थान पर बड़ी लाइन (ब्राडगेज) बिछाने के सम्बन्ध में निर्धारित राशि	Amount earmarked for Broad Gauge Line in place of Martin Railway .	57
1076	प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	Private and Public Limited Companies.	57
1078	ट्रैफिक एकाउन्ट्स, दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Employees working in Traffic Accounts at Delhi (Northern Railway)	58
1079	केरल में एफ० ए० सी० टी० के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सहायक एकक	Ancillary units proposed to be set up under F.A.C.T. in Kerala . .	58
1080	कोचीन स्थित फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर यूनिट के द्वितीय चरण के कार्य में प्रगति	Progress on the second phase of FACT at Cochin	59
1081	हिन्दी में विधि पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Law Books in Hindi .	59
1082	रेल हड़ताल के बाद भुसावल और झांसी डिवीजनों में मुअत्तल/बर्खास्त किये गये या अभियोगाधीन कर्मचारी	Employees suspended/dismissed/prosecuted in Bhusawal and Jhansi Divisions after Railway Strike .	60
1083	क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम लगाया जाना	Introduction of closed-circuit Television System	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1084	पैट्रोलियम उत्पादों के उपलब्ध न होने के कारण मध्य प्रदेश में औद्योगिक एककों का बन्द होना	Closure of Industrial Units in Madhya Pradesh for non-availability of Petroleum Products	61
1085	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये रेलवे के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र (हार्ड कोर)	Railways "Hard Core" for Fifth Five Year Plan	61
1086	पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Kerosene Oil in West Bengal and other North Eastern States	61
1087	पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Companies Act by Companies in West Bengal and North Eastern States	62
1088	पश्चिम बंगाल, आसाम के कछार जिले, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली नई रेल लाइनें	New Railway Lines Linking West Bengal, Cachar District of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram .	63
1089	वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान निर्माताओं के पास रेल वैगनों के लिये पड़े क्रयादेश	Orders for Wagons pending with manufacturers during 1973-74 and 1974-75 .	63
1090	औषध उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of the National Convention of Drug Industries .	64
1091	मध्य प्रदेश में पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Petrol, Diesel and Kerosene in Madhya Pradesh . . .	64
1092	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers .	65
1093	क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित करने के लिये 'फाइजर' लिमिटेड का अनुरोध	Request from Pfizers Limited for Regularising their excess capacity .	65
1094	रानीगंज में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to establish a Fertilizer Factory in Ranigunj	66
1095	औषधि कारखानों का अधिग्रहण किया जाना	Taking over of Drug Units	66
1096	पूर्वी क्षेत्र के पैट्रो-रसायन एककों को कच्चे माल की सप्लाई को युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of supply of raw material to Petro-Chemical Units in Eastern Region	67

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1097	इंडियन एयर लाइन्स द्वारा पूर्वी क्षेत्र में कुछ हवाई अड्डों पर विमानों में ईंधन भरना बन्द करना	Suspension of Fueling Planes by IAC at certain Airports in Eastern Region	68
1098	पश्चिम बंगाल बेसिन में पेट्रोलियम संसाधनों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Petroleum resources in West Bengal Basin	69
1099	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का उत्पादन स्तर	Level of Production by O&NGC	69
1100	पांचवीं योजनावधि में नई रेलवे लाइनों के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation of funds for New Railway Lines during Fifth Plan Period	70
1101	कुछ एसोसिएशनों के कोयला वैगनों के कोयले को रेलवे द्वारा उपयोग में लाना	Coal Wagons meant for certain Associations utilized by Railways . .	72
1102	मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा निर्मित 'बीकोस्यल कैपस्यूलों' की बिक्री	Sale of Becosule Capsules manufactured by M/s Pfizers Limited . . .	73
1103	भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट	C.B.I. Report on Irregularities committed by certain officers of F.C.I. . .	74
1104	बम्बई के मिट्टी के तेल के विक्रेताओं को आई० डी० सी० द्वारा दिए गए प्रोत्साहन	Incentives offered by I.D.C. to Kerosene Dealers of Bombay . . .	74
1105	राज्य व्यापार निगम के पास पड़ी औषधियां तथा कच्चा माल का जमा होना	Piling up of Drugs and Raw Material with S.T.C.	75
1106	वर्ष 1974 में बजट की घोषणा के बाद लुब्रीकेटिंग तेल को रिलीज करना	Release of lubricating oil after announcement of budget in 1974 . .	76
1107	कर्नाटक राज्य में रजिस्टर की गई कम्पनियां	Companies registered in Karnataka State	76
1108	भारत में बेची जाने वाली विदेशी ब्रांड नामों की औषधियां	Foreign brand names of drugs sold in India	76
1109	मंगलौर-आपटा रेल लाइन	Mangalor-Apta railway line	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1110	कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम और रसायन उद्योगों में सरकारी पूंजी निवेश	Government investment in Petroleum and Chemical Industries in Karnataka State	77
1111	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में किसी विशिष्ट व्यक्ति का नामांकन करने के लिए दबाव	Pressure for appontment of a V.I.P. nominee in the list recommended by UPSC	78
1113	रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन तथा खपत	Production and Consumption of Chemical Fertilizers	78
1114	पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाइन को बदलने की परियोजना में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों के लिए आश्रय	Shelter for Casual Labourers engaged on Samastipur Muzaffarpur Conversion Project (North Eastern Railway)	79
1115	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Post of Station Masters and Assistant Station Masters . .	79
1116	रेल विभाग के फार्मेसिस्टों को दिया गया लाभ	Benefit Awarded to Pharmacists on Railways	80
1117	स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न भत्ता	Acting Allowance for Station Masters/ Assistant Station Masters . . .	80
1118	हल्दिया तेलशोधक कारखाने में उत्पादन	Production at Haldia Refinery .	81
1119	बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तीसरे कुंए में तेल की खुदाई का कार्य	Drilling Oil from Third Well in Bombay High	81
1120	औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 का पुनर्विलोकन	Review of the Drug Price Control Order, 1970	82
1121	मतदान-आयु का कम किया जाना	Lowering of Voting Age	82
1122	औषधियों तथा रसायनों का आयात बिल	Import Bill of Drugs and Chemicals .	83
1123	विधान सभा की स्थानों की संख्या बढ़ाने और संसदीय तथा विधान सभा की स्थानों के अनुपात में परिवर्तन करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Request by Punjab Government for increasing the number of seats in Vidhan Sabha and for changing the ratio of Parliamentary and Assembly seats.	83

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1124	उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Electrification of Railway lines passing through Uttar Pradesh	83
1125	गत छः महीनों में रजिस्टर की गई कम्पनियां	Companies registered during the last six months	84
1126	मैसर्स होयेस्ट लिमिटेड को सी ओ० बी० लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of C.O.B. Licences to M/s. Hoechst Limited	85
1127	अशोधित तेल एवं पेट्रोल की वार्षिक आवश्यकता	Annual requirements of Crude Oil and Petrol	86
1128	तेल की खोज कार्य में लगे विदेशी तकनीशियन	Foreign Technicians engaged in Oil Exploration	86
1130	सरकारी एजेंसियों/सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक औषधियों का बेचा जाना	Sale of Essential Medicines through Government Agencies/Cooperatives	87
1131	ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in Rural Areas .	87
1132	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को इंधन पर आधारित करना	Conversion of Coal Based into Fuel Oil based Fertilizer Plants . . .	88
1133	उल्टाडांगा के निकट ढाकुनी लोकल ट्रेन द्वारा छः व्यक्तियों का कुचला जाना	Running over of Six Persons by Dankuni Local Train near Ultadanga .	88
1134	प्लास्टिक समान निर्माण उद्योग में मन्दी	Recession in Plastic Conversion Industry	89
1135	सीरे के मूल्य और वितरण पर कानूनी नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव	Proposal to improve Statutory Control on Price and Distribution of Molasses.	90
1136	तेल का आयात	Import of Oil . . .	90
1137	मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाना	Reinstatement of Employees involved in May, 1974 Strike . . .	91
1138	संविधान के अनुच्छेद 82 के अधीन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies under Article 82 of the Constitution. .	91
1139	बहु-राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा तेल की खोज के लिये पेशकश	Offers for Oil Exploration by Multi-National Oil Companies . . .	92
1140	मारुति लिमिटेड, हरियाणा	Maruti Limited, Haryana .	92

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1141	मारूति लिमिटेड, हरियाणा के प्रमुख शेयरधारी	Major Shareholders of Maruti Limited, Haryana	93
1142	उर्वरक संयंत्रों के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress on construction of Fertilizer Plants	95
1143	दिल्ली के लिये भूमिगत रेल परियोजना	Underground railway project for Delhi	96
1144	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को लागू करने हेतु कम्पनी अधिनियम का संशोधन	Amendment of Companies Act for the Enforcement of MRTP Act. . .	97
1145	औषधियों का अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करना	Production of Drugs in Excess of Licensed Capacity	97
1146	विदेशी औषध फर्मों द्वारा फार्मलेशन तैयार किया जाना	Formulations manufactured by Foreign Drug Firms	98
1147	विदेशी औषध फर्मों में अन्तर्सम्बद्ध निदेशक-पद	Inter-linked Directorship in Foreign Drug Firms	98
1148	पारादीप उर्वरक संयंत्र में काम निलम्बित हो जाना	Suspension of work on Paradeep Fertilizer Plants	99
1149	सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी का उपरिपुल	Wooden Over-Bridge at Sitamarhi Railway Station	99
1150	चितौनी घाट के समीप गंडक नदी पर रेलवे पुल	Railway Bridge on Gandak River near Chitauni Ghat	100
1151	एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच बड़ी रेल लाइन (ब्राड गेज) के कार्य में प्रगति	Progress of work on Broad Gauge Line between Ernakulam and Trivandrum.	100
1152	रेलवे को सस्ती दर पर बिजली सप्लाई करने के लिये केरल सरकार का प्रस्ताव	Kerala Government proposal for supply of cheap power to Railways .	101
1153	विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई।	Supply of Kerosene Oil in different States	101
1154	एल्लेप्पी को एरणाकुलम और कायमगुलम के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन	Rail Link connecting Alleppy with Ernakulam and Kayamgulam . .	102
1155	भारत में तेल की खोज के लिये ब्रिटेन द्वारा सहायता दिया जाना	British Assistance for Oil Exploration in India	103
1156	हावड़ा से आमता के बीच बड़ी लाइन	Broad-Gauge from Howrah to Amta .	103

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1157	हल्दिया तेल शोधक कारखाने को चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning of Haldia Refinery	103
1158	केरल में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मण्डल कारखाने में उत्पादन	Production at the Udyogmandal Unit of FACT in Kerala . . .	104
1159	कुछ औषधियों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु फाइजर के साथ बातचीत	Negotiations with Pfizer for securing Technology to manufacture certain Drugs	105
1160	पटना और रांची के बीच दिन में एक रेल गाड़ी चलाने की मांग	Demand for running a day Train between Patna and Ranchi . . .	105
1161	वृद्ध माता-पिता और आश्रित बहिनों के लिए पासों की सुविधा	Passes for Parents and dependant sisters	106
1162	रेल कर्मचारियों को निशुल्क खुराक देने सम्बन्धी नियम	Rules Governing free diet to Railway Employees	106
1163	बिहार में मार्टिन लाइट रेलवे के सेक्शनों का बन्द किया जाना	Closure of Martin Light Railway's Sections in Bihar . .	107
1164	नांगल डैम रेलवे स्टेशन पर उतारे गए माल की सुरक्षा	Safety of goods unloaded at Nangal Dam Railway Station . . .	107
1165	पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाना	Opening of new lines in hilly and backward areas	107
1166	राजस्थान में रेलवे का विकास	Development of Railways in Rajasthan	108
1167	कोर्ट फीस में समानता लाने के लिए राज्य विधि मंत्रियों की बैठक	Meeting of State Law Ministers to bring uniformity in court fees . . .	109
1168	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईराक में प्रथम तेल कूप की खुदाई	Spudding of first oil well in Iraq by O & NGC	109
1169	तेल परिशोधनशालाओं को तेल के परिवहन के लिए उपकरण प्राप्त करना	Acquisition of equipment for transportation of oil to refineries . . .	110
1170	मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल की पाकिस्तान को तस्करी	Smuggling of Kerosene Oil and Petrol to Pakistan	110
1171	भारतीय रेल अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण	Training of Indian Railway Officials abroad	111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1172	भारतीय तेल निगम द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को तेल की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी	Threat to stop oil supply to DESU by I.O.C.	111
1173	आसाम के तेल क्षेत्रों में उत्पादित गैस को उपयोग में न लाया जाना	Non-utilization of gas produced from oil fields in Assam . . .	112
1174	आसाम में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up LPG units in Assam	112
1177	पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा अशोधित तेल के मूल्य बढ़ाने के निर्णय का भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रभाव	Decision of OPEC to raise prices of crude on Petroleum Products in India	112
1178	विदेशी इक्विटी वाली फर्मों द्वारा निर्मित फार्मूलेशनों की क्षमताएं निर्धारित करना	Stipulation of capacities of formulations manufactured by firms with foreign equity	113
1179	माल की ढुलाई के दौरान उठाईगीरी के लिए अदा किया गया मुआवजा	Compensation paid for pilferage of consignments in transit . . .	114
1180	कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए औषधियों का अभाव पैदा करना	Creation of shortage of drugs to get certain concessions	114
1181	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नए तेल निक्षेपों की खोज	Exploration for new oil deposits in North Eastern Region	115
1182	भारतीय रेलवे के स्वास्थ्य विभाग	Health unit of Indian Railway .	115
1183	निलम्बित, बर्खास्त रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णय	High Court's verdicts about Railway Employees under suspension, dismissed	116
1184	केरल में डिवीजनल मुख्यालय की स्थापना	Setting up of Divisional Headquarters in Kerala	117
1185	मैसर्स हेक्स्ट का विविधीकरण	Diversification of M/s Hoechest . .	118
1186	अधिक विदेशी शेयरों वाली औषध फर्मों को लघु एककों के रूप में दिए गए सी०ओ०बी० लाइसेंस	Foreign majority drug firms issued COB licences as Small Scale Units . .	119
1187	तोड़-फोड़ के कारण रेल दुर्घटनाएं	Railway accidents due to sabotage	120
1188	पांडिचेरी में निर्वाचन	Election in Pondicherry . . .	120
1189	'अन्तर-भारतीय' संगठन के गैर-छात्र युवकों को रेलभाड़े में छूट	Rail Concessions for non-student Youths of 'Antar-Bharatia' Organisation	121

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1190	बर्माशैल के अधिग्रहण में विलम्ब	Delay in take over of Burmah Shell	121
1191	समस्तीपुर में रेल लाईन का उद्-घाटन	Opening of rail line at Samastipur	121
1192	पाराद्वीप में उर्वरक संयंत्र का काम	Work on fertilizer plant at Paradeep .	122
1193	खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के मुअत्तिल किए गए कर्मचारियों का बहाल किया जाना	Reinstatement of suspended employees of Khurda Road Division (South-Eastern Railway)	122
1194	पर्ल साइकिल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच	Enquiry against Pearl Cycle Industries Limited, New Delhi . . .	123
1195	बिजली की कमी के कारण दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का बन्द होना	Closure of Durgapur Fertilizer Plant for shortage of power . . .	123
1196	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खोमचे वाले	Vendors belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	124
1197	बम्बई की कपड़ा मिलों को मशीन तेल की सप्लाई	Supply of Machine Oil to Textile Mills of Bombay	124
1198	पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे अंगुल विशेषज्ञ (फोरेन्सिक एक्सपर्टस)	Forensic xperts working in Western Railway	124
1199	पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर लगी घड़ियों पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on clocks Installed at Railway Stations of Western Railway	125
1200	उल्टाडांगा के निकट रेल दुर्घटना के हताहतों को मुआवजा	Compensation paid to Victims of Train Accidents near Ultadanga . . .	125
	सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table .	126
	सभा का कार्य	Business of the House.	128
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— . . .	128
	ओखा में भारतीय खाद्य निगम के उर्वरकों के आग में जल कर भस्म हो जाने का समाचार	Reported Destruction of Fertilisers belonging to the Food Corporation of India in a fire at Okha . .	128
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	128
	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde	129
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee— .	133
	136वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Hundred and Thiry-sixth Report *presented*	133

7 LSS/75—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	133
67वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही वृत्तांत-प्रस्तुत की गई	Sixty-seventh Report and Minutes *presented*	133
समिति के लिए निर्वाचन---	Election to Committee—	134
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	134
नियम 377 के अधीन मामला--	Matter under Rule 377	134
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय राशियों को निकालने के लिए राष्ट्रपतीय आदेशों के बारे में रिट याचिका	Writ Petition re. Presidential Order for Withdrawal of certain amounts from the Consolidated Fund of Union Territory of Pondicherry	134
गुजरात में अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के बारे में	Re. Grant of U. G. C. Scales of teachers in Gujarat	137
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-	Motion of Thanks on the President's Address	138
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	138
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	138
श्री निबालंकर	Shri Nimbalkar	140
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	141
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	142
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	143
श्री तरुण गोगाई	Shri Tarun Gogoi	145
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	147
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	150
श्री पी० के० एम० तेवर	Shri P. K.M. Thevar	151
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	152
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	153
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	154
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	155
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	156
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	156
श्री आर० पी० यादव	Shri R.P. Yadav	157
पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ किये जाने के बारे में वक्तव्य---श्री यशवन्तराव चव्हाण	Statement Re. resumption of US Arms Supplies to Pakistan—Shri Yashwantrao Chavan	147

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 फरवरी, 1975 / 6 फाल्गुन, 1896 (शक)

Tuesday, February 25, 1975/Phalguna 6, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर तीन मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता की महानगरीय परिवहन परियोजना के लिये राशि का दिया जाना

***103 श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत रेल के सेक्शन 11 और 12 में कार्य के आबंटन के लिए कलकत्ता की महानगरीय परिवहन परियोजना को उनके मंत्रालय ने 30 करोड़ रु० की धनराशि नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) · एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इस परियोजना से सम्बन्धित इस वर्ष की सारी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए राशि का वार्षिक आबंटन कर दिया गया है । 343 लाख रूपये की लागत से खण्ड 11 का ठेका मई, 1974 में दिया गया था , लेकिन काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि एक विदेशी फर्म के साथ ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित आवश्यक तकनीकी सहयोग का करारनामा अभी सरकार के अनुमोदन से प्रस्तुत किया जाना है । लगभग 650 लाख रूपये की लागत से खण्ड 12 के ठेके का टेंडर भी अभी दिया जाना है । विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई और इस परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 250 करोड़ रूपये हो जाने के कारण, सरकार इस परियोजना पर नये सिरे से विचार कर रही है । नयी वचनबद्धताओं के लिए परियोजना के अन्तिम रूप से सुव्यवस्थित होते ही उपर्युक्त दोनों मामलों पर विचार किया जाएगा ।

श्री समर मुखर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दिया गया। मैं ने पूछा था कि क्या भूमिगत रेलवे के सैक्शन 11 और 12 के लिए कलकत्ता महानगरीय परिवहन परियोजना को उनके मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपये की राशि नहीं दी है जबकि उत्तर में राशि के वार्षिक आबंटन आदि का उल्लेख

किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त परियोजना के प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार से सैक्शन 11 और 12 के लिए 30 करोड़ रुपये देने को कहा है? यदि हां, तो कब और उन्हें क्या उत्तर दिया गया?

श्री बूटा सिंह: जैसा कि विवरण से स्पष्ट है मई, 1974 में सैक्शन 11 का ठेका 343 लाख का दिया गया था परन्तु ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित तकनीकी सहयोग करार का निष्पादन न होने के कारण कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

इसी प्रकार सैक्शन 12 का 650 लाख, रुपये का ठेका भी अभी नहीं दिया गया है।

पता नहीं सदस्य महोदय 30 करोड़ रुपये से नियतन का प्रश्न कहां से ले आए हैं। वार्षिक नियतन के रूप में जितनी राशि नियत की जानी थी, की जा चुकी है।

श्री समर मुखर्जी: मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को 30 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं?

श्री बूटा सिंह: हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

श्री समर मुखर्जी: मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा आदि की मंजूरी कब तक दे दी जाएगी क्योंकि कलकत्ता में सड़कें खुदी पड़ी हैं और यातायात को भी मोड़ दिया गया है और यह 18 मास से अव्यवस्थित है। अतः कितना समय लगेगा?

श्री बूटा सिंह: पूरी योजना पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है। यह मामला मंत्रिमंडल में भी विचाराधीन रहा है और आशा है कि तकनीकी ज्ञान, विदेशी मुद्रा और विदेशी सहयोगियों के योगदान आदि के उपलब्ध होने पर हम इसे 1981 से पहले पूरी नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: मंजूरी से पहले ही खुदाई नहीं की जानी चाहिये थी क्योंकि इससे जनता को बहुत असुविधा होती है।

डा० रानेन सेन: मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है: "लेकिन काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि एक विदेशी फर्म के साथ ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित आवश्यक तकनीकी सहयोग का करारनामा अभी सरकार के अनुमोदन से प्रस्तुत किया जाना है।"

जैसा आपने ठीक ही कहा है, क्या तकनीकी सहयोग करार या प्रस्ताव सड़कें खोदने के बाद किया गया था?

क्या इस परियोजना में सहयोगी मुख्य विदेशी फर्म सोवियत संघ स्थित कोई संगठन है? यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना की स्थापना के बारे में सोवियत संघ के साथ तकनीकी सहयोग करने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है या क्या इसे तय किया जा चुका है और किसी अन्य पार्टी के साथ नया करार किया जाना है? यदि हां, तो किस के साथ?

श्री बूटा सिंह: माननीय सदस्य का प्रश्न सैक्शन 11 से संबंधित है जो पूर्णतया परामर्शदाता सेवा संबंधी है। शायद सदस्य महोदय सोवियत संघ के साथ हमारे सहयोग के पूरे प्रश्न पर ब्यौरा

नहीं चाहते क्योंकि यह करार विशेष पश्चिम जर्मनी के साथ है। अतः उक्त ठेकेदार ने पश्चिम जर्मनी की एक फर्म से तकनीकी सलाह प्राप्त करनी है जिसका भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है। इस में सोवियत संघ के साथ सहयोग में कोई बाधा नहीं है।

डा० रानेन सेन : यह उत्तर भ्रामक है। सभी जानते हैं और विवरण से भी स्पष्ट है कि सहयोग सोवियत संघ के साथ किया जाना है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह कोई पृथक सहयोग करार है, क्या इसकी मंजूरी दे दी गई है या क्या इस संबंध में सोवियत सरकार के साथ सलाह की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न विशिष्ट है कि जब मूल करार सोवियत संघ के साथ था तो क्या दूसरा करार उनकी सलाह से किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : तकनीकी तौर पर सोवियत संघ के साथ कोई सहयोग करार नहीं हुआ है। तकनीकी जानकारी तो पहले लेनी होती है। इस समय तो हम सोवियत संघ से उपकरण ही प्राप्त कर रहे हैं। दिए जा चुके ठेकों में, कुछ पार्टियाँ विदेशी सहयोग चाहती हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : विवरण के दूसरे भाग (ख) अनुसार विदेशी मुद्रा की आवश्यकता-पूर्ति तथा इस परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 250 करोड़ हो जाने के कारण सरकार इस परियोजना पर नए सिरे से विचार कर रही है। अतः मैं रेल मंत्री से जानना चाहता हूं कि परियोजना-लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण क्या इसमें विलम्ब किया जा रहा है या क्या सरकार इसे शीघ्र पूरा करने पर विचार कर रही है ? 'नए सिरे से विचार' शब्दों से हमारे मन में सन्देह उत्पन्न हो गया है।

श्री बूटा सिंह : 'नए सिरे से विचार' का अर्थ पुनर्विचार नहीं है परन्तु सभी प्रयास इसे शीघ्र पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं ताकि संसाधन जुटाए जा सकें।

श्री शंकरराव सावंत : आर्थिक कठिनाई और अनेक पिछड़े क्षेत्रों में रेलों के अभाव को देखते हुए क्या भूमिगत रेल के संपूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के कथन से मुझे यही लगा है कि इस परियोजना के लिए सभी प्रकार के उपकरण सोवियत संघ से आएंगे। हाल में समाचार छपे हैं कि कुछ कठिनाइयों के कारण वह इन्हें सप्लाई नहीं करना चाहते या नहीं कर पायेंगे और इन समाचारों का खण्डन भी नहीं हुआ है। अतः मैं उनसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या ये समाचार ठीक हैं ? यदि नहीं तो इनका सरकारी तौर पर खण्डन क्यों नहीं किया गया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ये समाचार ठीक नहीं हैं। वास्तव में पीछे जून, 1974 में ही एक सोवियत दल दिल्ली आया था और हमारी बातचीत उनसे हुई थी और हमें उनसे सभी उपकरण प्राप्त होंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न भी ठीक है कि उक्त समाचार का खण्डन नहीं किया गया है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : शायद इसलिए कि ऐसे समाचार प्रतिदिन छपते रहते हैं। अब हमारा ध्यान दिलाया गया है और मैंने खण्डन कर दिया है।

आई० डी० पी० एल० द्वारा डाक्सी साइक्लीन के निर्माण का प्रस्ताव

*104 **श्री रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० का डाक्सी साइक्लीन का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उसके निर्माण के लिये किसी अन्य गैर-सरकारी फर्म ने भी आशय पत्र के लिये आवेदन पत्र दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(घ) क्या देश में उसके लिये तकनीकी जानकारी उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स रेनबक्सी लेबोरेटरीज लि० को प्रतिवर्ष 2.5 मी० टन डाक्सी साइक्लीन के 2.5 मी० टन उत्पादन करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया। इस औषध के 5 मी० टन के उत्पादन करने के लिए मैसर्स फिजर का आवेदन पत्र विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) डाकसी साइक्लीन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी कुछ अन्य विदेशी कम्पनियों आदि से उपलब्ध है।

डा० रानेन सेन : भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है। इसका अर्थ है कि आई० डी० पी० एल० ने भी डाक्सी साइक्लीन बनाने का प्रस्ताव किया है। तो उसके अनुरोध का क्या हुआ? दूसरे क्या सरकार ने ऐसी महंगी दवा बनाने के प्रश्न पर विचार किया है जिसकी उपयोगिता बहुत कम है जबकि टेट्रा-साइक्लीन और आक्सी-टेट्रासाइक्लीन देश में काफी मात्रा में बनाई जा रही है? क्या सरकार ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आवश्यक औषधि स्थायी समिति को इस औषधि के उत्पादन की आवश्यकता पर विचार करने को कहा गया है?

श्री के० आर० गणेश : इस औषधि के उत्पादन के लिए आशय पत्र आई० डी० पी० एल० को दिया गया है। पाचवीं योजना में औषधियों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाए गए कर्मि दल (टास्क फोर्स) ने इस औषधि को शामिल नहीं किया है। यह सच है कि यह औषधि एन्टीबायटिक औषधियों की श्रेणी में आती है, परन्तु हमारे करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं के संदर्भ में यह औषधि आवश्यक नहीं है। जहां तक इसकी आवश्यकता का संबंध है, इस पर सरकार विचार कर रही है और किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति और एन० सी० एस० टी० के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

डा० रानेन सेन : दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि रेनबक्सी लिमिटेड नामक एक भारतीय फर्म को कुछ विदेशी संसाधनों से इसका उत्पादन करने की अनुमति दी जा चुकी है। क्या रस्सल कंपनी नामक एक विदेशी कंपनी ने उक्त फर्म को भारत में इसके उत्पादन के लिए 'फाइज़र' से कहीं बेहतर शर्त का प्रस्ताव किया है? यदि हां, तो क्या 'फाइजर' के आवेदन पर आगे कार्यवाही रोकी जाएगी?

श्री के० आर० गणेश : 'फाइजर' के आवेदन पर निर्णय करने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या यह सच है कि पहले इस औषधि के उत्पादन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था और इस अस्वीकृति संबंधी पत्र फाइलों में से हटा दिए गए थे जो बाद में लगा दिए गए? क्या यह भी सच है कि श्री गणेश के अनुमोदन के बिना पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सचिव द्वारा इनका सारांश लाइसेंसदात्री समिति के पास ले जाया गया था? क्या यह भी सच है कि अधिकारी और 'फाइज़र' भारतीय फर्म के प्रस्ताव का काफी समय से विरोध करते रहे हैं ताकि 'फाइज़र' द्वारा 6 करोड़ वार्षिक की विदेशी मुद्रा सहित की गई अन्य अनियमितताओं पर मंजूरी मिल जाए? यदि हां, तो क्या सरकार सभा को आश्वासन देगी कि 'फाइज़र' को किसी भी दशा में इस औषधि के उत्पादन की आज्ञा नहीं दी जाएगी और फाइलें सी० बी० आई० को सौंप दी जाएंगी?

श्री के० आर० गणेश : सरकार ने डाक्सी साइक्लीन के उत्पादन के लिए 'फाइज़र' के लाइसेंस के आवेदन पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है। सदस्य महोदय इसे लाइसेंस न दिए जाने का आश्वासन चाहते हैं। परन्तु ये सभी बातें जैसे इस औषधि की आवश्यकता, देश के लिए हितकर प्रविधि की उपलब्धि और खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा आदि ध्यान में रखी जाएंगी।

यह ठीक है कि कर्मिदल ने इस औषधि का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही सरकार निर्णय करेगी।

श्री के० एस चावड़ा : सी० बी० आई० को फाइलें सौंपने के बारे में कुछ नहीं कहा गया

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि आपने नहीं कहा है, फिर भी मंत्रियों को समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक प्रश्न सी० बी० आई पर समाप्त होगा।

उद्योग तथा कृषि के लिए अशोधित तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यवाही

*107. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वव्यापी तेल संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश की अशोधित तेल की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का है;

(ख) क्या देश में तेल की कमी के कारण उद्योग और कृषि को गम्भीर क्षति पहुंची है; और

(ग) देश में उद्योग तथा कृषि के लिये पूरी मात्रा में आवश्यक तेल सप्लाई करने के लिये सरकार का विचार क्या विशेष कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार ने देश की कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न उपाय अपनाये हैं और अपना रही है। और बातों के साथ साथ इनमें (1) कच्चे तेल के लिये देश में अन्वेषण तथा उत्पादन करने के प्रयत्नों में तेजी लाना (2) अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये आयात करते रहना और (3) अनावश्यक खपत में प्रतिबन्ध लगाना, शामिल है।

(ख) सब मिला कर पेट्रोलियम उत्पादों के उद्योग तथा कृषि की अत्यावश्यक जरूरतें पूरी की गई हैं। तथापि समस्त उद्योगो पर 10% की दक्षता कटौती लगाने के साथ साथ उद्योगों को ईंधन तेल पर की जा रही सप्लाई पर कुछ कटौतियां लगानी पड़ गई थी।

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण किये जाने में उद्योग तथा कृषि की अत्यावश्यक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है। कि कृषि के क्षेत्र के लिये हाई स्पीड डीजल आयल तथा एल डी ओ संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये उच्च प्राथमिकता दी जाए और यदि आवश्यक हो तो प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई किये जाने के लिये उपभोक्ताओं को डीजल के आवंटन कार्ड जारी किए जायें।

श्री आर० एन० बर्मन : श्रीमान जी क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1974–75 के लिए कितनी मात्रा में कच्चा तेल मांगा है और क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1974–75 के लिए मांगे गए तेल की सप्लाई कर दी गई है? यदि नहीं तो पश्चिम बंगाल को अपेक्षित मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान जी मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मुझसे यह जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल को कितना कच्चा तेल सप्लाई किया जाता है। राज्यवार कच्चे तेल के वितरण का कोई प्रावधान नहीं है। कच्चे तेल को पेट्रोल पदार्थों के निर्माण के लिए परिशोधन शालाओं को सप्लाई किया जाता है।

श्री आर० एन० वर्मन : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्हें उपभोक्ताओं को कच्चा तेल डीजल तथा मिट्टी का तेल सप्लाई करने का कोटा दिया गया है?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस सम्बन्ध में राज्य-वार आंकड़े नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सामान्य किस्म का है। आप विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे विचार से ये प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझा था कि मंत्री महोदय आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : श्रीमान् जी यद्यपि सरकार एक ओर कह रही है कि वे कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इस तरह के समाचार मिल रहे हैं कि आसाम में खोदे गए कई कुएं बन्द रखे हुए हैं और अब तक उनसे तेल नहीं निकाला गया है। यदि ऐसी बात है तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? दूसरे जब तक पर्याप्त रूप से परिशोधन क्षमता नहीं होगी तब तक कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का कोई काम नहीं है। इस संदर्भ में क्या मैं आसाम के कच्चे तेल के लिए पर्याप्त परिशोधन क्षमता स्थापित करने हेतु आसाम में एक नई परिशोधनशाला खोलने के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे स्थिति स्पष्ट करने दें। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया है। आसाम में कुछ कुएं हैं जहां कच्चा तेल मिलने की संभावना है किन्तु वे बंद रखे हुए हैं, क्योंकि यदि हम उनसे कच्चा तेल निकालेंगे तो उसे वहां से परिशोधनशालाओं को भेजना पड़ेगा और उसके लिए पर्याप्त यातायात की सुविधाएं होनी चाहिएं।

अब कुछ कच्चा तेल बरौनी भेजा जाता है। आसाम से बरौनी तक जो पाइप लाइन है उसके विस्तार की आवश्यकता है। वह आजकल निर्माणाधीन है। आशा है, कि निर्माण के पश्चात् यह पाइप लाइन आसाम से पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई कर सकेगी।

कुछ कुओं की मरम्मत हो रही है। ज्योंही इनकी मरम्मत हो जायेगी त्योंही इनसे तेल निकालना आरम्भ कर दिया जायेगा।

आसाम में परिशोधनशालाओं की क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार पूरी तरह विचार कर रही है। बोंगाईगांव परिशोधनशाला पर तीव्रता से कार्य किया जा रहा है। नूनमती परिशोधनशाला के आंशिक विस्तार के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब हल्दिया परिशोधनशाला का कार्यकरण आरम्भ हो जायेगा तो उसके लिए सरकार कच्चा तेल कहां से लाने की सोच रही है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है?

श्री के० डी० मालवीय : हल्दिया परिशोधनशाला के लिए कच्चा तेल ईराक से आयात किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। ईराक से आयात किया जाने वाला कच्चा तेल हल्दिया परिशोधनशाला में प्रयोग में लाया जायेगा। हम कुछ अन्य स्त्रोतों से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि परिशोधनशाला के लिए अच्छे किस्म की ब्लेंड उपलब्ध करने के लिए उस तेल को इसके साथ मिलाया जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह परिशोधनशाला कब तक कार्य आरम्भ कर देगी? आप समझौते के अन्तर्गत ईराक से तेल मंगवा रहे हैं किन्तु उस तेल को अभी हल्दिया में परिशोधित नहीं किया जा सकता।

श्री के० डी० मालवीय : हम अच्छे किस्म की ब्लेंड पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए कच्चा तेल उपलब्ध करने हेतु अन्य स्त्रोतों से प्रयास किया जा रहा है। मेरा विचार है कि हल्दिया में शीघ्र उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

Dr. Laksminarain Pandeya : Whether Government is aware of the fact that despite steps taken by Government, regular supply of oil is not being made to some States and that is why diese in some States,including Madhya Pradesh agriculture and industry, is not available for at reasonable price and people have to pay more for it. Whether Government will look into it and at the same time whether arrangements will be made to see that oil is made available at reasonable price and according to their requirments of Madhya Pradesh is not getting required quantity of diesel.

Shri K. D. Malviya : We always try to supply full quantity of oil allocated for Madhya Pradesh. They always get it, but some times they ask for more oil. In such circumstances

it becomes difficult to make arrangements for the supply of additional quantity of oil. Whenever any State asks for more oil for agriculture purpose, we try our best to meet their demand. We have assured them that if they will need more oil for agriculture purpose, they will be given the required quantity.

Dr. Laxminarain Pandeya : People have to pay more than the fixed price. What steps are being taken to solve this problem ? Whether the reason for this is that less diesel is supplied to Madhya Pradesh and that is why there is shortage of diesel ?

Shri K. D. Malviya : What can I do in this regard ? We supply them full quantity. If there is any bungling on the part of local suppliers that should be brought to my knowledge and then I will look into this.

श्री डी० बसुमतारी : अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि आसाम में कच्चा तेल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है किन्तु उन्हें उस तेल को आसाम से बाहर लाने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पाइप लाइनों की क्षमता अपर्याप्त है। क्या ऐसे में मैं यह जान सकता हूं कि बोंगाईगांव परिशोधनशाला को तेजी से पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? वहां कुछ भी निर्माण नहीं हो पाया है । क्या आप स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : बोंगाईगांव परिशोधनशाला में पहले जो विलम्ब हुआ है, वह अब नहीं होने दिया जायेगा। हम इस पर तेजी से कार्य करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ताकि कम से कम समय के अन्दर सभी कार्यक्रम पूरे हो सकें।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने जो तीन उपाय बताए हैं उनमें से देशी उत्पादन भी एक उपाय है। समाचारपत्रों में विशेषकर देश के एक लोकप्रिय साप्ताहिक में जो भी समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनसे पता चलता है कि यदि बड़े पैमाने पर तटदूर छिद्रण कार्य किया जाये तो हमारा देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह राय विशेषज्ञों की है? दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है कि कितने समय में देश कच्चे तेल तथा अन्य गैसों के मामलों में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

श्री के० डी० मालवीय : तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। कई बातें हैं जिन पर ध्यान से विचार किया जाना है। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि हमारा तेल निकालने का कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रहा है और यदि इसी तरह चलता रहा तो भारत 4, 5 या 6 वर्षों में आत्मनिर्भर होने का दावा कर सकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को अनुदेश

***108. श्री गजाधर माझी† :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने सभी जिलों में कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का भी निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है।

श्री गजाधर माझी : क्या केन्द्रीय सरकार उन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जिनकी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में उपेक्षा की जाती है, निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए विभिन्न राज्यों में वितरित की जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए एक पूल बनाने के उपबन्ध पर विचार करेगी ? उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाये जाने हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : यह प्रश्न गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। जहां तक कानूनी सहायता का संबंध है, इसका संबंध भी विधि मंत्रालय से है और मैं केवल उस प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान संबंधी कार्यक्रम के एक अंश के रूप में विभिन्न राज्यों को ब्लाक अनुदान दिए गए हैं और उस पर राज्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से अमल किया जाता है। कुछ राज्यों में यह कार्य राज्य सरकारें कर रही हैं। चौथी योजना में अल्प राशियां दी गई हैं और इससे लाभ उठाने वालों की संख्या भी कम थी।

Shri Bhagirath Bhanwar : The Hon. Minister in reply to part (a) of the question said "No Sir". I want to know whether Central Government is not apprised of the rules and regulations framed by the State Governments for the economic and social welfare and progress of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ? I know that Madhya Pradesh Government have passed laws for providing free legal aid to these people and they are being provided legal aid. Orissa, Bihar and Gujarat Governments have also passed such laws. I want to know whether State Governments have informed the Central Government in this regard; if not the amounts given to the State Governments for providing free legal aid to these categories and the amount which will be given in future ?

Dr. Sarojini Mahishi : In my reply I said that Central Government have not issued any directions in this regard. But it does not mean that no such scheme is going on. This scheme is going on in many States under the Ministry of Home Affairs. The schemes regarding providing free legal aid is going on in Bihar, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Punjab, Rajasthan, Pondicherry and Tripura. Similarly schemes to provide legal aid to Scheduled Tribes are going on in Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Nagar Haveli also. But the amount sanctioned for this purpose is meagre. Some States have been given 50 thousands rupees and some are given one lakh rupees. This scheme has not been given wide publicity. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also stated about the lack of publicity to this scheme. Efforts are being made in this

regard. Secondly, those people for whose welfare this scheme has been introduced, are not in a position to get benefit therefrom. Therefore efforts are being made to give more and more publicity to this scheme in order to give maximum benefit to these people.

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister has said that the state Governments have been told in this regard we are members of Lok Sabha. We are told that so much amounts have been given to different States for providing free legal aid to the Scheduled Castes and Scheduled tribes. We work in different districts of our constituencies. When these people are harassed, we ask the Government advocates that they are getting assistance from Government and so they should fight the Case in defence of those persons. Whether Government would direct all the states in this regard ? All information in this regard should be given to us so that we may ask the Government advocates to fight the case in defence of these people who are ill treated.

Dr. Sarojini Mahishi : This scheme is implemented by the State Governments. The information which is received from State Governments will be provided to the Hon. Members.

Shri Bibhuty Mishra : On a point of order Sir, we are Members. We have formed this Government. Why the Government do not apprise us of such information and ask for our cooperation in this regard ? Mr. Speaker, kindly ask him that why he does not give us such information ? We formed the Government not the State Governments. We should be given information.

Dr. Sarojini Mahishi: This scheme is implemented by the State Governments. We shall inform the Hon. members on the basis of statistical information which we receive from the State Governments.

Shri Ramavatar Shastri: Hon. Minister has said that the Government have not issued any directions to the State Governments for providing free legal aid to the people belonging to scheduled castes and scheduled tribes. First of all I want to know from the Hon. Minister if there is need to issue such directions and whether Central Government propose to give more money to the states Governments for providing free legal aid to the Adivasis and the people belonging to scheduled castes keeping in view the inadequate amount already being given to them; if not, the reasons therefor ?

Dr. Sarojini Mahishi : I have already said that no such directions have been issued. But the States Governments can be advised. They are comitted also to implement this scheme because Central Government is giving them grants for this purpose. The grant which the State Governments have received has not yet been spent, because this scheme has not got publicity. Those people are also not in a position to get benefit from this scheme. We are seriously considering as how to give these people maximum benefit from this scheme. Justice Krishna Ayar Committee has submitted a report in this regard. The committee has recommended that a legal Adviser should be appointed for this purpose so that these people could be given more and more legal aid. This recommendation is under Law Ministry's consideration.

एस्सो के अधिग्रहण के पश्चात् विदेशी मुद्रा में बचत

* 109. **श्री श्रीकिशन मोदी:**
श्री डी० डी० देसाई

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऐस्सो का अधिग्रहण करने के पश्चात् विदेशी मुद्रा में कोई बचत हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की बचत हुई ;

(ग) क्या ऐस्सो का अधिक्रहण करने के पश्चात् सरकार ने उसके एक अन्तराष्ट्रीय तेल कम्पनी से संबद्ध होने का कोई लाभ उठाया है;

(घ) क्या अशोधित तेल के आयात में कोई बचत हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) : हाल में एक्सोन जिसके हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में कम शेयर हैं, वर्तमान वाजात मूल्यों से कम मूल्यों पर साउदी ओरवियन मिक्स अशोधित तेल सप्लाई कर रहे थे। नवम्बर, 1974 से वे तेल उत्पादक देशों के राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा एक ही प्रकार के अशोधित तेल के संबंध में लिए गये मूल्यों के बराबर मूल्यों पर अशोधित तेल सप्लाई कर रहे हैं। एक्सोन प्रतिस्पद्धी भाड़े दरों पर रास तनुरा से बम्बई तक अशोधित तेल के परिवहन के लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं। मार्च-अक्तूबर 1975 की अवधि के लिए इन दो तथ्यों के कारण विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत लगभग 13 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) : भाग (क) और (ख) के उत्तर मे उत्तर में दिया गया है।

Shri Shrikishan Modi : Sir, the hon. Minister has stated that the foreign exchange saving on account of concessional price of crude and transportation is estimated at about Rs. 13 crores. I want the break-up of saving ?

Secondly, how long these concessions will continue ?

Shri K.D. Malviya : The saving on account of freight transportation is about Rs. 1.6 crores concession. The rate of crude oil supplied between January and November 1974 was concessional and this resulted in a saving of Rs. 13 crores. The situation changed thereafter. Their suppliers raised the royalty and tax, whereby we are not having any saving.

Shri Shrikishan Modi : Whether Burmah Shell and Caltex are enjoying such concessions ? If so, what is the hitch in nationalising them?

Shri K. D. Malviya : They do not supply us at concessional rates. The situation has changed altogether after 1974. You are aware that after raising the rates of oil in terms of royalty and tax by the Arab World, the entire situation has changed, therefore the question of getting cheaper oil is no longer there. However, we are trying at Government level to get oil on easier terms and we shall make such arrangements very soon as will be to yours atisfaction.

Part playcd by blaek moncy and foriegn influence in Elections,

*110. ***Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be please to state :

(a) whether Government are aware that black money and foreign influence play a part in oui elections;

(b) when did Government first get this information and the action taken since then in this regard; and

(c) whether in order to check the use cf black money in elections it is proposed to make compulsory for a candidate and for his party and friends to declare the source of the entire expenditure incurred by them ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) सरकार को निर्वाचन में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए उस व्यय की बाबत ही जानकारी है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन ऐसे व्यय के लेखे में दर्शित किया गया है। जहां तक निर्वाचनों में विदेशी धन और प्रभाव के उपयोग का सम्बंध है, विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 का, जो राज्य सभा में 24 दिसम्बर, 1973 को पुरःस्थापित किया था, अन्य बातों के साथ-साथ यह आशय भी है कि कुछ व्यक्तियों, संगठनों अथवा एसोसियेशन्मे द्वारा, जिनके अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और राजनैतिक दल भी हैं, विदेश अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने तथा उसके उपयोग का विनियमन किया जाए।

(ग) निर्वाचन विधि में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्तावों पर, संसद् की एक संयुक्त समिति ने, जो भूतपूर्व विधि मंत्रियों द्वारा दिए आश्वासनों के अनुसरण में विशेष रूप से गठित की गई थी; विचार किया था और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 का व्यापक रूप से संशोधन किए के लिए एक विधेयक, जो उक्त समिति द्वारा उसकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सामान्यत: आधारित है, 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक लोक सभा के विचाराधीन है। जहां तक निर्वाचन व्ययों का संबंध है, सरकार का इस विषय में कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह इस संबंध में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेगी।

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, when a demand was made to stop the inflow of foreign money which has a very undesirable influence when used in our elections, a probe was held and its report was also submitted to Government but they did not lay it on the Table in public interest. Even then I want to know whether Government have concluded therefrom that it does affect our elections ? If so, what steps were taken so far to stop it and how far they proved effective.

Dr. Sarojini Mahishi : As he is aware, when such doubts were raised here after 1967 elections, the Home Ministry ordered the Intelligence Bureau to go into it. They submitted their reports in 1967 and 1968 and they were presented to Parliament on 14th May, 1969. Perhaps he is not aware that it was presented here also and the Foreign Contribution (Regulation) Bill based thereon was introduced here in 1973, which is still being considered.

Shri Jagannath Rao Joshi : Since it will take some more time to pass it, I, therefore wanted to know your conclusions ? If Government feels that such money comes into the country and affects the elections, what effective steps have been taken to stop its inflow ?

Dr, Sarojini Mahishi : Government has introduced a comprehensive Bill after consideration. If the hon. Member wants to know anything, be may give a separate notice. This Bill could be considered when it comes up for discussion. At present it is before the Joint/Select Committee and evidence is being collected. Hon. Members can express their opinion when it is considered in the House.

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, the hon. Minister has referred to Bill regarding inflow of foreign money. I cannot say when it would be passed but perhaps by them elections would be over.

Secondly, a suggestion was made in regard to the use of black money and the Supreme Court had ruled that the amount spent by a party on its candidate should also be counted but it was nullified by a Government Ordinance. They have not accepted the Suggestion regarding submission of expense account by Parties. So, when Government would come to a decision with all-party consultation and in the meantime what steps are contemplated?

Dr. Sarojini Mahishi : As I had stated, the Home Minister had given a statement in regard to black money and foreign money on the basis of Central Intellegence Bureau's report. The Joint Committee has submitted a report on Electoral Reforms which were discussed here. The Joint Committee was also of the opinion that the expenses incurred by Political parties should not be included in the expenses incurred by the candidate became of various practical difficulties As you are aware, the Joint Committee also did not say anything became of these difficulties........

Shri Jagannath Rao Joshi : I am not asking about joint Committee's opinion but about Government's opinicn ?

Mr, Speaker : Their opinion is reflected in the statement of the Home Minister.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सलाह दी है कि दिखाया गया चुनाव व्यय निर्धारितों की कुल आय आंकजे समय उसमें से निकाला नहीं जा सकेगा ? यदि हां, तो उक्त सलाह का आधार क्या है ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या चुनाव में कालेधन के प्रयोग के लिए यह प्रत्यक्ष प्रलोभन नहीं है ?

डा० सरोजिनी महिषी : ये सभी सुझाव सदस्यों द्वारा चुनाव सुधारों पर चर्चा के समय दिए गए थे क्योंकि इसके अनेक पहलू हैं। अतः इन पर चर्चा के समय विचार किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

डा० सरोजिनी महिषी : विधि मंत्रालय द्वारा क्या ऐसी हिदायत दी गई है, मुझे ज्ञात नहीं है............. (व्यवधान)

Shri Paripoornanand Painuli : Sir, some time back a report appeared in the press that Government propose to lift the ban on company donations to political parties. I want to know whether this step will put a stop to the alleged black money donations to political parties, or whether she feels that other steps would have to be considered to check black money ?

Dr. Sarojini Mahishi : We always consider various steps to check black money.

Shri Paripoornanand Painuli : I wanted to know about company donation ?

Dr. Sarojini Mahishi : A bill is also contemplated to be introduced.

Shri Sarjoo Pandey : Everyone admits that there is exercise expenditure in elections. It is also true that the source of such money should be known and this leads to conjections without going to the root of the problem. So, whether Government propose to reduce the period of one month between filing of nomination papers and electioneering to fifteen days or even one week so as to reduce the expenditure ?

Dr, Sarojini Mahishi : Yes, it is also under consideration.

श्री नूरुल हसन : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि सरकार का चुनाव-सुधारों के प्रति संकुचित रवैया नहीं है। गत कुछेक मास से प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री सभा में और अन्यत्र यही बात कहते रहे हैं और यह भी कहते रहे हैं कि वे काले धन और विदेशी धन संबंधी सभी प्रश्नों पर विपक्षी दलों तथा नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं, किन्तु सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक विपक्षी दलों/नेताओं इस प्रकार की बातचीत करेगी और सरकार के मन में क्या है ?

डा० सरोजिनी महिषी : मंत्री महोदय ने सभा में कहा था कि वह विपक्षी सदस्यों से इस पर चर्चा करना चाहेंगे और इसके लिए यथासंभव शीघ्र अवसर ढूंढा जाएगा।

आसाम के तेल क्षेत्रों में अशोधित तेल का उत्पादन

***111. *श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम तेल क्षेत्रों में अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए खोज कार्य तेज़ करने हेतु 'ओपरेशन क्विक आयल' कार्यक्रम चलाया है;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त तेल कुएं खोदे जाने की व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :   (क) जी हां।

(ख) 1975-76 के वर्ष तक असम में तेल प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पाद में वृद्धि प्रतिवर्ष 0.8 मिलियन मीटरी टन वर्तमान दर से लगभग 1.2 मि० मी० टन करने की योजना है। इसके अतिरिक्त नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार 1977-78 तक प्रति वर्ष लगभग 2.25 मि० मी० टन तक वृद्धि होने की आशा है।

(ख) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) विद्यमान 128 तेल कूपों के अतिरिक्त लकवा-लखमानी एवं रुद्रसागर क्षेत्रों में कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 23 और कुओं के व्यघन कार्य की परिकल्पना है।

श्री पी० गंगादेव : तेल की कमी और आयातित कच्चे माल और मशीनरी के भारी मूल्य के कारण अत्यधिक आयात देनदारियों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि आसाम में तेल संबंधी द्रुत कार्यक्रम क्या है, विशेषकर आत्मनिर्भरता के लिए शीघ्र सफलता प्राप्त करने हेतु वर्तमान कुओं में अधिक गहराई तक खुदाई करके तेल निकालने के कार्य के बारे में ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं द्रुत कार्यक्रम और 'शीघ्र तेल कार्य' पर ज़ोर देने का उल्लेख कर ही चुका हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में लकवा-लखमानी और रुद्रसागर क्षेत्रों में लगभग 23 और कुएं खोदना और गलेकी क्षेत्र में लगभग 75 और कुएं खोदना शामिल है। इसमें प्रवाह-मार्गों और लकवा क्षेत्र से जोड़ने वाली ट्रंक पाईपलाइन का निर्माण शामिल है और मोरान में भंडारण और कच्चा तेल साफ करने की सुविधाएं जुटाना भी शामिल है।

इसके अलावा हम निकटवर्ती क्षेत्रों में उन तेल क्षेत्रों में भी खोज कार्य तेज़ कर रहे हैं जहां पर भू-गर्भीय और भू-वैज्ञानिक जांच से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन तेल कुओं को चलाने के लिए जो आधुनिक उपकरण सप्लाई करने के क्रयादेश सोवियत संघ को दिए गए थे, क्या वे पूरे हो गए हैं और चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमने सोवियत संघ को आसाम में काम तेज़ करने के लिए रिग सप्लाई करने के आर्डर दिए हैं और उनके साथ समझौता भी हो गया है। आशा है ये रिग शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उत्तर के अनुसार विस्तार कार्यक्रम में उत्पादन वर्ष 1975-76 में 12 लाख टन होगा जो वर्ष 1977- 8 में 22.5 लाख टन हो जाएगा, तो क्या इसके लिए धन उपलब्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के स्वीकारात्मक उत्तर हैं। क्या ये दोनों कार्यक्रम अपेक्षित सफलता पा रहे हैं ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में सफलता मिली है और क्या असम के अलावा गुजरात और देश के अन्य भागों में खोज चल रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : सफलता हमारी कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने पर निर्भर है और हम इसका प्रयास करते हैं। कभी-कभी हम इस पर चल नहीं पाते क्योंकि या तो स्थिति अनुकूल नहीं होती या रिग नहीं होते या किसी कुएं विशेष में गड़बड़ी के कारण हमें काम धीमा कर देना पड़ता है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि गुजरात में खोज-कार्यक्रम काफी ठीक गति से चल रहा है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न आसाम के बारे में है।

श्री तरुण गोगोई : मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि असम में अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध होने लगेगा तो क्या उसी राज्य में एक और तेल-शोधक कारखाना लगा कर या गौहाटी के वर्तमान कारखाने की क्षमता बढ़ा कर या बंगई गांव के प्रस्तावित कारखाने की क्षमता बढ़ा कर उसके शोधन की व्यवस्था की जाएगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इसका उत्तर दिया जा चुका है। हम दोनों शोधक कारखानों का विस्तार करने की सम्भावना का पता लगा रहे हैं और यदि यह सम्भव हुआ तो ऐसा अवश्य किया जाएगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे को कोयले की सप्लाई की स्थिति में सुधार

*101. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान रेलवे को कोयले की सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की मांग और सप्लाई स्थिति की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कोयले के उत्पादन और स्टीम कोयले की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से रेलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलों को कोयले की सप्लाई में तेजी आ गयी है। पिछले तीन वर्षों में मांग और पूर्ति की जो स्थिति रही, वह इस प्रकार है ।

वर्ष	प्रत्याशित आवश्यकता (दस लाख मीटरिक टन में)	सप्लाई (दस लाख मीटरिक टन में)
1972-73	14.8	14.8
1973 74	14.6	13.4
1974-75 (जनवरी 75 तक)	12.0	11.8

अशोधित तेल के लिए सऊदी अरब के साथ करार

*102. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 से 50 लाख मीटरी टन अशोधित तेल प्रति वर्ष सप्लाई करने के बारे में भारत के साथ सऊदी अरब द्वारा एक दीर्घकालीन करार किये जाने की कोई सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्यों के लिये मिट्टी के तेल का कोटा

*105. **श्री शंकरनारायण सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों का मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितनी मात्रा बढ़ाई जायेगी ?

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों को मिट्टी का तेल सप्लाई करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नवम्बर, 1974 में मिट्टी के तेल पर कटौती में छूट की गई थी और राज्य कोटा में कुछ वृद्धि की गई थी । फिलहाल आवंटन का यह स्तर रखने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस पर विशेष ध्यान दें ।

औषध उद्योग संबंधी हाथी समिति की सिफारिशें

*106. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाथी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या सरकार प्रतिवेदन के सन्दर्भ में औषधियों के लिये एक विस्तृत नीति बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) क्या कुछ औषधियों के ब्रांड नामों को समाप्त कर दिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार औषध निर्माण क्षेत्र को नया रूप देने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 8996/75]

अतिरिक्त 60 लाख मीटरी टन अशोधित तेल का आयात

*112. **श्री शशिभूषण** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिये प्रति वर्ष 60 लाख मीटरी टन का अशोधित तेल आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त अशोधित तेल की सप्लाई के लिये किन देशों से प्रयास किये जा रहे हैं अथवा प्रयास किये जाने की आशा है; और

(ग) इस सौदे में कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount of blaek money spend in 1971 Lok Sabha Elections

*113. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the estimated amount of black money used in the 1971 Lok Sabha elections ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : Government has only information about the expenditure incurred by the candidate or his election agent at the election, as shown in the account of such expenditure under section 77 of the Representation of the People Act, 1951.

स्वदेशी क्षेत्र में औषधियों के उत्पादन की योजना

*114. **श्री वसन्त साठे** :

श्री धामनकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उद्योग के स्वदेशी क्षेत्र के साथ परामर्श करके जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है ताकि औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पांचवीं योजना के लक्ष्य पूरे हो सकें ।

(ख) क्या स्वदेशी रसायन उद्योग के प्रसार के माध्यम से जीवन रक्षक औषधियों मौलिक और माध्यमिक रसायनों के लिये विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं पर अपनी निर्भरता को कम करने तथा इस प्रकार ग्रामीण जनता की सहायता करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या कोई सांविधिक राष्ट्रीय औषधि विकास कार्यक्रम बनाने का विचार है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और काफी अधिक प्रतिशत औषधियां ग्रामीण जनता तक पहुंचाई जा सकें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार देश में औषधों की कुल बिक्री वर्ष 1978-79 तक 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ जायेगी। इसमें 150 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये की प्रपूंज औषधों का उत्पादन करना शामिल होगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने 1973 की अपनी औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये आन्तरिक उद्योगों को समेकित कर लिया है। ऐसे उद्योगों जिन का इस प्रकार के उद्योगों से सीधा संबंध है तथा वे उद्योग जिनकी दीर्घावधी निर्यात सम्भावनायें हैं, को अर्थ-व्यवस्था के विकास हेतु, मूल, नाजुक तथा सामरिक महत्व की श्रेणी में रखा गया है और उसे कथित नीति के अनुलग्नक 1 में शामिल किया गया है। औषध और भेषज उद्योग अनुलग्नक 1 में शामिल किये गये उद्योगों में एक उद्योग है। महत्वपूर्ण औषधों के निर्माण हेतु योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र की भूमिका के विस्तार की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग के बारे में एक समिति को नियुक्ति की है जिसका अन्य कार्यों के साथ-साथ एक निम्नलिखित कार्य भी है :

"मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के निर्माण तथा अनुसन्धान एवं विकास में सरकारी क्षेत्र के लिये नेतृत्व की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सिफारिशें देना"

"औषध उद्योग, विशेषरूप से भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्र के शीघ्रगामी विकास हेतु, सिफारिशें देना। अपनी सिफारिशें करते समय, यह समिति उद्योग के क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में रखेगी।"

इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 तक दिये जाने की आशा है। इसमें सरकार के के पास आवश्यक औषधों तथा आम घरेलू औषधों जिन्हें बड़ी मात्रा में बनाने की आवश्यकता होगी, के बारे में एक सूची दी है। पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं। देश की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में पूरा करने के लिये औषध उद्योग के देशीय क्षेत्र को जो भूमिका निभानी है उसके बारे में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन और/या इंडियन ड्रग्स मैन्यु० एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

भारतीय क्षेत्र में एक प्रारूप देने के लिये सहमति प्रकट कर दी है। इस क्षेत्र से व्यापक रूप में खपत होने वाली औषधों के सस्ते दामों पर उत्पादन करने की एक योजना बनाने और इन औषधों को हाथी समिति की सूची में छांटने के लिये कहा गया है। इन औषधों के उत्पादन/विस्तार के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में आगे और विचार किया जायेगा।

कर्नाटक राज्य से लगे अरब सागर में पैट्रोलियम का सर्वेक्षण

*115. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि क्या अरब सागर के उस भाग में पैट्रोलियम उपलब्ध है जो कर्नाटक राज्य को छूता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन आयोग के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

*116. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरा सागर सम्राट

*117. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री रामसहाय पांडे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरा सागर सम्राट खरीदने के लिये हाल में जापान के साथ बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

*118. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के निर्माण को दोबारा स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। संसाधन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रायोजना के कार्यान्वयन कार्यक्रम को संशोधित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल की खाड़ी और कच्छ बेसिन में तेल की खोज के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण

*119. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ बेसिन में तेल की खोज के लिये भूकम्पीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और वहां छिद्रण कार्य कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) अपतटीय कच्छ थाला में भूमीक्षण भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(ख) भूमीक्षण भूकम्पीय सर्वेक्षणों के संरचनात्मक सम्भावनाओं के चिन्ह मिले हैं और विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण शीघ्र ही किये जायेंगे। ऐसे भूकम्पीय सर्वेक्षण के आंकड़े तैयार हो जाने और उनकी व्याख्या के पश्चात् ही कूपों के व्यधन के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

आयल इंडिया का उत्तरपूर्व भारत में 80 कुएं खोदने का प्रस्ताव

*120. **श्री झार खण्डेराय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया का वर्ष 1991 तक उत्तरपूर्व भारत में 80 कुएं खोदने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) इन में से 75 कूप इनके खननबीज नाहरकाटिया मोरान एवं दम दमा के क्षेत्रों में और पांच कूप इनके पैट्रोलियम व्यधन लाइसेंस क्षेत्र नींगर में खोदने का प्रस्ताव है। आयल इंडिया लिमिटेड ने अपने दो पुराने व्यधन रिग बदल लिये हैं और तीसरे की इस वर्ष के अन्त में बदल लेने की सम्भावना है और चौथे रिग को बदलने के लिये भी जांच की जा रही है।

रेलवे में श्रम सम्बन्ध

1001. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश भर में रेलवे में अब श्रम संबंध सन्तोषजनक हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्रम संबंध, जो मई, 1974 की हड़ताल के कारण खराब हो गये थे, उस में अब काफी सुधार हो गया है।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा "ब्रांड" नाम से औषधियों का उत्पादन

1002. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी औषध निर्माता फर्मों के ब्रांड एवं ट्रेड नाम भारत में लोकप्रिय हैं और भारतीय बाजार में उनको विशेष स्थिति प्राप्त है जिससे उन्हें एक प्रकार से एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में काम कर रही बहु-राष्ट्रीय औषध फर्मों को यह कहने का है कि भारत में बेची जा रही औषधियों पर अतिरिक्त लाभ के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा की भारी राशि को वापस अदा किया जाये अथवा वापस लाया जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत में तैयार किये गये बहुत से औषध सूत्रयोगों का विदेशी और भारतीय फर्मों द्वारा ब्रांड नामों या ट्रेड नामों के अन्तर्गत विपणन किया जाता है। प्रपुंज औषध और सूत्रयोगों का निर्माण करने में अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के शेयर का लगभग 33 प्रतिशत और 45 प्रतिशत क्रमशः अनुमान लगाया जाता है।

(ख) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अधीन औषध मूल्यों का नियन्त्रण किया जाता है। आदेश में मूल्य निर्धारण, सामान्य और विकास की दो योजनाओं के लिये व्यवस्था है। सामान्य योजना के अधीन मूल्यों को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के पैरा 6 और 7 में निर्धारित नियम के अनुसार नियत किया जाता है जबकि सूत्रयोगों की विकल्प योजना मूल्य का पैकेज के रूप में अनुमोदन किया जा सकता है परन्तु सम्पूर्ण आधारों पर लाभप्रदता की कुल बिक्री 15 प्रतिशत से आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई कम्पनी इस सीमा से अधिक लाभ उठाती है तो उसको इसका कोष एकत्र करना आवश्यक है और सरकार की आज्ञा से आदेश में निर्दिष्ट प्रयोजनों से ही ऐसी आय को काम लाया जा सकता है। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 में कोई आवश्यक संशोधन के बारे में कोई विचार किया जायेगा।

कूप छिद्रण पर व्यय

1003. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब देश के विभिन्न भागों में कूप छिद्रण पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ख) वर्ष 1975 के दौरान कूप छिद्रण के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) ए० ओ० जी० सी० द्वारा देश के विभिन्न भागों में खर्च की गई कुल राशि (मूल्य ह्रास एवं ब्याज घटाकर) 21,334.37 लाख रुपये है। ओ० आई० एल० की (जिसमें सरकार 50 प्रतिशत हिस्से रखती है) 31-12-1974 तक यह रकम 5700 लाख रुपये के लगभग है।

(ख) ओ० एन० जी० सी० के लिये 1974-75 के दौरान मूल्य ह्रास सहित राशि का 2929.71 लाख रुपये होने का अनुमान है और वर्ष 1975 के लिये ओ० आई० एल० के लिये इस राशि का (मूल्य ह्रास एवं ब्याज रहित) 580 लाख रुपये होने का अनुमान है।

चौथी योजना के दौरान विदेशी फर्मों को जारी किये गये लाइसेंस

1004. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली विदेशी फर्मों के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंसों, अनुमति पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों तथा अनापत्ति पत्रों को जारी करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी बार अनुमति दी गयी; और

(ख) औषधियों के निर्माण के लिये इस अवधि के दौरान भारतीय फर्मों के कितने प्रस्ताव अस्वीकार किये गये तथा विदेशी फर्मों के संबंध में बार-बार ऐसी अनुमति देने के क्या कारण थे और किन मदों के बारे में कितनी क्षमता के लिये मंजूरी दी गयी तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त आयातित कच्चे माल और विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) चौथी योजना की अवधि के अन्तर्गत सी० ओ० बी० लाइसेंसों औद्योगिक लाइसेंसों आदि के जारी करने की अवधि में कोई विस्तार नहीं किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस/अनुमतियां, सरकार की समय-समय पर लागू नीति के अनुसार स्वीकार किये जाते हैं। तथापि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत न किये जाने वाले विलम्बों को, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर माफ कर दिया गया था। ऐसे मामलों के ब्यौरे, जिनमें विलम्ब को माफ कर दिया गया था, एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। चौथी योजना की अवधि में, भारतीय कम्पनियों के अस्वीकृत किए गये आवेदन पत्रों के ब्यौरे भी, एकत्रित किये जा रहे है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों को स्थायी बनाना

1005. **श्री लालजी भाई :** क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में बड़ी संख्या में स्टेनोग्राफरों को दो बड़े वेतनमानों अर्थात् 330 रुपये- 560 रुपये और 425 रुपये - 700 रुपये में अस्थायी रखा गया है ;

(ख) उक्त दो वेतनमानों में अस्थायी स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व रेलवे बोर्ड ने ऐसे आदेश जारी किये थे कि उन व्यक्तियों को स्थायी बना दिया जाये जिन्होंने लगातार तीन वर्ष तक, भले ही कार्यभारित पदों पर, कार्य किया हो, और

(घ) क्या जहां तक उक्त दो श्रेणियों के स्टेनोग्राफरों का सम्बन्ध है उस आदेश को उत्तर रेलवे में क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हां तो उस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) 330-560 रुपये (सं० वे०) 20%
425-700 रुपये (सं० वे०) 24%

(ग) जी नहीं, आदेश ये थे कि कुछ कार्य-प्रभारी पदों को भी अस्थायी पदों के रूप में स्वीकृत किया जाये ताकि पुष्टिकरण हो सके।

(घ) निचले ग्रेड में 22 पद और ऊंचे ग्रेड में 3 पद स्थायी रूप से स्वीकृत किये गये हैं। जनवरी, 1975 में उत्तर रेलवे ने पुष्टिकरण के बारे में रेलवे बोर्ड से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। यह स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और जितने पद स्थायी हैं, उन पर शीघ्र ही पुष्टिकरण कर दिया जायेगा।

कुछ मांगों के सम्बन्ध में आल इंडिया रेलवे एकाउन्टस एम्प्लाईज एसोसियेशन की ओर से अभ्यावेदन

1006 **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे एकाउन्ट्स एम्प्लाईज एसोसिएशन की ओर से लेखा कर्मचारियों की कुछ मांगों के बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो लेखा कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या है और प्रत्येक मांग को अन्तिम रूप देने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगें और उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

मांग सं० 1—लेखा विभाग में ग्रेड बढ़ाना

रेलों के अराजपत्रित संवर्गों, जिनमें लेखा विभाग के अराजपत्रित संवर्ग भी शामिल हैं, की पुनःसंरचना सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन ह।

मांग सं० 2—पुराने दूसरे दर्जे के पास धारियों को पहले दर्जे के पास देना

1 अप्रैल, 1974 से भारतीय रेलों से दूसरा दर्जा हटा लिये जाने के परिणामस्वरूप पुराने दूसरे दर्जे के पास के हकदार कर्मचारियों को पहले दर्जे का पास देने के प्रश्न पर एक से अधिक बार विचार किया जा चुका है लेकिन इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं समझा गया। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनमानों में संशोधन हो जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न दर्जों के पासों के लिए पात्रता की वेतन-सीमा में संशोधन कर दिया गया है और इस संशोधित वेतन-सीमा के अनुसार, जो कर्मचारी 1-8-1969 से पहले रेल सेवा में नियुक्त हुए थे, उन्हें 515 रुपये से अधिक वेतन होने पर पहले दर्जे का पास दिया जाता है और 1-8-1969 को या इसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को उनका वेतन 575 रुपये होने पर पहले दर्जे का पास दिया जाता है। फिर भी, जिन कर्मचारियों का वेतन 360 रुपये से अधिक है, उन्हें बिना अधिप्रभार दिये दूसरे दर्जे के शयन-यान (2-टियर अथवा 3-टियर) में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।

मांग सं० 3—रेल कर्मचारियों के बच्चों की भर्ती

सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली जगहों को इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित आधार पर आरक्षित रखा जाता है :--

अनुसूचित जाति—	15%	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल आरक्षण 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए
अनुसूचित जन जाति-	$7\frac{1}{2}$%	
भूतपूर्व सैनिक—	10% श्रेणी 3 के लिए 20% श्रेणी 4 के लिए	

जो रेल कर्मचारी अपने परिवारों को दयनीय स्थिति में छोड़कर मर जाते हैं, उनके आश्रितों को अनुग्रह के आधार पर रेलों में नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है। लेकिन हाल में यह विनिश्चय किया गया है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 20 प्रतिशत पदों को भरते समय रेल प्रशासनों को उन रेल कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों का यथोचित ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने कठिन और विषम परिस्थितियों में निष्ठापूर्ण कार्य किया हो।

मांग सं० 4—श्रेणी 4 के कर्मचारियों को मानार्थ पास

श्रेणी 4 के कर्मचारियों को भी श्रेणी III के कर्मचारियों को स्वीकार्यमान के अनुसार सेवा-उपरान्त मानार्थ पास देने के प्रश्न पर एक से अधिक बार विचार किया गया है लेकिन श्रेणी 4 के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद दिये जाने वाले मानार्थ पासों की वर्तमान संख्या को बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया।

मांग सं० 5—रेल कर्मचारियों को मुफ्त उपनगरीय कार्ड पास

अपने काम के स्थान और निवास-स्थान के बीच रोज यात्रा करने के लिए रेल कर्मचारियों को आवासीय कार्ड पास/रियायती सीजन टिकट देने के प्रश्न पर 1953 में विचार किया गया था और सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि जिन खण्डों पर यह सुविधा 14-12-1953 से पहले उपलब्ध नहीं थी, वहां इसे अब नहीं दिया जा सकता।

मांग संख्या० 6—अपेंडिक्स II ए और अपैंडिक्स III ए की परीक्षा पास करने पर लेखा कर्मचारियों को प्रोत्साहन

अपेंडिक्स II और अपेंडिक्स III की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली वेतन-वृद्धियों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी लेखा कार्यालयों में एक-समान बनाना है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

Railway Employees involved in Thefts on Railways

1037. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state whether any railway employees were found involved directly or indirectly in the thefts on Railways last year and if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Yes. 2378 Railway employees involved in cases of thefts and pilferages of booked consignments and Railway Material and Fittings were arrested under Indian Penal Code and Railway Property (Unlawful Possession) Act during 1974. They have been prosecuted/dealt with departmentally according to evidence available against them.

Funds Provided for the Repairs and Expansion of Stations in Madhya Pradesh

1008. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether certain railway stations in Madhya Pradesh need repairs and expansion;

(b) whether the Central Government have provided funds therefor during the current year; and

(c) if so, the extent thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) For the existing level of traffic major expansion of Railway stations in Madhya Prasdesh is not considered necessary.

Periodic maintenance and repairs which are necessary are carried out regularly as a normal practice on the entire railway system.

(b) & (c) Funds for maintenance and repairs, passengers' amenities and minor additions and alterations at Stations are provided every year. Similar provision exists this year also. Allocation of funds is made Railway wise and no separarte allocation statewise is made.

रेल वैगनों के लिए एक रूप मूल्य ढांचा

1009. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी चालू बैगनों के लिए एक रूप ढांचे की सिफारिश करने एवं खरीदे गये पुर्जों को सम्मिलित करने के लिए वर्तमान 'एक्स्केलेशन' धारा के विस्तार के प्रश्न पर विचार करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जिन तयशुदा ठेकों के बारे में यह दावा किया जाता है कि वे अलाभप्रद हो गये हैं उनसे संबंधित कीमतों में उपयुक्त परिवर्तन करने निमित्त माल डिब्बा उद्योग के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए रेल मंत्रालय उद्योग और सिविल आपूर्ति मंत्रालय तथा वैगन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिनिधियों की एक समिति की नियुक्ति कर दी गई है।

(ग) आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी ?

भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत नये उर्वरक एकक स्थापित किया जाना

1010. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत किसी नये एकक या स्वतंत्र उर्वरक एककों के लिए मंजूरी दी गई है अथवा स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नये एककों/कारखानों के नाम क्या है और वे कहां कहां स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1975-76 में नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(घ) ऐसे एकक/कारखाने किस किस राज्य में किस-किस स्थान पर स्थापित किए जाएंगें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सरकार चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र के अन्दर निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया	बम्बई में ट्राम्बे 11/और 1/विस्तार
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	पंजाब में भटिण्डा परियोजना
	हरियाणा में पानीपत परियोजना

इसके अतिरिक्त सरकार गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में उर्वरक क्षमता की निर्माण करने के लिए यथा निम्न प्रकार आशय पत्रों को भी जारी किया है ;

1. श्रीराम केमिकल्स लि० को राजस्थान, कोटा में अपनी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए।
2. गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को गुजरात में बड़ौदा में अपनी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए।
3. नार्गाजुन फर्टिलाइजर्स लि० आंध्र प्रदेश में काकिनाड में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए।
4. कर्नाटक राज्य औद्योगिक और विकास कारपोरेशन को मंगलौर में सुविधाओं की स्थापना करने के लिए।
5. आई एफ एफ सी ओ को उत्तर प्रदेश में फूलपुर में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए आई एफ एफ सी ओ के उर्वरक संयंत्रों ने अभी अभी उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1975-76 के दौरान बरौनी (विहार), नामरूप विस्तार, (असम) तूतीकोरिन (तमिलनाडु), मंगलौर (कर्नाटक), केरल के कोचीन-11, विहार के सिंदरी बैज्ञानिकन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विस्तार और राजस्थान, खेतरी परियोजना के उर्वरक संयंत्रों का कार्य चालू हो जाने की आशा है।

रेल किराये में वृद्धि के कारण रेलवे को हुई हानि

1011. **श्री टुना उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल किराये में हाल ही में की गई वृद्धि से रेलवे को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) रेल-भाड़े में वृद्धि के कारण कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। प्रारम्भिक यात्रियों की संख्या के हिसाब से यात्री यातायात में सितम्बर, 1974 तक (मई, 1974 का महीना छोड़कर जब रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गयी थी) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (मई, 1973 को छोड़कर) 6.69 प्रतिशत कमी हुई थी और अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक के चार महीनों में (जब बढ़ा हुआ किराया लागू था) पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में केवल 3.61 प्रतिशत कमी हुई है। दर असल प्रारम्भिक यात्रियों की संख्या में दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में क्रमशः 1.4 और 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) प्रारम्भिक मीटरिक टन के हिसाब से माल यातायात अक्टूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक के चार महीनों में (जब बढ़ा हुआ माल-भाड़ा लागू था) पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में लगभग 66 लाख मीटरी टन बढ़ गया। इसलिए, माल भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेलवे पर हो रहे काम में प्रगति

1012. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे पर दो वर्ष पूर्व रेल विभाग द्वारा शुरू किये गये काम में कोई भी प्रगति नहीं हुई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या तेल संकट के कारण रेलवे इसे ऐसा कार्य नहीं समझती है जिसे अविलम्ब किया जाये ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में सड़क परिवहन के अतिरिक्त और कोई परिवहन का साधन नहीं हैं और वह गरीब लोगों के लिए बहुत ही महंगा और असुविधाजनक है ; और

(घ) पश्चिम घाट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बम्बई और मंगलौर के बीच रेल सम्पर्क को अनिवार्य मानती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) आप्टा-मंगलूर रेल परियोजना के आप्टा-दासगांव भाग पर मिट्टी डालने का काम 1973 में सूखा-राहत कार्य के रूप में शुरू किया गया था और इसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने खर्च पर कराया था। मिट्टी डालने के कुल 18.90 लाख घन मीटर के काम में से 1.07 लाख घन मीटर का काम राज्य सरकार द्वारा पूरा किया गया था। चूंकि सूखे की स्थिति में सुधार हो गया था। इसलिए राज्य सरकार ने 15-6-1973 को काम बन्द कर दिया था। आप्टा और दासगांव के बीच अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्टों की जांच की जा रही है। दासगांव और रत्नगिरि के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण जिसमें रत्नगिरि और मंगलूर के बीच स्थल जांच शामिल है, किया जा रहा है। आप्टा से मंगलूर तक लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर आगे विचार तभी किया जायेगा जब सर्वेक्षण पूरा हो जाय और रिपोर्टों की जांच करली जाये। इस परियोजना पर निर्णय लेते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि धन की उपलब्धता पर कड़ी कैद है।

भूकम्प से उखड़ी रेल लाइनें

1013. **श्री वरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ, गढ़वाल डिवीज़न के विभिन्न भागों और विहार में मोतिहारी जैसे देश के विभिन्न भागों में भूकम्प प्रायः आते रहते हैं ;

(ख) देश के विभिन्न भागों में हाल के भूकम्प से कितनी रेल लाइनें उखड़ गई हैं ;

(ग) इससे कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है ; और

(घ) इससे रेल सम्पत्ति को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, देश के कुछ भागों में भूचाल आये हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जिन क्षेत्रों से रेलें गुजरती हैं, उनमें भूचाल आना एक आम बात हो गयी है। अभी हाल में भूचाल के कारण रेल-पथ पर रेल संरचना को कोई क्षति नहीं हुई है।

मिरज और लाटूर के बीच चलने वाली गाड़ियों में दो टायर वाले शयन-यान जोड़ने की मांग

1014. **श्री अण्णा साहिब गोटखिडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट से, ‐नकी मिरज यात्रा के दौरान यह मांग की गई थी कि दक्षिण-मध्य रेलवे में मिरज से लाटूर के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में दो टायर वाले शयन-यान जोड़े जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में स‌्का की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 8 के० एल० कुरुडुवाडी-लातुर मिलीजुली गाड़ी और 5 एल० के० लातुर-कुरुडुवाडी मि‌ जुली गाड़ियों में दूसरे दर्जे के 2-टायर वाले शयन-यान लगाये गये हैं। जब इस प्रकार के और सवारी डिब्बे उपलब्ध हो जायेंगे तो 3 के० एम० कुरुडुवाडी-मिरज सवारी गाड़ी और 2 एम० के० मिरज-कुरुडुवाडी सवारी गाड़ियों में भी दूसरे दर्जे के 2-टायर वाले शयन-यान लगाने का प्रस्ताव है।

25 नवम्बर, 1973 को बक्सर और आरा स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान का समय

1015. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 नवम्बर, 1973 को 00.00 बजे से 10.00 बजे के बीच बक्सर और आरा स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों (डाउन) का आगमन और प्रस्थान का समय क्या था ;

(ख) क्या बक्सर रेलवे स्टेशन पर 25 नवम्बर, 1973 को बक्सर से आरा का कोई प्रथम श्रेणी का टिकट जारी किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका नम्बर और उसे जारी करने का अनुमानित समय क्या था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)—

	86 डाउन	16 डाउन	8 डाउन	68 डाउन	320 डाउन	400 डाउन
बक्सर पहुंच	1.28	1.57	6.22	8.15	8.30	9.27
छूट	1.36	2.05	6.30	8.23	8.38	9.39
					388 डाउन	
आरा पहुंच	2.45	3.20	7.27	9.32	—	—
छूट	2.49	3.25	7.32	9.37	7.57	—

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांशकुड़ा-हल्दिया 'लिंक' में बनाये गये स्टेशन

1016. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांशकुड़ा हल्दिया "लिंक" में कितने रेलवे स्टेशन बनाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कितनी लागत आई है ;

(ग) क्या इस "लिंक" में कोई यात्री गाड़ियां चलती हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 9 स्टेशन।

(ख) 8 लाख रुपये (औसतन)।

(ग) और (घ) यह लाइन यात्री यातायात के लिए अभी नहीं खोली गई है। इस खण्ड पर बिजली गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है जिसके लिए ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण तथा बिजलीकरण का काम पूरा करना आवश्यक है। ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण हो जाने तथा बिजलीकरण का काम पूरा होने के तुरन्त बाद ही पांशकुड़ा-हल्दिया खण्ड पर यात्री गाड़ियों का चलाया जाना शुरू कर दिया जायेगा।

'एल्कोहल' का उत्पादन

1017. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्कोहल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 50 मिलियन लिटर एल्कोहल के पूर्व अनुमान से अधिक एल्कोहल का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अल्कोहल की ऊंची कीमतों को देखते हुए क्या सरकार ने इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने और इसके गैर-औद्योगिक प्रयोग में मितव्ययिता करने की आवश्यकता अनुभव की है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हो तथा अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योग सुगमता से चल सके और एल्कोहल तथा शीरा का उपयुक्त वितरण हो।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1974 के दौरान औद्योगिक एल्कोहल का कोई आयात करने की अनुमति नहीं दी गई थी और वर्ष 1975 में इसका आयात करने के लिए न कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : एल्कोहल का उत्पादन शीरे की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो कि गन्ने की फसल पर निर्भर होता है। उपलब्ध शूगर मिल के शीरे से एल्कोहल का अधिकतम उत्पादन करने का विचार करते हुए 1972 में शीरा नियंत्रण आदेश 1961 के अन्तर्गत इस्तेमाल किए जाने वाले शीरे के नियत मूल्य के 33% से उत्पादकों द्वारा पर्याप्त भण्डार सुविधाओं की संरचना के लिए एक अलग निधि के निर्माण की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972 में रा-य सरकारों को सलाह दी है कि पेय इस्तेमाल की अपेक्षा औद्योगिक उपयोग के लिए एल्को ल आवंटन के लिए अग्रता प्रदान करें। 16 नवम्बर, 1974 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में अग्रता पर पुनः बल दिया गया था।

सरकार खण्डसारी शीरा या अन्य साधनों से एल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं की भी जांच कर रही है।

गैर-सरकारी कम्पनियों और व्यापार-गहों के लाभ

1018. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 और 1974-75 में लाभ कमाने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों, व्यापारिक गृहों अथवा फर्मों की सूची में (सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों के निगमों को छोड़कर) ऊपर के 100 नाम क्या-क्या हैं ; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में उन्हें कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1973-74 हेतु काफी संख्या में कम्पनियों से तुलन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 1974-75 हेतु तुलन-पत्र अभी देय नहीं हैं। जैसे ही वर्ष 1973-74 के तुलन-पत्र प्राप्त होंगें, उनका अध्ययन किया जाएगा और अपेक्षित सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

वैगन निर्माताओं को क्रयादेश देने में विलम्ब

1019. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने जिन 12,000 वैगनों के लिए हाल में निविदायें आमंत्रित की थीं, उनके लिए क्रयादेश अभी तक नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वैगन निर्माताओं द्वारा बताए गए मूल्य इस वर्ग मार्च तक के लिए वैध हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि निविदाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए आर्डर नहीं दिये जा सके।

(ग) और (घ) निविदाएं 16-12-1974 को खोली गयी थीं और वे 15-4-1975 तक वैध हैं। निविदाओं की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है और आर्डरों का दिया जाना और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Issue of Licences to Educated Unemployed to sell Drugs

1020. **Shri Dhan Shah Praddhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether he has under consideration a proposal whereunder the educated unemployed youth will be issued licences to sell drugs and they will also be given special concessions facilities and financial assistance in this connection; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken in this regard and the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) :

(a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Oil produced during 1973-74

1021. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total quantity of oil produced in the country during 1973-74;

(b) the places where oil was extracted;

(c) the number of new places where efforts are being made to find oil; and

(d) the potentialities of finding oil in the near future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) 7.19 million tonnes.

(b) From the already established oil fields in Gujarat and Assam.

(c) Mandapam in Tamil Nadu, Bakultala in West Bengal, Chattargam in Kashmir, Shumarwali Talai in Rajasthan Baramura in Tripura, Gopinathkila in Meghalaya are among the new places where efforts are being made, on land to find oil, besides the continental shelf in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal.

(d) This will depend upon the success in exploration in the areas mentioned above.

बम्बई बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम के अधीन 16 भूखण्डों का पट्टे पर दिया जाना

1022. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा, निविदा आमंत्रित किये बिना ही, बम्बई बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम के अधीन अभी हाल में 16 भूखण्डों को पट्टे पर दिये जाने की ओर विधि मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या भवन निर्माताओं और सरकारी व्यक्तियों द्वारा प्रति भूखण्ड लगभग 15 लाख रु० से 20 लाख रु० के बीच क्रमशः रिश्वत दिये जाने और लिये जाने के अभिकथन की ओर भी उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्पष्ट रूप से यह कहने की स्थिति में है कि इन 16 भूखण्डों में से कोई भी भूखण्ड अथवा उनका/उनके भाग संविधान के अनुच्छेद 297 के अधीन भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड में नहीं आता /आते;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी भूखण्डों को पट्टे पर देने की अनुमति राज्य सरकार को नहीं दी थी या उनको पट्टे पर देने के बारे में आपत्ति की थी अथवा न्यायालय में इस बारे में रिट याचिका में अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास किया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) बिना निविदा आमंत्रित किये बम्बई बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूखण्डों को पट्टे पर दिये जाने संबंधी कतिपय आरोपों की जानकारी मेरे मंत्रालय को उस रिट याचिका के जरिये हुई है जो श्री पीलू मोदी और अन्य द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में फाइल की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) वे विषय, जिन पर माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, श्री पीलू मोदी, संसद सदस्य और अन्य द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में फाइल की गई रिट याचिका (1974 की प्रकीर्ण याचिका सं० 519) की विषय-वस्तु हैं, जो न्यायाधीन है। उक्त याचिका के प्रत्यार्थियों में एक भारत का संघ भी है और इसके प्रतिनिधित्व के लिये कार्यवाही की जा चुकी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

काश्मीर घाटी में तेल और गैस के लिए खोज

1023. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ पिछले कई महीनों से काश्मीर घाटी में मुथासुकलम नामक स्थान पर गैस तथा तेल को खोजने के लिये पहले रिग के साथ कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस स्थान के अलावा घाटी में अन्य स्थानों पर खोज की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो अद्यतन प्राप्त किये गये परिणाम क्या हैं और इस बारे में भावी संभावना क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां। चटरगांव (सुयामुकलम) में अन्वेषों व्यधन के प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) जी हां। व्यधन के लिये तीन स्थान और दिये जा चुके हैं।

(ग) व्यधन कार्य अभी आरम्भ होना है और हाईड्रोकार्बन की संभावना का अभी मूल्यांकन होना है।

गत तीन मास में गाड़ियों की दुर्घटनायें

1024. श्री आर० वी० स्वामिनाथन् :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन मास में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 में कितनी दुर्घटनाएं हुई ;

(ग) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सियालदाह के निकट 29 जनवरी, 1975 की दुर्घटना सबसे गंभीर दुर्घटना थी और क्या इसके लिये रेल कर्मचारी उत्तरदायी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन बढ़ रही रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल **मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) भारतीय रेलों पर नवम्बर, 1974 से जनवरी 1975 तक की अवधि में उससे पिछले तीन महीनों अर्थात् अगस्त, 1974 से अक्तूबर, 1974 तक की तुलना में, गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटना और गाड़ियों में आग लगने की कोटि में आने वाली गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या कम रही है।

(ख) दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 में 150 गाड़ी दुर्घटनायें हुई।

(ग) ये दुर्घटनायें निम्नलिखित कारणों से हुई :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(1) मानवीय भूल	74
(2) उपस्कर की खराबी	26
(3) संयोगवश	8
(4) तोड़-फोड़	1
(5) कारण सिद्ध नहीं हो सका	2
(6) कारण अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुआ	39

(घ) 29-1-1975 को उल्टाडांगा रोड स्टेशन पर हुई दुर्घटना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई एक बड़ी दुर्घटना थी। रेल संरक्षा के अवर आयुक्त द्वारा की गयी सांविधिक जांच रिपोर्ट के परिणाम की प्रतीक्षा है।

(ङ) रेलों पर स्थापित संक्षार, गाड़ियों के चालन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा की चेतना पैदा करने और यह सुनिश्चित करने कि कर्मचारी संरक्षा नियमों की अवहेलना न करें या जल्दबाजी के तरीकों से काम न लें, सभी दुर्घटनाओं की पूरी-पूरी जांच की जाती है और इस बात के लिये आवश्यक उपाय किये जाते हैं कि उसी तरह की दुर्घटनायें फिर न हों। परिष्कृत सिंगनल, अंतर्पाशिल रेलपथ परिपथन आदि के रूप में यथासंभव तकनीकी सुधार भी किये गये हैं। अनेक दुर्घटनायें रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती के कारण भी होती हैं, इसलिये जनता के शिक्षण के लिये विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रचार अभियान भी चलाये जाते हैं।

कोयले की ढुलाई हेतु मुगलसराय से परे के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की सप्लाई

1025. **श्री एम० एस० बनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय से परे कोयले के लदान के लिये माल डिब्बों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में कोयले की अत्यधिक कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मुगलसराय से आगे पड़ने वाले गन्तव्य-स्थानों को कोयले का लदान करने के लिये, बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों द्वारा, माल-डिब्बों के लिये जो मांगें रेलों से की जाती हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। कोयले की उपलब्धता में उत्तरोत्तर सुधार होने से उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों को अधिक कोयला पहुंचाया जायेगा।

औषधि उद्योग संबंधी सम्मेलन

1026. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली आयोजित एक सम्मेलन में देश के उच्च वैज्ञानिक तथा अनुसंधान कर्ताओं द्वारा व्यक्त इस राय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि अगर सरकार आवश्यक राजनीतिक निश्चिय के साथ कार्य करे, तो विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किये बिना ही दो या तीन साल में विदेशी औषधि कम्पनियों पर भारत की निर्भरता को समाप्त किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध उद्योग की आर्थिक स्वाधीनता और सन्दर्भ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 21 और 22 दिसम्बर, 1974 को हुआ था, जिसमें आवश्यक औषधों का उत्पादन करने के लिये अनुसंधान और विकास के संबंध में

निम्नलिखित सिफारिशें की गई कि आवश्यक औषधों का उत्पादन करने और प्रौद्योगिकी दोनों में आत्मनिर्भर हों जो कि अपना उत्पादन करने के लिये अत्यावश्यक है :—

1. उन औषधों का उत्पादन करने में विशेषकर एन्टीबायोटिक्स और स्टेराइड के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाने चाहियें ताकि विश्व के विभिन्न भागों में उसके साथ प्रौद्योगिकी को समतुल्य किया जा सके।

2. कई सीमित मामलों में जहां प्रौद्योगिकी का आयात करना पड़ता है वहां इस प्रौद्योगिकी में सुधार करने और शोधन करने तथा और विकास करने के लिये आधार के रूप में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिये देशीय अनुसंधान और विकास की चेष्टा की जानी चाहिये।

3 अनुसंधान और विकास लेबोरेटरीज औषधों के लिये (i) नई वितरण प्रणाली के विकास को सबसे अधिक अग्रता प्रदान करना चाहिये जिससे उसके पार्शव प्रभावों को भी यथा वांछित औषधों की मात्रा को कम किया जा सकता है, (ii) क्रियाशील औषधों का विकास करें कि डाक्टरों के पास रोगियों की निरन्तर मांग को कम किया जाये और चिकित्सक रोगी अनुपात निकालने में सहायता मिल सके, (iii) देश में बड़े पैमाने पर उपयोग करने की दृष्टि से आयुर्वेदिक यूनानी और दवाईयों की अन्य देशीय प्रणालियों के 3 घरेलू उपचारों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

4. देश के अन्दर जिन इलाकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये औषधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उनमें नई औषधों का विकास करने के लिये और भेषज उद्योग का विकास करने के लिये जो प्रक्रिया अभिकल्प संकटकालीन महत्व का है उसके और रसायनिक प्रौद्योगिकी के उन इलाकों में जो सक्षमता का विकास करने देने के लिये देश में मौलिक अनुसंधान संबंधी चेष्टायें की जानी चाहियें।

5. देश में सूत्रयोग प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये विशेष बल दिया जाना चाहिये।

6. अनुसंधान और विकास प्रयत्न एक समेकित प्रयास होना चाहिये जिसमें देश की सारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों में समान रूप से भाग लेना चाहिये। यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रिड और केन्द्रीकृत अभिकरणों का विकास किया जाना चाहिये जो कि एक ओर इन प्रयोगशालाओं के लिये भेषज उद्योग की मूल आवश्यकताओं को फैला देगी और दूसरी ओर इन विभिन्न संगठनों द्वारा की जाने वाली अनुसंधान प्रयास का समन्वय करेगी।

7 केन्द्रीकृत सूचना और प्रलेख-पोषण केन्द्र की आवश्यकता है जो कि इस इलाके में बहुवांछित सूचना के प्रसार और संग्रह में बहुत मदद करेगा।

(ख) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1975 तक मिलने की आशा की जाती है और अनुसंधान तथा विकास और भारत में औषध उद्योग से संबंधित विकास के अन्य पहलुओं के बारे में और विदेशी औषध कंपनियों पर भारतीय निर्भरता को कम करने के लिये अगली कार्रवाई इसके बाद की जायेगी।

कर्नाटक राज्य में बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने सम्बन्धी परियोजनायें

1027. **डा० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में बड़ी लाइनों में बदलने संबंधी कितनी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन में से कितनी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और कितनी रेल परियोजनायें अभी भी पूरी की जानी हैं और उनके कब तक पूरे होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में आमान-परिवर्तन की कोई परियोजना मंजूर नहीं की गयी। किन्तु गुन्तकल्लु-बेंगलुरु आमान-परिवर्तन परियोजना पर जिसकी मंजूरी 1971 में दी गयी थी काम हो रहा है । इस परियोजना के पूरे होने का लक्ष्य तिथि दिसम्बर 1976 है, बशर्ते कि पर्याप्त रकम उपलब्ध होती रहे।

भारत में तेल की खोज करने में सहायता देने संबंधी ब्रिटिश प्रस्ताव

1028. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तट से दूर तेल की खोज संबंधी आंकड़ों की व्याख्या करने के कार्य में भारत को सहायता करने का ब्रिटेन ने प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में यदि कोई शर्तें है, तो उनका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस कार्य के लिये ब्रिटेन ने जो उपकरण देने का प्रस्ताव किया है, उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) इंगलैण्ड के ऊर्जा राज्य मंत्री लार्ड वालों के जनवरी 1975 में भारत के दौरे के दौरान तेल संबंधी मामलों में आपसी हितों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने भारतीयों के लिये इंगलैण्ड में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया और थोड़ी अवधि के लिये भारत में तेल अन्वेषण एवं उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता के लिये अपने विशेषज्ञ भेजने का भी प्रस्ताव किया।

(ग) प्रस्ताव में किसी प्रकार के उपकरण सप्लाई करना निहित नहीं।

तेल के मूल्य के बारे में कुवैत द्वारा घोषणा

1029. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार तेल के मूल्यों के बारे में पांच वर्षीय समझौता करने के लिये कुवैत और अन्य तेल उत्पादक देशों से आग्रह करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा उत्पन्न की गई औषधियों की कमी

1030. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि भारत स्थित विदेशी औषध निर्माता फर्मों और बड़े-बड़े व्यावसायिक गृहों ने औषधियों की बनावटी कमी उत्पन्न की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उक्त कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) देश में औषधों की आम कमी नहीं है। विशेष ब्रांडों के उत्पादकों की छुटपुट कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती हैं किन्तु अन्य उत्पादकों द्वारा उसी प्रकार के उत्पाद सामान्यता बाजार में उपलब्ध हैं। इस प्रकार की रिपोर्टों के प्राप्त होने पर मामलों पर संबंधित उत्पादकों के साथ बातचीत होती है, जिन्हें कमी वाले स्थानों को सप्लाई करने को कहा जाता है।

वास्तविक उपभोक्ताओं के वित्तीय संकट के कारण राज्य व्यापार निगम/आई डी पी एल द्वारा आयातित औषधों एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थों के कम स्टाक उठाये जाते हैं। ऋण में कटौती करने की समस्या के बारे में औषध उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में विचार किया गया था जिसमें बैंकिंग विभाग, राजस्व और बीमा विभाग तकनीकी विकास के महानिदेशक औषध नियंत्रक (भारत), भारतीय व्यापार निगम तथा आई डी पी एल के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। वहां पर यह स्पष्ट किया गया कि यदि अपने ऋण के वर्तमान प्रयोग तथा उसकी न्यायसंगतता को स्पष्ट कर दें तो कम्पनी को आवश्यक ऋण प्रदान किया जा सकता है।

Consumptioи, Production and Import of Petrol

1031. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total consumption of petrol in the country;

(b) the quantity of petrol imported from foreign countries to meet the demand; and

(c) the quantity of petrol produced in the country from various sources ?

Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) to (c) The total consumption of motor spirit in the country in 1974 was 1.26 million tonnes. The indigenous production during the same period was 1.29 million tonnes and no imports were made.

भारत से लिये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य

1033. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं; और

(ख) (एक) ईरान (दो) ईराक (तीन) अरेबिया और (चार) खाड़ी के अन्य देशों द्वारा भारत से क्या मूल्य लिये जाते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं हैं क्योंकि ये पृथक-पृथक बातचीत से तय किये जाते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव पर आधारित हैं।

(ख) ईरान, ईराक और साऊदी अरब से द्विपक्षीय आधार पर कच्चे तेल की सप्लाई जिसके लिए अब तक प्रबन्ध किये गये हैं, के मूल्य बताना जन हित में नहीं है । मूल्य जिस पर तेल कंपनियों द्वारा अशोधित तेल आयात किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं :--

कम्पनी का नाम	मूल्य डालर/ बैरल
बर्मा शैल (लाइट अरेबियन)	10.67
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (अरेबियन मिक्स)	10.42
काल्टैक्स (अरेबियन लाइट)	10.46

तेल की सप्लाई के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ करार

1034. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात भारत को आसान शर्तों पर तेल की सप्लाई करने को सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए करार की कुल मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की सप्लाई का प्रश्न विचार-विमर्श की प्रारंभिक अवस्था में है।

गैस सिलेंडरों की टूटी हुई सीलों के बारे में शिकायतें

1035. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली गैस के सिलेंडरों की सील टूटी पाई गई है; और

(ख) क्या गैस सिलेंडरों में गैस की जांच करने हेतु उसमें मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जहां तक इण्डियन आयल कारपोरेशन एवं बर्माशैल का सम्बन्ध है, फटे हुए गैस सिलेण्डरों की सप्लाई अथवा उपभोक्ताओं से टूंटी पर से सील वाले कागज के गुम होने के बारे में उपभोक्ताओं से छूट पुट शिकायतें मिली हैं। ईंधन गैस के सिलेण्डरों में स्वतः बन्द होने वाले वाल्व होते हैं जिनसे गैस नहीं निकलती और उसको नायलोन की पेच वाली ढक्कनों से वाल्व को सुरक्षित किया जाता है इसलिये कोई सील नहीं होती।

(ख) इण्डेन वितरकों को अनुदेश दिये गये है कि यदि उपभोक्ता बिना सील के सिलेण्डर नहीं लेते, सिलैण्डर को वापिस लिया जाना चाहिये तथा उपभोक्ताओं को सीलयुक्त सिलैण्डर सप्लाई किये जायें अपनी गैस की जांच करने के लिये सिलैण्डर स्वीकार करने से पूर्व उपभोक्ताओं को ऐसे सिलैण्डरों को तोल कर लेने पर जोर देना चाहिये।

उर्वरक संयंत्रों के निर्माण कार्य में प्रगति

1036. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान सरकार ने किसी नये उर्वरक संयंत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या पिछले अनेक वर्षों से कोई संयंत्रों का निर्माण कार्य अभी भी विभिन्न स्तरों में चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों के पूरे होने में धीमी गति से कार्य होने का क्या कारण है और इन संयंत्रों को तीव्रगति से पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 1975 के दौरान सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वियन के लिये एक नये उर्वरक प्रायोजना को स्वीकृति दी गई है। प्रायोजना, जिसे पानीपत में स्थापित किया जायेगा, की यूरिया के रूप में 2.35 लाख मी० टन नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता होगी। विदेशी मुद्रा घटक के साथ प्रायोजना की अनुमानित लागत 139.72 करोड़ रुपया होगी तथा यह ईंधन तेल के सम्भरण माल पर आधारित होगा।

(ग) और (घ) जी हां। आयातित एवं देशीय उपकरणों की डिलीवरी में विलम्ब, श्रमिक अशांति आदि के कारण मुख्यतः प्रायोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन की निरन्तर रूप से देख रेख की जा रही है तथा उनके शीघ्र पूर्ण करने के लिये यथा संभव सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

तेल की खोज के लिए ब्रिटेन द्वारा नई प्राद्योगिकी उपलब्ध करने की पेशकश

1037. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने देश में तेल की खोज के लिये नई प्राद्योगिकी उपलब्ध करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) जनवरी 1975 में यू० के० के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री लर्ड वालोघ के भारत यात्रा के दौरान तेल स्थिति से संबंधित पारस्परिक हितों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने भारतीयों को यू० के० में प्रशिक्षण देने और अपने विशेषज्ञों को भारत में अल्प अवधि के लिये तेल अन्वेषणों एवं उत्पादन में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु सुविधायें देने का प्रस्ताव रखा।

बर्मा शैल और काल्टैक्स को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में बातचीत

1038. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बर्मा शैल और काल्टेक्स दो विदेशी तेल कंपनियों के प्रबन्धकों के साथ इन कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कब बातचीत आरम्भ की थी;

(ख) इस बातचीत को अंतिम रूप देने में इतना समय लगने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लेगी;

(घ) क्या यह कहा गया है कि इन कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेने के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय न लेने और नौकरशाही के कारण होने वाले विलम्ब से इस देश में शोधन क्षमता के क्षेत्र में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) पिछले वर्ष के अंतिम भाग में बर्मा शैल और कालटैक्स के साथ होने वाली वातचीत अभी प्रगति पर है। इस समय कोई और विवरण देना असामयिक होगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1972 तथा 1973 के दौरान कम्पनियों की निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं पर की गयी कार्यवाही

1040. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनकी निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा मई 1972 तथा 1973 में रिपोर्ट दी गई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : कम्पनियों की निर्बंधनकारी व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने 1972 और 1973 के सालों की अवधि में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 37 के अन्तर्गत आयोग उपक्रमों द्वारा ग्रस्त निर्बन्धनकारी व्यापार

प्रथाओं में जांचों के विषय में अधिदेशक शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिये इस मामले में सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस संबंध में सदस्य महोदय का ध्यान दिनांक 18-2-1975 की अतारांकित प्रश्न संख्या 13 में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

रेलवे द्वारा हड़ताल के कारण हुए घाटे का पूरा किया जाना

1041. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में हुई हड़ताल के कारण हुए घाटे को रेलवे पूरा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी मफलता मिली है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। राजस्व उपार्जक प्रारंभिक मीटरिक टन भार में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल, और मई, 1974 में 55 लाख मीटरिक टन की कमी हुई थी। इसमें अब काफी सुधार हुआ है और जनवरी, 1975 के अंत में स्थिति यह थी कि पिछले वर्ष के तदनुरूपी दस महीनों की तुलना में रेलों द्वारा 68 लाख मीटरिक टन की अधिक ढुलाई की गयी।

जहां तक यात्री यातायात का संबंध है। मई, 1973 की तुलना में मई, 1974 में प्रारंभिक यात्रियों की संख्या में 46.8 प्रतिशत की कमी हुई है। बाद के महीनों में गिरावट के इस रुख में कुछ कमी हुई और दिसम्बर 1974 तथा जनवरी, 1975 में इस रुख में सुधार दिखाई देने लगा। जनवरी, 1975 के अंत में स्थिति यह थी कि लगभग 9.8 प्रतिशत की ही कमी हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मई, 1974 तक 26.8 प्रतिशत की कमी हुई थी।

बंगलौर-गुंटकल लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना

1042. **श्री के० मालन्ना :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार वर्ष पूर्व आरम्भ हुई बंगलौर-गुंटकल लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने के कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या ब्राडगेज मैसूर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को स्थगित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों की योजना-परिव्यय में कटौती किये जाने के कारण चालू वर्ष की निधियों के आवंटन में कुछ कमी हुई है। अतः इस परियोजना के पूरे होने की लक्ष्य-तिथि के स्थगित होने की संभावना है।

(ख) और (ग) आमान परिवर्तन की इस परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। रिपोर्टों पर सभी दृष्टियों से विचार कर लेने के बाद कोई विनिश्चय किया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो।

तेल मूल्यों के बारे में सऊदी अरब के तेल मंत्री के साथ हुई बातचीत

1043. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सऊदी अरब के तेल मंत्री ने यह संकेत दिया है कि उनका देश तेल मूल्यों को कम करना और उनको लंबे समय तक स्थिर रखना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बात-चीत का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सऊदी अरब तेल कीमतों में स्थिरता के पक्ष में है। सऊदी अरब के तेल मंत्री के साथ विचार विमर्श अन्वेषी प्राकृतिक का तथा और दोनों देशों की आर्थिक सहयोग की विभिन्न संभावनाओं पर हुआ था ।

पैट्रोलियम और रसायन की जमाखोरी, मिलावट और चोर-बाजारी के मामले

1044. **श्रीमती भर्गवी तनकप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान पेट्रोलियम और रसायन की जमाखोरी, मिलावट तथा चोर-बाजारी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अवधि के दौरान राज्यवार, इस को रोकने और दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा प्रत्येक मामलों में क्या दंड दिया गया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) वर्ष 1974 में पेट्रोलियम और रसायनों की जमाखोरी अपमिश्रण और चोर-बाजारी के मामलों में कोई वृद्धि हुई है उस संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि जमाखोरी और चोरबाजारी पर राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाता है। जहां तक कि अपमिश्रण का संबंध है निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(1) राज्य सरकारों की संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि पेट्रोल पम्पों से बेचे गए पेट्रोल के आवधिक सैम्पुल की जांच को सुनिश्चित करें और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाही करें।

(2) पेट्रोल में मिट्टी के तेल का अपमिश्रण का पता लगाने के लिये ब्लाटिंग पेपर परीक्षण का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(3) तेल कंपनियों से भी इस प्रकार की जांचों का प्रयोग करते रहने के अनुदेश दिये जा चुके हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्दर अधिकतम बिक्री मूल्यों को नियत किया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये नियमों, आदेशों आदि को लागू करने के लिये और उनका उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों पर अभियोग चलाने के लिये

राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की हैं। वर्ष 1974 में पता चले उल्लंघन, चलाये गये अभियोगों और ऐसे हर मामलों में दी गई सजा के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Dacoity in Upper India Express

1045. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have seen press reports that a dacoity was committed and four passengers were murdered in the running Delhi-bound Upper India Express, 50 Kilometres from Allahabad, on the 21st December, 1974; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes. On the night of the 20th December, 1974 a dacoity was committed in 13 Up Upper India Express between Bharwari and Sujatpur stations of the Allahabad Division. One passenger was killed and five others were injured.

(b) The Government Railway Police, Allahabad, has registered this case. So far, 5 accused persons have been arrested. 12 wrist watches and almost all the looted ornaments have been recovered. Police investigation continues.

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड आफ ट्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में यांत्रिक खराबी

1046. **श्री बयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के कोचीन डिवीजन में अभी भी काम बार-बार रुक जाता है तथा वहां यांत्रिक खराबी भी रहती है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है तथा इन दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि इन त्रुटियों तथा खराबियों के कारणों की जांच की जानी चाहिये और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) जी हां, यद्यपि यांत्रिक खराबियों के कारण उत्पादन में होने वाली बाधायें काफी कम की जा चुकी हैं। बेकार जाने वाली ताप की प्रति प्राप्ति सिस्टम में एवं अमोनिया संश्लेषण विभाग कठिनाइयों के कारण होने वाली बाधायें अभी भी होती है। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये किये गये संशोधन कार्यान्वियनाधीन है।

(ग) जी नहीं।

नए रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण

1047. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन मार्गों को लेने का विचार है; तथा जिन मार्गों पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है वह किस चरण पर है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायें तो पांचवी योजना में निम्नलिखित खंडों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है

1. टूंडला — दिल्ली
2. वालतेरु -- किरंडुल
3. मद्रास — विजयवाड़ा
4. मद्रास — तिरुवल्लूर
5. भुसावल — दुर्ग

फिलहाल जिन खंडों में बिजली लगायी जा रही है उनकी प्रगिति इस प्रकार है ::—

विरार -- अहमदाबाद	99 प्रतिशत
पांशकुडा — हल्दिया	85 प्रतिशत
टूंडला — दिल्ली	50 प्रतिशत
वाल्तेरु — किरंडुल	29 प्रतिशत
विजयवाड़ा — मद्रास	9 प्रतिशत
मद्रास — तिरुवल्लूर	3 प्रतिशत
भुसावल — दुर्ग	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के लिये भूमि अधिग्रहण

1048. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के निर्माण के बारे में भूमि का अधिग्रहण करने के लिये रेलवे को कोई कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ठेके के अनुसार जिन दो खण्डों पर काम चल रहा है उनके संबंध में प्रभावित काश्तकारों को फिर से बसाने की समस्या के कारण भूमि के कुछ प्लाट के अधिग्रहण में कुछ विलम्ब हुआ है।

दूसरे खण्डों के संबंध में, जहां अभी काम शुरू नहीं हुआ, 17 मामले अदालत में चल रहे हैं जो प्रभावित व्यक्तियों ने 405 हेक्टेयर भूमि के लिये चलाये हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लेकर विदेशी मुद्रा की बचत

1049. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विदेशी तेल फार्मों को पूर्णतया अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों की मुख्य बातें क्या हैं और इन्हें कब तक नियंत्रण में ले लिया जायेगा;

(ग) इन कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) उक्त कम्पनियों को अदा किये जाने वाले मुआवजे का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) इस संबंध में बर्मा-शैल तथा काल्टैक्स से बातचीत प्रगति पर है। वर्तमान में किसी प्रकार के ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

Foreign Exchange spent on import of Crude oil

1050. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange spent on the import of crude oil during 1972 and the total amount thereof that will be required for its import during 1974-75, the first year of the Fifth Plan; and

(b) the extent to which the import of oil will be reduced this year vis-a-vis last year in view of the heavy amount of foreign exchange involved thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) Rs. 144.25 crores were spent for the import of 12.3 million tonnes of crude oil in 1972. According to the availability of foreign exchange, crude oil import for 1974-75 is estimated to be of the order of 13.9 million tonnes at an estimated out-go of foreign exchange of Rs. 907 crores.

(b) The import of crude oil during 1974-75 is estimated to be about 0.17 million tonnes less than the last year.

विद्युत कर्षण (इलैक्ट्रिक ट्रेक्शन) के लिये निर्धारित लक्ष्य

1051. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग विद्युत कर्षण (इलैक्ट्रिक ट्रेशन) का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) क्या नासिक में वर्ष 1977 तक रेलवे ट्रेशन मोटरें बनाने संबंधी परियोजना भी स्थगित कर दी गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) लागत में वृद्धि और वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण हो सकता है, पांचवीं योजना में 1800 किलोमीटर में बिजलीकरण के प्रस्तावित योजना-लक्ष्य की पूर्ति न हो सके। पंचवर्षीय योजना के मसौदा प्रलेख में 120 करोड़ रुपये के परिव्यय की संभावना है।

(घ) इस परियोजना की तकनीकी दृष्टि से फिर से जांच की जा रही है।

जीवन दायिनी औषधियों के निर्माण के लिये विदेशी कम्पनियों को स्वीकृति देना

1052. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ विदेशी कम्पनियों को भारतीय सहयोग से जीवन दायिनी औषधियों के निर्माण की अनुमति देने की बात सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बिना विदेशी सहयोग के इन औषधियों को बनाने के लिये स्वदेशी अनुसंधान का विकास करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1975 में प्राप्त होने की संभावना है। अन्य बातों के साथ-साथ इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

> **"औषध उद्योग और विशेष रूप से भारतीय तथा लघु पैमाने के उद्योग क्षेत्रों को तेजी से वृद्धि करने के बारे में सिफारिशें करना अपनी सिफारिशें करते समय समिति इस उद्योग की संतुलित क्षेत्रीय स्थापना की जरूरत पर ध्यान रखेगी।**
>
> **उद्योग में नई प्रौद्योगिकी को लाने के लिये वर्तमान व्यवस्थाओं की जांच करना और उसके लिये सिफारिशें करना।"**

जातीय नामों द्वारा औषधों के ब्रांड नामों के बदले में इस्तेमाल करने वाले नामों की पहलू सहित आम जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सामान्य घरेलू दवाइयां और आवश्यक औषध देने के लिये उपायों पर समिति की रिपोर्ट हाल में प्राप्त हुई है और सरकार के विचाराधीन है।

7 LSS/75—5

अम्बाला-दिल्ली रेलगाड़ी में डकैती

1053. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1975 को सशस्त्र डाकुओं ने 332 डाउन अम्बाला-दिल्ली रेलगाड़ी में यात्रियों को लूटा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। 27 जनवरी, 1975 को मेरठ-गाज़ियाबाद खण्ड के खतौली और सकौती टांड स्टेशनों के बीच 332 डाउन गाड़ी में डकैती पड़ी थी।

(ख) (1) अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(2) संविधान के अधीन, कानून और व्यवस्था बनाये रखने और रेलों में अपराधों की रोक-थाम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिसे वह सरकारी रेलवे पुलिस के माध्यम से निभाती है ।

सरकारी रेलवे पुलिस यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और इसके लिए रात के समय महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था की जाती है, स्टेशनों प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में नियमित रूप से गश्त लगायी जाती है, अपराधियों और ज्ञात बदमाशों पर नज़र रखी जाती है, निर्दिष्ट अपराधों के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है और जहां पर्याप्त आधार होता है, इस तरह के अपराधों में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी गिरफ्तार किया जाता है। यात्रियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति से संबंधित मामलों को पंजीकृत किया जाता है और सरकारी रेलवे पुलिस उनकी छानबीन करती है तथा चोरी की गई सम्पत्ति को बरामद करने और अपेक्षित कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे उसके मालिक को लौटाने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

बम्बई तटदूर तेल क्षेत्र को पाकिस्तान से खतरे का समाचार

1054. **श्री समर गुह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बम्बई के तटदूर तेल क्षेत्र को पाकिस्तान से खतरे के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) तेल क्षेत्र से सम्बद्ध मशीनों तथा अन्य प्रबन्धों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) कुछ रिपोर्टें समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई हैं। फिर भी तेल क्षेत्रों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जब कभी भी आवश्यकता होने पर सावधानी बरतने के लिए उपाय किए जायेंगे।

चुनावों में काले धन के उपयोग तथा विदेशी प्रभाव को रोकने के लिये कार्यवाही

1055. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों में काले धन के उपयोग को, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य के माध्यम से विदेशी प्रभाव को और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी धन के उपयोग को रोकने के लिये कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : सरकार को निर्वाचन में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए उस व्यय की बाबत ही जानकारी है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन ऐसे व्यय के लेखे में दर्शित किया गया है। जहां तक निर्वाचनों में विदेशी धन और प्रभाव के उपयोग का संबंध है, विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक 1973 का, जो राज्य सभा में 24 दिसम्बर, 1973 को पुरःस्थापित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ यह आशय भी है कि कुछ व्यक्तियों, संगठनों अथवा अन्य एसोसियेशनों द्वारा, जिनके अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और राजनैतिक दल भी हैं, विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने तथा उसके उपयोग का विनिमयन किया जाए।

गुरुवाय्यूर होते हुए त्रिचूर और कुट्टीपरम के बीच प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण

1056. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गुरुवाय्यूर को त्रिचूर और कुट्टीपुरम से सम्बद्ध करने के लिये प्रस्तावित रेल लाइन के लिये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस लाइन को बिछाने का निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) 86,421 रुपये की लागत पर गुरुवाय्यूर के रास्ते कुट्टपुरम से त्रिचूर तक एक रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इस प्रस्ताव पर आगे तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल नहीं जाती और उसकी जांच नहीं कर ली जाती ।

भारत में विदेशी कम्पनियां

1057. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चल रही पूर्णतया विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा संख्या कितनी हैं जिनमें विदेशों के 75 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं ;

(ग) 60 तथा 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों की संख्या कितनी हैं ; और

(घ) पांचवीं योजना के दौरान इनका शनै-शनै भारतीयकरण करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) 31-3-1973 तक विदेशी कम्पनियों की भारतीय नियंत्रणाधीन तथा उनमें विदेशी होल्डिंग कम्पनियों द्वारा धारित पूंजी के प्रतिशत के अनुसार, नाम निम्न प्रकार दिये जाते हैं :--

	संख्या
1. पूर्ण स्वामित्वी कम्पनियां. . .	88
2. कम्पनियां जिसमें पूंजी का 75 प्रतिशत से अधिक किन्तु 100 प्रतिशत की अपेक्षा कम विदेशी होल्डिंग कम्पनियां द्वारा धारित हैं । . .	26
3. कम्पनियां जिसमें पूंजी का 60 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक विदेशी होल्डिंग द्वारा धारित है । .	35
4. कम्पनियां जिसमें पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत तक विदेशी होल्डिंग कम्पनियों द्वारा धारित है । . . .	53

पूर्ण विदेशी स्वामित्वी कम्पनियां और वे जिनका 75 प्रतिशत विदेशी होल्डिंग सहित के नाम अनुलग्न विवरणपत्र में दिये जाते हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8997/75]

(घ) इन कम्पनियों के भारतीयकरण के सम्बन्ध में सरकारी नीति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा जारी किये गये विदेशी मुद्रा विनियम, अधिनियम 1973 की धारा 29 के लागूकरण हेतु संदर्शिका में वर्णित की गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8997/75]

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी तथा गोल्डन राक वर्कशाप में उत्पादन घटाने का प्रस्ताव

1058. **श्री हरी सिंह :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री तथा गोल्डन राक वर्कशाप के उत्पादन घटाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कारखाने में उत्पादन धन के आवंटन पर निर्भर करता है। श्रम की लागत और सामान की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण कारखानों के शुद्ध प्रभावी उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता पड़ गयी है ।

इन दो कारखानों में उपलब्ध कर्मचारियों और सुविधाओं को अन्य कामों में लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

1059. **श्री बी० मायावन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या पहली जनवरी, 1975 से भारत जैसे उपभोक्ता देशों को अशोधित तेल का प्रति बैरल मूल्य अधिक देना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो ओ० पी० ई० सी० देशों द्वारा दिसम्बर, 1974 में वियाना में क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) इसका भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) . (क) 1 जनवरी, 1975 से तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

(ख) दिसम्बर 1974 को वीएना में हुई ओ० ई० पी.० सी० (तेल उत्पादक निर्यात देश) सम्मेलन में इस प्रकार के अशोधित तेल के मूल्य निर्धारित नहीं किए थे परन्तु मार्टेक अशोधित तेल के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले मूल्य, डालर 9.74/प्रति बेरल में डालर 10.12/-प्रति बेरल तक प्रति बेरल 38 सेन्ट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था ।

(ग) दिसम्बर, 1974 को बीएना में ओ० पी० ई० सी० सम्मेलन के बाद में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित अशोधित तेल के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि 40 प्रतिशत/प्रति बेरल द्वारा विभिन्न अशोधित तेलों के दर्ज मूल्यों में कमी के कारण सरकार से सरकार के आधार पर आयात किए जाने वाले अशोधित तेल के मूल्यों में कमी हुई है।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल का नियतन

1061. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, नवम्बर, तथा दिसम्बर, 1975 और जनवरी, 1975 में उड़ीसा को क्रमशः कितते मिट्टी के तेल का नियतन किया गया ;

(ख) क्या उड़ीसा ने यह पूरा कोटा उठाया था ; और

(ग) शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को पृथक-पृथक इस तेल का वितरण किस प्रतिशतता से किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अक्तूबर, 1974 से जनवरी 1975 तक आवंटन निम्नलिखित था :—

मास	आवंटन मि० मीटरी टन में
अक्तूबर, 1974	4,750
नवम्बर, 1974	5,653
दिसम्बर, 1974	5,873
जनवरी, 1975	5,750

(ख) जी, नहीं। राजकीय कोटे का विभिन्न जिलों में आवंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तेल कम्पनियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भेजी गई सप्लाई का कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

(ग) सामान्य मूल्यांकन के आधार पर आवंटन का 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र को और शेष ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई कर दिया जाता है।

Consumption of different Petroleum products

1063. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the quantity of actual consumption of petrol, diesel, kerosene oil, furnace oil and cooking gas in the country between July and December, 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : Approximate actual sales of petrol, diesel, kerosene oil, furnace oil and cooking gas in the country between July and December, 1974 is as below : —

Product	Quantity (Provisional ('000 tonnes)
1. Petrol	617.0
2. HSD	3137.8
3. LDO	542.4
4. Kerosene Oil	1393.7
5. Fuel Oil	2781.1
6. Cooking Gas (LPG)	140.6

मई 1974 की आम हड़ताल के बाद से रेलवे की कार्यचलन दक्षता

1064. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1974 की रेल कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से रेलवे की कार्यचालन दक्षता में क्या परिवर्तन दिखाई दिये हैं ;

(ख) क्या कर्मचारी अनुशासन, बैगनों के आवागमन, चोरियों की स्थिति में सुधार हुआ है अथव स्थिति खराब हुई है ; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) हड़ताल के बाद रेलों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए किये गये कई उपायों के फलस्वरूप माल यातायात के लदान में लगातार सुधार होता जा रहा है जो उपलब्ध आंकड़ों से देखा जा सकता है । मई में बड़ी लाइन पर प्रारम्भिक माल यातायात के लदान का दैनिक औसत 16,527 मालडिब्बों से बढ़कर जनवरी, 1975 में 23,179 माल डिब्बा हो गया और इसी अवधि में मीटर लाइन पर प्रतिदिन 3,648 माल डिब्बों से बढ़कर 5,780 मालडिब्बे हो गया । मालडिब्बा के एक फेरे में लगने वाला समय बड़ी लाइन पर मई, 1974 में 19.2 दिन से घटकर दिसम्बर, 1974 में 13.8 दिन रह गया और मीटर लाइन पर 17.7 दिन से घटकर 11.2 दिन रह गया है । प्रति मालडिब्बों दिन किलोमीटर के हिसाब से माल डिब्बों की गतिशीलता बड़ी लाइन पर मई, 1974 में 53.5 से बढ़कर नवम्बर, 1974 में 73.7 और मीटरे लाइन पर 40.4 से बढ़कर 56.2 हो गई है ।

प्रतिमाल डिब्बा दिन शुद्ध मीटरिक टन कि० मी० में भी इसी तरह का सुधार दिखायी दे रहा है। इंजनों के उपयोग में सुधार हुआ है । लाइन पर इंजन किलोमीटर प्रति इंजन दिन भी मई, 1974 में बड़ी लाइन पर 109 से बढ़कर नवम्बर, 1974 में 159 और मीटर लाइन पर 78 से बढ़कर 119 हो गया है।

कर्मचारी अनुशासन में प्रत्यक्ष रूप से सु ार हुआ है । फिर भी, रेलों पर चोरी और उठायीगीरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है जो बिहार में कानून और व्यवस्था की गिरती हालत, खाद्यान्नों की कमी और आवश्यक वस्तु की ऊंची कीमतों आदि के कारण है ।

बंगला देश होकर खोवाई टाउन पहाड़मुरा के लिये रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

1065. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा राज्य में खोवाई सब-डिवीजन की मर्चेन्ट एसोसिएशन की ओर से बंगला देश हो कर खोवाई टाउन अथवा पहाड़मुरा के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का उसके लिए सर्वेक्षण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) बंगला देश के रास्ते खोवाई टाउन या पहाड़मुरा तक रेलवे लाइन बनाने के संबंध में इस प्रकार के अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब इसके लिए अनुरोध विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हो अथवा इसे बंगला देश की सरकार की ओर से प्रायोजित किया जाये जैसा कि अखौरा (बंगला देश में) से अगरतला तक और बेलोनिया (बंगला देश में) से त्रिपुरा में बेलोनिया टाउन तक रेल लाइन बिछाने के मामले में किया गया है ।

तेल निर्यातकर्ता देशों से वार्ता में भारत का भाग लेना

1066. **श्री निम्बालकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के मुख्य तेल निर्यातकर्ता देशों में अलजिरियस में हुई एक बैठक में घोषणा की है कि वे तेल उपभोक्ता देशों से, फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार वार्ता करने के लिए तैयार हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार का विचार उस वार्ता में भाग लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत वहां क्या रुख अपनायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अलजेरिया पर तेल उत्पादक एंव अन्वेषक देशों की बैठक में औद्योगीकृत देशों तथा अन्य विकासशील देशों के बीच विचार विमर्श का स्वागत किया गया है तथा वे फ्रांस द्वारा प्रस्तावित अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गये हैं जो कच्चे माल एवं विकास सम्बन्धी कार्य करते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सम्मेलन में सहयोग एवं आपसी मतैक्य की भावना में भाग लेना हमारा प्रमुख दृष्टिकोण है ।

श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के बाद रेलवे कर्मचारियों द्वारा पटाखे चलाये जाने संबंधी मामले की जांच

1067. **श्री प्रियरंजन दास मन्शी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आकाशवाणी द्वारा श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु का समाचार प्रसारित किये जाने के बाद कलकत्ता में पूर्व रेलवे के फेयरली प्लेस मुख्यालय में कुछ रेलवे कर्मचारियों ने पटाखे चलाये थे और विजय मनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो ये कर्मचारी कौन थे ; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी ;

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फेयरली प्लेस, कलकत्ता स्थित पूर्व रेलवे के मुख्यालय की इमारत में कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

29 जनवरी, 1975 को उल्टाडांगा में हुई रेल दुर्घटना के कारण सम्पत्ति को हानि

1068. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 29 जनवरी, 1975 को दार्जिलिंग मेल और एक इलैक्ट्रिक रेलगाड़ी के बीच हुई दुर्घटना के परिणामस्वरुप कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेल सम्पत्ति को लगभग 1,72,400 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

राजगिर और गया के बीच रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण

1069. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगिर और गया के बीच प्रस्तावित रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो उक्त सर्वेक्षण के कब तक पूरा होने की संम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) धन की कमी के कारण चालू वित्तीय वर्ष में इस सर्वेक्षण को शुरु करना सम्भव नहीं हो पाया है । अब इस काम को 1975-76 में शुरु करने का प्रस्ताव है । सर्वेक्षण पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगेगा ।

दो करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन करने संबंधी शर्त का भारतीय फर्मों पर प्रभाव

1070. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो करोड़ रुपये की कीमत का वार्षिक उत्पादन तथा आम प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियों के अनिवार्य उत्पादन की नीति से कितनी भारतीय फर्में बुरी तरह प्रभावित हुई ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय फर्मों के कितने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये तथा उनको अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन शर्तों के प्रचलन के कारण भारतीय फर्मों ने अन्य नये प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस नीति का पुनरीक्षण करने तथा इसे अधिक उदार बनाने है, और यदि हां तो उसकी मोटी रुपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ग) और (घ) औद्योगिक विकास मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी 1973 की अधिसूचना में सरकार द्वारा घोषित की गई औद्योगिक लाइसेंस नीति में इस प्रकार की किसी शर्त का उल्लेख नहीं है। तथापि, औषध एवं भेषजों के लिये उद्योग लाइसेंस देने के लिये पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच के लिये कुछ कार्यकरण सिद्धान्त बनाये गये थे। जिसकी एक प्रति लोक सभा के दिनांक 18-2-75 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के साथ, भेजी जा चुकी है। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये प्रपुंज औषधों के निर्माण को प्रात्साहन देने की जरुरत पर बल दिया गया है। भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांतों की समीक्षा की जा रही है।

(ख) 1972-1973 तथा 1974 (दिसम्बर, 1974) के वर्षों के दौरान प्राप्त हुए लेकिन अस्वीकार किये गयें आवेदन पत्रों का ब्योरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०–8998/75]

सोवियत संघ की सहायता से तेल का उत्पादन

1071. **श्री विजय पाल सिंह :**
श्री मधु दंडवते :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ की सहायता से तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार का प्रयत्न देश में तेल उत्पादन को बढ़ावा देने का है । इस क्षेत्र में भारत और रूस का सहयोग निरंतर बना रहा है सोवियत संघ उपकरण, प्रशिक्षण सुविधा तथा विशेषज्ञों के रूप में सहायता प्रदान करता है ।

मैसर्स रप्टाकोस ब्रेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड बम्बई के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री एस० एम० रुइया की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र

1072. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स रप्टाकोस ब्रेट एण्ड को० लिमिटेड, बम्बई ने उस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री एस० एम० रुइया की नियुक्ति करने के बारे में एक आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य ने मंत्रालय द्वारा इस नियुक्ति का अनुमोदन किये जाने के बारे में विरोध किया है क्योंकि श्री रुइया पहले ही बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान् जी

(ख) हां, श्रीमान जी ।

(ग) कम्पनी का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

झंझारपुर-लौकाहा बाजार रेल लाइन का निर्माण

1073. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झंझारपुर-लौकाहा बाजार रेल लाइन का निर्माण इस बीच कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ियां कब से चलाई जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस लाइन का निर्माण अभी जारी है ।

(ख) इस लाइन का काम पूरा करने की निर्धारित तारीख जून, 1975 है ।

ब्राडगेज लाइन का समस्तीपुर-दरभंगा से रक्सौल तक विस्तार

1074. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा ब्राडगेज लाइन को रक्सौल तक बढ़ाने के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) समस्तीपुर दरभंगा मीटर लाइन खंण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है । रेलवे से प्राप्त सारांश अनुमानों पर विचार किया जा रहा है ।

दरभंगा से आगे, रक्सौल तक आमान परिवर्तन के संबंध में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है ताकि यह विनिश्चय किया जा सके कि इस मार्ग का आमान परिवर्तन किया या विकल्प के रूप में मुजफरपुर रक्सोल लाइन का आमान परिवर्तन करने का औचित्य होगा । जब यह अध्ययन पूरा हो जायेगा और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा तभी इस संबंध में कोई विनिश्चय किया जाएगा ।

मार्टिन रेलवे के स्थान पर बड़ी लाईन (ब्राडगेज) बिछाने के संबंध में निर्धारित राशि

1075. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मार्टिन रेल के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए पूर्ण वित्तपोषण करने को सहमत हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है और क्या भूमि के अधिग्रहण का कार्य हाथ में ले लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) स्पष्टतः आशाय चंपाडांगां से बड़गछिया शाखा लाइन सहित हावड़ा-आमता तक एक बड़ी लाइन के निर्माण से है । राज्य सरकार इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि की लागत उठाने के लिए सहमत हो गयी है और बाकी लागत रेलवे विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

(ख) चालू वत्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किये गये है। राज्य सरकार को पहले ही इस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के लिए कहा जा चुका है ।

प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां

1076. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी कितनी है ; और

(ख) अद्यतन संशोधित कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कितनी पब्लिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को शामिल किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) देश में 31–3–74 तक 31161 प्राइवेट लिमिटेड तथा 7174 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां कार्यरत थीं।

ये सभी कम्पनियां अद्यतन संशोधित कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत समाश्रित हैं।

ट्रैफिक एकाउन्टस, दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे कर्मचारियों का तबादला

1078. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के ट्रैफिक एकाउन्टस विभाग में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन का इस कारण से दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया गया है जिन्होंने सहायक लेखा अधिकारी द्वारा अशिष्ट भाषा का प्रयोग किये जाने तथा उप-मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात) (डिप्टी सी० ए० ओ० टी०) द्वारा प्रवेश द्वार पर दफ्तर के समय से पूर्व गेट बन्द किये जाने के विरुद्ध 10–1–1975 और 14–1–1975 के बीच विरोध प्रकट करने हेतु शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यह आरोप कि सहायक लेखा अधिकारी द्वारा शिष्ट भाषा का इस्तेमाल हुआ, तथ्य अन्वेषण जांच में प्रमाणित नहीं हो पाया। कार्यालय के समय से पहले प्रवेश द्वार भी बंद नहीं किये गये। प्रशासन के इस आग्रह के विरुद्ध कि कर्मचारी समय से काम पर आयें, कार्यालय के ही परिसर में नारे बाजी का प्रदर्शन हुआ। दो लिपिकों को जिन्होंने इस प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जनहित में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

केरल में एफ० ए० सी० टी० के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सहायक एकक

1079. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एफ० ए० सी० टी० के अन्तर्गत कितने सहायक एकक स्थापित किये जाने हैं तथा प्रत्येक एकक का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1974–75 के दौरान इस कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा उनमें से प्रत्येक एकक में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख जबकि फैक्ट के पास अपने प्रबन्ध के अंतर्गत किसी सहायक एकक को आरंम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है, दूसरों के द्वारा अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना की गई है जो फैक्ट से प्राप्त औक्सीजन कार्बन मोनोक्साईड कार्बनडीआक्साईड, अमोनिया आदि जैसे उपोत्पादों तथा मध्यवर्ती पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं।

कोचीन स्थित फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर यूनिट के द्वितीय चरण के कार्य में प्रगति

1080. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर यूनिट के द्वितीय चरण के कार्य में कितनी प्रगित हुई है ; और

(ख) इस यूनिट में किस तारीख तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है तथा मशीनरी स्थापित करने के दौरान कड़ा निरीक्षण करने हेतु की गयी कार्यवाही की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ताकि प्रथम चरण के कार्य में अनुभव की गई कठिनाइयों की पुनरावृत्ति न हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विभिन्न संयंत्रों के निर्माण तथा उनके प्रतिस्थापन की प्रगति निम्नलिखित हैं :—

(i) **सल्फूरिक एसिड प्लांट** :—सिविल कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और 85 प्रतिशत उपकरणों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

(ii) **फास्फोरिक एसिड प्लांट** :—50 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो गया है और टैंकों तथा बैमिल्स का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है ।

(iii) **एन०पी० के प्लांट** :—72 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो गए हैं तथा 60% उपकरणों को उनके नीव पर स्थापित कर दिया गया है ।

(iv) **कार्य-स्थल से दूर सुविधाएं** :—इस वर्ष के अंत तक संयंत्रों के कार्य करने के लिए तैयार हो जाने की आशा है सहयोगियों तथा उपकरण सप्लायरों के विशेषज्ञों की सहायता से, उपकरणों में कड़े निरीक्षण तथा पूर्व परिचालन परीक्षण की व्यवस्था भी की गई है ।

Translation of Law Books in Hindi

1081. **Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to translation of law books from English into Hindi and

(b) whether the law books ranslated by Government are being made use of in the Courts ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Smt. Sarojini Mahishi) : (a) & (b) As part of the scheme for the production of law text books in Hindi, 34 books which have acquired the status of legal classics are proposed to be translated from English to Hindi, on priority basis. The foreign and Indian authors/publishers who hold copy-rights in respect of these books have already been approached with a view to obtaining translation rights. One such book, Ancient Law by Sir Henry Maine, which is in public domain and for which no copyright is involved, is proposed to be translated

shortly. Also, the Official Language (Legislative) Commission of this Ministry have published the Hindi version of the Constitution of India besides authenticated Hindi version of 394 Central Acts. Apart from these Acts, Hindi translations of 227 Central Acts have been finalised by the Commission and they are in various stages of printing. Diglot Editions (English and Hindi side by side) of 161 Central Acts have also been published. The Official Language (Legislative) Commission have also finalised Hindi translations of nearly 6000 pages of Statutory Rules and Orders of which 3254 pages have also been published in the Official Gazette.

In addition, this Ministry also brings out two monthly Law Journals, viz., 'Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika' and 'Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika' which are gaining popularity in the Courts of the Hindi-speaking States.

Employees suspended/dismissed/prosecuted in Bhusawal and Jhansi Division after Railway Strike

1082. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state the number of employees in Bhusawal and Jhansi Divisions who were suspended or dismissed or prosecuted after the last railway strike ?

The Deputy Ministry in the Minister of Railways : (Shri Buta Singh) : The information as on 15-2-1975 is given below :

	Bhusawal Divn.	Jhansi Divn.
(i) Permanent/Temporary employees dismissed/removed	46	35
(ii) No. taken back out of (i)	28	16
(iii) Temporary employees whose services were terminated	194	92
(iv) No. taken back out of (iii)	190	91
(v) No. of employees suspended	97	337
(vi) No. of employees whose suspension orders have been revoked	97	311
(vii) No. of employees against whom cases are pending in courts at present	97	73

Introduction of closed circuit Television System

1083. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the closed circuit television system evolved by the Electronic Corporation of India has been introduced at some stations of the Central Railways; and

(b) if so, the names of those railway stations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Closure of Industrial units in Madhya Pradesh for Non-availability of Petroleum Products

1084. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a large number of medium and small scale industrial units in Madhya Pradesh are being closed down due to non-availability of Kerosene, diesel oil and other petroleum products; and

(b) if so, the measures being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) :
(a) There have been no reports of any large scale closure of medium and small scale industrial units in Madhya Pradesh due to non-availability of kerosene, diesel oil and other petroleum products.

(b) Does not arise in view of (a) above.

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिये रेलवे के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र (हार्ड कोर)

1085. **श्री नारायण चन्द पराशर** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अति महत्वपूर्ण क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम (हार्ड कोर) तैयार किया है; और

(ख) यदि हां तो इस कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है और क्या देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिये मूल ढांचा (इंफास्ट्रक्चर) प्रदान कराये जाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, नई रेलवे लाइन स्थापित किये जाने का कार्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई

1086. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या रही ; और

(ख) उक्त अवधि में पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पम्पों को डीजल और मिट्टी का तेल सप्लाई करने के लिये कितने ग्रामीण फुटकर डिपो केन्द्र खोले गये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) 1971, 1972, 1973 एवं 1974 के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन एवं बिक्री का ब्यौरा विवरण पक्ष में अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है 1972 तक आवंटन अनुमानित मांग के आधार पर किया जाता था। 1973

से कुछ महीनों के लिये प्रतिमास के आधार पर आवंटन की मात्रा की उपलब्धि के अनुसार घटा दिया गया। गत समय में मिट्टी के तेल की सप्लाई के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के आधार पर रखे जाते थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विवरण

1971-72, 1973 **एवं** 1974 **के दौरान मिट्टी के तेल की मांग तथा बिक्री पर**

(आंकड़े मी० टनों में)

	1971		1972		1973		1974	
	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री	आवंटन	**बिक्री	आवंटन	बिक्री
1. असम क्षेत्र*	उ० न०	153,700	168,320	144,174	162,482	128,618	122,187	126,474
2. बिहार	184,478	164,400	194,502	164,073	185,597	142,557	132 149	157,351
3. पश्चिमी बंगाल	286,430	298,900	320,276	272,983	327,072	326,943	234 694	251,568

*असम क्षेत्र में असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपरा एवं अण्डमान सम्मिलित हैं।

**अस्थाई आंकड़े।

पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर में राज्यों में कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

1087. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंधन करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये; और

(ग) उन कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) : अनेक कम्पनियों, जिन पर 1972–73 एवं 1973–74 तथा 1 अप्रैल, 1974 से 30 नवम्बर, 1974 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों के आरोप लगाये गये हैं, के विरुद्ध, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता द्वारा दायर किये गये अभियोगों की संख्या क्रमशः 830, 1261 व 149 हैं, एवं अभियुक्त कम्पनियों की संख्या क्रमश : 365, 651 एवं 151 है।

कम्पनी रजिस्ट्रार पूर्वोत्तर राज्यों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, द्वारा 1972–73, 1973-74 व 1 अप्रैल 1974 से 30 नवम्बर, 1974 की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंधन के लिये अनेक कम्पनियों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर किये गये अभियोगों की संख्या,

क्रमशः 40, 20 व 43 है एवं अभियुक्त कम्पनियों की संख्या क्रमशः 28, 9 व 43 है। ऊपर वर्णित इन तीनों वर्षों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनेक धाराओं जिनके अन्तर्गत ये चूकें की गई थीं, का साथ साथ उल्लेख करते हुए, एक ब्यौरेवार विवरण-पत्र अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी–8999/75]

पश्चिम बंगाल, आसाम के कछार जिले, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाली नयी रेल लाइनें

1088. **श्री टुना उरांव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम के कछार जिले, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम के बीच संपर्क स्थापित करने वाली रेल लाइनों के निर्माण के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या पूर्व जोन परिषद् उपर्युक्त रेल लाइनों के निर्माण के लिये निर्धारित राशि देने के लिये सहमत हो गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–9000/75]

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित किसी भी परियोजना के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर-पूर्वी परिषद् से, उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु जो अनुरोध किया गया था, उसका भी रेल प्रशासन को अभी कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है। किन्तु भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में लाइनों की जो सूची दी गयी है, उसकी मद 8 से 10 तक की लाइनों के प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण की लागत वहन करने के लिए परिषद् ने सहमति दे दी है।

वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान निर्माताओं के पास रेल वैगनों के लिये पड़े क्रयादेश

1089. **श्री टुना उरांव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान निर्माताओं के पास रेल वैगनों के कितने मूल्य के क्रयादेश पड़े थे ;

(ख) किन निर्माता फर्मों द्वारा उतने वैगन सप्लाई नहीं किये गये जितने रेल विभाग, ने उनसे मांगे थे और कितने वैगन कम सप्लाई किये गये ; और

(ग) क्रयादेश के अनुरूप वैगन सप्लाई न किये जाने के कारण कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) चौपहियों के हिसाब से 1-4-1973 को 29226.1 माल-डिब्बों के और 1-4-1974 को 32684 माल डिब्बों के क्रयादेश बकाया थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–9001/75]

(ग) चूंकि आर्डर पारस्परिक सहमत शर्तों पर दिये जाते हैं इसलिए माल-डिब्बा संभरणकर्त्ताओं द्वारा माल-डिब्बे सप्लाई न करने के कारण हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विलम्ब से की जाने वाली सुपुर्दगी के मामलों में ऐसे मामलों के गुणदोष और संभरणकर्ताओं के साथ हुए करार की शर्तों को देखते हुए, सुपुर्दगी की तारीखों को समुचित रूप से बढ़ा दिया जाता है।

औषध उद्योग संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

1090. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उद्योग की आर्थिक स्वतंत्रता और भविष्य संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थी कि विदेशी साम्य पूंजी निवेश वाले औषध निर्माता कारखानों का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाये और महत्वपूर्ण औषधियों की जन वितरण व्यवस्था का भी राष्ट्रीयकरण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): नई दिल्ली में 21 तथा 22 दिसम्बर, 1974 को हुए औषध उद्योग की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिप्रेक्ष्य संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के दस्तावेज और घोषणापत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं। सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :--

(i) विदेशी साम्य पूंजी की हिस्सेदारी के साथ भेषज तथा औषध उद्योग के सभी संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

(ii) किसी क्षेत्र द्वारा निर्मित आवश्यक औषध तथा उनके सूत्रयोगों के थोक वितरण का राष्ट्रीय-करण किया जाना चाहिये और केन्द्रीय सहकारी एजेंसी को सौंपा जाए। ऐसी राष्ट्रीय वितरण एजेंसी को पर्याप्त नियंत्रण सुविधाएं होनी चाहिये।

(iii) सभी औषधों तथा मध्यवर्ती पदार्थों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा सरणीवद्ध होना चाहिये।

सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Shortage of petrol, diesel and kerosene in Madhya Pradesh

1091. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether there has been acute shortage of petrol, diesel and Kerosene in Madhya Pradesh last year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Central Government to supply the quota prescribed for Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) to (c) Except for temporary local shortages caused by prooléms of logistics there have been no reports of any general acute shortage of petrol or diesel in Madhya Pradesh during the last year. No quotas of petrol or diesel are fixed State-wise. Supplies are arranged on the basis of region wise estimates of demand.

Economy in the consumption of petroleum products is necessary in view of the heavy foreign exchange outgo for import of petroleum products after the steep increase in prices. Quotas of kerosene oil to the States were reduced to achieve economy in consumption. In some months cuts in quotas were made upto the extent of 30%. It is likely that this may have given rise to shortages of kerosene in certain areas. The extent of cuts was reduced from November 1974 to 10% for Madhya Pradesh. This has improved the availability of kerosene oil in the State.

Actual supplies of kerosene oil to Madhya Pradesh were 137,965 tonnes in 1974 against the quota of 115,457 tonnes allotted to the State.

उर्वरकों का आयात

1092. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कुल कितने उर्वरक का आयात किया जायेगा और कौन-कौन से देश उसे सप्लाई करने के लिये सहमत हुए हैं ; और

(ख) क्या इस बारे में किसी देश के साथ कोई नया करार किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित करने के लिये फाइजर लिमिटेड का अनुरोध

1093. **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइजर लिमिटेड ने (i) आक्सी टैट्रासाइक्लीन के लिये क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित करने और (ii) डाक्सीसाइक्लीन का प्रति वर्ष 5 टन का उत्पादन करने के लिये औद्योगिक लाइसेंसों को प्रदान करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) क्या उन्होंने इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमास्युटिकल्ज लिमिटेड में इन्ही औषधियों के उत्पादन के लिये विदेशी प्रौद्योगिकी निःशुल्क देने की पेशकश की है बशर्ते कि सरकार उनके अनुरोध को मान लेती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (च) से (ग) : टैट्रासाइक्लीन आक्सीटैट्रासाइक्लीन के उत्पादन को सुधारने के लिये मैसर्स फाइजर्स द्वारा प्रौद्योगिकी प्रस्ताव और आई० डी० पी० एल० द्वारा डाक्सीसाइक्लीन के उत्पादन आरम्भ करने के लिये, (i) आक्सीटैट्रासाइक्लीन के लिये उनकी क्षमता बढ़ाने को नियमित करने और (ii) डाक्सीसाइक्लीन के 5000 वी यू के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये उनकी प्रार्थना के संदर्भ में किया गया है और वह निःशुल्क है।

सरकार कुल सिफारिशों, के संदर्भ में पेशकश पर विचार करेगी जिनकी हाथी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें दी होगों वह रिपोर्ट अप्रैल, 1975 तक मिल जाने की आशा है।

रानीगंज में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

1094. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने राज्य में, रानीगंज क्षेत्र में, कोयले पर आधारित एक सरकारी-क्षेत्र उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के बारे में प्रार्थना की है लेकिन तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के बारे में कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार को यह सूचना दी गई है कि संसाधनों की स्थिति पांचवीं योजना की अवधि के अन्तर्गत किसी अन्य अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के सृजन करने की अनुमति प्रदान नहीं करती।

औषधि कारखानों का अधिग्रहण किया जाना

1095. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **औषधि कारखानों** का अधिग्रहण करने के प्रश्न पर-सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या आवश्यक औषधियों के बारे में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सभी औषधियों का आयात करने के बारे में सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) : वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उस संसद समिति ने, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, जन-शक्ति, योजना तथा जनसंख्या संबंधी कार्यक्रमों की जांच कर रही है, निम्नलिखित सुझाव दिया है।

"मूल्य नियंत्रण तथा गुणवक्ता सुनिश्चित करने हेतु, औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये"।

औषध उद्योग के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करने के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(i) उन भेषज और औषध उद्योग के समस्त एककों जिनमें विदेशी साम्य पूंजी साझेदारी है, का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

(ii) आवश्यक औषधों का थोक वितरण तथा किसी भी क्षेत्र द्वारा उनके लिये बनाए गए सूत्र-योगों का, तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना तथा इसे केन्द्रीय सहकारी समिति को सौंपा जाना चाहिये। इस प्रकार की राष्ट्रीय वितरण एजेंसी के पास पर्याप्त गुणवक्ता नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये ;

(iii) समस्त औषधों तथा मध्यवर्ती पदार्थों का आयात भारतीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना चाहिये।

सरकार द्वारा श्री जम सुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति भी औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इस समिति, जिसके द्वारा अप्रैल, 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है, की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और घोषणा पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय व्यापार निगम के माध्यम से अतिरिक्त मदों का सरणीबद्ध किये जाने के प्रश्न का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है वर्ष 1970–71 में अब सरणीबद्ध किए जाने की प्रथा को प्रस्तुत किया गया था, उस समय भारतीय व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जाने वाली सरणीबद्ध मदों की संख्या 13 थी जिसे 1973–74 में बढ़ाकर 36 कर दिया गया था। वर्ष 1975–76 के अंतर्गत कुछ और मदों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

पूर्वी क्षेत्र के पेट्रो-रसायन एककों को कच्चे माल की सप्लाई को युक्तिसंगत बनाना

1096. श्री आर० एन० वर्मन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी क्षेत्र में पैट्रो रसायन एककों के सकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में स्थापित एककों को सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल का मूल्य ढांचा तथा वितरण प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई है ;

(ख) क्या पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पश्चिम बंगाल के छोटे एसिड तथा रासायनिक एककों को सल्फ्यूरिक क्लोरो-एसिटिक तथा फास्फोरिक तथा अन्य एसिडों के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मूल्य ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा वितरण प्रणाली को सुधारने के प्रश्न पर विचार किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : पैट्रो-रसायन उत्पादों के वितरण एवं मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इस बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। एककों (मुख्यतः, प्लास्टिक तैयार करने वाले एकक) द्वारा अपेक्षित पूर्वी क्षेत्र में आवश्यक कच्चा माल हैं थर्मोप्लास्टिक रेसिन, एनिलाइन, टोल्यून एवं मैथनोल। परिवहन व्यय के कारण इनके मूल्य पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हैं। वितरण के मामले में पूर्वी क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का भेद भाव जानकारी में नहीं आया।

क्लौरा एसिटिक एसिड के मामले में दो निर्माताओं द्वारा मूल्य समीकरण प्रणाली अपनाने के बारे में पता चला है।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा पूर्वी क्षेत्र में कुछ हवाई अड्डों पर विमानों में ईधंन भरना बन्द करना

1097. **श्री आर० एन० वर्मन :**
श्री वसन्त साठे :
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने पूर्वी क्षेत्र में स्थित कुछ हवाई अड्डों पर अपने विमानों में इस आधार पर विमान ईधंन भरना बन्द कर दिया है क्योंकि वहां सप्लाई किये ईधंन में मिलावट पाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) पूर्वी क्षेत्र से विमानन तेल की मिलावट के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। तथापि पूर्वी क्षेत्र के कुछ संस्थानों के नमूने का डी० जी० सी० ए० प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने पर, सिल्वर स्ट्रिप करोजन टैस्ट में विफल पाए गए। डी० जी० सी० ए० की सलाह पर, राल्स रोयस इन्जिनों वाले विमानों में इन स्थानों से तेल भरने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बोईगं सर्विसेज के लिये इन स्थानों के तेल प्रयोग के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को अपनी कुछ उड़ानों के मार्ग परिवर्तित करने पड़े। समय बदलने पड़े।

(ख) इंडियन एयर लाइन्स के वे विमान जिनमें रौल्स रोयस इन्जिन लगे हुए हैं, निम्नलिखित स्थानों से विमानन तेल नहीं ले सके :—

1. जोरहाट 2. छाबू (मोहनबारी) 3. गौहाटी 4. भुवनेश्वर 5. रांची 6. पटना । .

(ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि यद्यपि उत्पादन तथा प्रेक्षण के समय बरौनी शोधनशाला द्वारा निर्मित तेल मानक के अनुसार था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ स्थानों से लिये गये इसके नमूने डी० जी० सी० ए० प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर, खरे नहीं पाए गये। स्थिति के सुधार हेतु, उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

पश्चिम बंगाल बेसिन में पेट्रोलियम संसाधनों के लिये सर्वेक्षण

1098. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री समर गुह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल बेसिन तेल संसाधनों में समृद्ध है;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां भूकम्प सर्वेक्षण किया गया है और वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां तेल उपलब्ध होने की संभावनाओं का पता चला है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसकी खोज के लिये किन एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी दिनाजपुर के जिलों, मालदाह, वर्धवान, नाडियाड, हावडा, 24-परगना, मिदनापुर और पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भूकम्पीय सर्वेक्षणों को किया है ।

पश्चिम बंगाल में अब तक किया गया अन्वेषण कार्य, जिसमें अनेक अन्वेषी कुओं की खुदाई शामिल है, से वाणिज्यिक महत्व के गैस/तेल भण्डारों का पता नहीं लगा है । किए गए अन्य कार्यों के आधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तीन और स्थानों का व्यधन करने के लिए मुक्त कर दिया है ।

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के निकट तट के अपतटीय इलाकों में तेल अन्वेषण करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए है । अपतटीय इलाकों में भूकंपीय परिचालनों का प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है । प्राप्त सामग्री का मूल्यांकन किया जा रहा है । सविस्तार भूकंपीय सर्वेक्षण को शीघ्र ही हाथ में लिया जाना नियत किया गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का उत्पादन स्तर

1099. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाये रखने की स्थिति में नहीं है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान उत्पादन को बनाये रखने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) निकाले जा सकने वाले अतिरिक्त तेल भण्डारों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) : अप्रैल 1973 से जनवरी, 1974 की 10 महीनों की अवधि के लिये 3.36 मिलियन मीटरी टन की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अप्रैल, 1974 से जनवरी, 1975 के दौरान 3.72 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल का उत्पादन किया। 1978-79 में उत्पादन को 8.64 मिलियन मीटरी टन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ङ) तेल के अतिरिक्त प्राप्त भंडार स्थापित करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने, भूगर्भीय आदि आधारों पर, जहां कहीं भी हाइड्रोकार्बन्स मिलने की संभावनाएं विद्यमान हैं, भूमि पर तथा सीमित सीमा तक अपतट पर भारत के सभी तलहट थालों में अन्वेषणात्मक कार्य करना शुरू कर दिया है।

पांचवीं योजनावधि में नई रेलवे लाइनों के लिए धनराशि का अपर्याप्त आबंटन

1100. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये रेलवे ने योजना आयोग और राज्य सरकारों को धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में नई रेलवे लाइनों के लिये आवंटित धनराशि पर्याप्त है;

(ग) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा और क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) और (घ) : निम्नलिखित नयी लाइनों पर काम चल रहा है । जिनके निर्माण का अनुमोदन मिल गया है :--

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	लागत (करोड़ रुपयों में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	दीवा-बेसिन रेल सम्पर्क	41.96	12.74	काम चल रहा है।
2.	वाणी-चनाका रेल सम्पर्क	75.76	5.30	"
3.	तोरनगल्लु-मुद्दुकुलपेंटा	24.00	3.30	"
4.	मेंगलूर-हसन	189.21	35.87	"
5.	तिरुनेलवेली-तिरुवनन्तपुरम-कन्याकुमारी बड़ी लाइन	167.00	14.53	"
6.	हल्दिया पत्तन तक रेल सम्पर्क	10.18 बकाया	13.30	"
7.	कटक-पारादीप बड़ी लाइन	84.31	10.97	पूरी हो गयी और 9-7-73 से यातायात के लिए खोल दी गयी ।
8.	बांसपानी जखापुरा	176.00	39.00	अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है।
9.	हावड़ा–आमता	73.53	12.06	निर्माणार्थ अनुमोदित कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया ।
10.	झाडि कुडें–बीबीनगर	153.00	13.47	अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है।
11.	हावड़ा-शीयाखाला	17.10	1.75	निर्माण अनुमोदित । कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया ।
12.	गुन्ना-मक्सी	193.53	10.51	काम चल रहा है।
13.	सरायगढ़-प्रतापगंज रेल लाइन पुनः स्थापन	23.00	1.61	पूरी हो गई और जून, 1974 में यातायात के लिए खोल दी गयी।
14.	प्रतापगंज–फारबीसगंज रेल लाईन पुनः स्थापन	41.00	3.37	काम चल रहा है।
15.	छितौनी–बगहा रेल लाइन पुनः स्थापन	28.41	6.74	"
16.	झंझारपुर–लौकहाबाजार	42.30	2.93	"
17.	सकरी–हसनपुर	74.40	5.93	निर्माण अनुमोदित । अनुमान पर विचार किया जा रहा है ।

1	2	3	4	5
18.	रामनगर और काठगोदाम के लिए रेल सम्पर्क	168.66	15.00	अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है।
19.	शाहदरा–सहारनपुर	161.00	8.71	काम चल रहा है।
20.	रोहतक–भिवानी	49.30	6.13	,,
21.	गोहाना–पानीपत रेल लाइन पुनः स्थापन	26.00	1.48	,,
22.	डलमऊ-दरयापुर रेल लाइन पुनः स्थापन	26.00	1.48	,,
23.	साबरमती–गांधीनगर	27.85	2.85	,,
24.	डाबला-सिंहाना .	32.95	13.85	,,

1975-76 में 2.25 करोड़ रुपये की लागत से हिरदागढ़ से दमुआ तक (बड़ी लाइन) 15 कि० मी० लम्बी एक शाखा लाइन का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है। 1975-76 के आगे नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कुछ ऐसोसियेशनों के कोयला-वेगनों के कोयले को रेलवे द्वारा उपयोग में लाना

1101. श्रीमाधवराव सिंधिया :

श्री आर० के० बड़े :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर की टैक्सटाइल प्रोसेसर्स एण्ड एक्सपोर्ट एसोसियेशन के कोयले के 17 वैगनों को और पंजाब कोल कंज्यूमर्स एसोसियेशन के कोयले के एक पूरे रेक को ही रेलवे ने उन्हें न देकर स्वयं के इस्तेमाल में ले लिया;

(ख) इस कदाचार के लिये दोषी रेल कर्मचारियों को क्या दण्ड दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या निरोधक पग उठाये गये हैं; और

(ग) प्रभावित हुई पार्टियों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, लेकिन टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन, अमृतसर के लिए बुक किये गये कोयले के केवल 8 बी० सी० एक्स माल डिब्बे, न कि 17 माल डिब्बे, रेलों ने अपने इस्तेमाल के लिए रखे थे।

(ख) अनिवार्य गाड़ी सेवाओं को चालू रखने के लिए रेलों को अत्यन्त आपात कालीन के उपाय के रूप में कोयले के ये माल डिब्बे लेने पड़े थे। अतः किसी रेल कर्मचारी को सजा देने का प्रश्न नहीं उठता। अतीत में जब भी कभी सम्भव हुआ, कोयले को अत्यन्त कठिनाई के समय अनिवार्य उद्योगों को भी रेलवे के कोयले से ऐसी ही सहायता दी गयी थी। फिर भी, इस सम्बन्ध में हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं कि अन्य पार्टियों को बुक किये गये कोयले के डिब्बे सामान्यतः रेलवे के इस्तेमाल के लिए न रोके जायें।

(ग) रेलों द्वारा लिये गये कोयले के बदले में, रेलों ने दोनों पार्टियों को अपना रेल इंजन का कोयला सप्लाई कर दिया है। चूंकि टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन, अमृतसर को बदले में बिक्री के आधार पर कोयला दे दिया गया था। इसलिए क्षतिपूर्ती के लिए उनके दावे पर कार्रवाई की जा रही है।

मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा निर्मित 'बीकोस्युल कैपस्युलों' की बिक्री

1102 श्री शशि भूषण:

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, 31 जनवरी 1975 तक मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा निर्मित 'बीकोस्युल कैपस्युलों' की कितनी बिक्री हुई है;

(ख) वर्ष 1966, 1970 में इस औषधि के विभिन्न पैकों के मूल्य क्या थे और इस औषधि के विभिन्न पैकों के वर्तमान मूल्य क्या हैं; और

(ग) इस औषधि पर मैसर्स फाइजर को इस समय कितना अधिक मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश:) (क) मैसर्स फाइजर लि० द्वारा निर्माण किये गये वीकासूल कैप्सूल की लगभग बिक्री निम्नलिखित है :—

1972	रु० 240 लाख
1973	रु० 313 लाख
1974	अभी तक उपलब्ध नहीं है

1974 के दौरान और जनवरी 1975 मास से बिक्री सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) विभिन्न पैकों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	1966	1970	वर्तमान मूल्य (रुपये आंकड़ों में)
20 कैप्सूलज	9.91	9.91	11.42
100 कैप्सूलज	29.61	39.61	48.03

(ग) स्वीकृत वर्तमान मार्कअप निम्न प्रकार हैं:—

20 कैप्सूलज	100%
100 कैप्सूलज	96%

भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

1103. **श्री शशि भूषण**: क्या **पेट्रोलियिम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुमति दे दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के मिट्टी के तेल के विक्रेताओं को आई० डी० सी० द्वारा दिए गए प्रोत्साहन

1104. **श्री बसन्त साठे : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल की बिक्री को बढ़ाने के लिये नवम्बर, 1970 से मार्च 1971 की अवधि में बम्बई-थाना क्षेत्र में मिट्टी के तेल के विक्रेताओं को आई० डी० सी० ने प्रोत्साहन देने की पेशकश की थी और मौखिक रूप से दी गई इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया था ;

(ख) क्या प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि के बारे में विक्रेताओं के दावों को रोक दिया गया था;

(ग) नवम्बर, 1970 से मार्च, 1971 की अवधि में तथा गत आगामी वर्षों में इसी अवधि के दौरान बम्बई-थाना क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कितनी बिक्री हुई; और

(घ) प्रोत्साहन संबंधी इस वायदे को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (घ): भारतीय तेल निगम ारा बम्बई-थाना क्षेत्र में 1-11-1970 से 31-3-1971 तक मिट्टी के तेल के व्यापारियों को मिट्टी के तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रस्तुत किए गए थे। तथापि निगम द्वारा प्रोत्साहन की रकम वितरण नहीं की गई क्योंकि व्यापारियों द्वारा योजना सच्ची भावना से कार्यान्वित नहीं की गई थी और उन्होंने कुछ हेर फेर किये थे।

भारतीय तेल निगम के बम्बई-थाना क्षेत्र में नवम्बर 1970 से मार्च 1971 के दौरान और उसके साथ साथ इसी अवधि के लिए पूर्वगत और बाद के वर्षों की बिक्री निम्न प्रकार थी :—

अवधि	मिट्टी के तेल की बिक्री
नवम्बर 1969 से मार्च 1970 तक	43,639 कि० लि०
नवम्बर 1970 से मार्च 1971 तक	63,208 कि० लि०
नवम्बर 1971 से मार्च 1972 तक	41,395 कि० लि०

राज्य व्यापार निगम के पास पड़ी औषधियां तथा कच्चा माल का जमा होना

1105. **श्री वसंत साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा लम्बे समय से लगाई गई ऋण रोक के परिणामस्वरूप अधिकांश औषध कम्पनियों को धन की अत्यधिक कमी होने के कारण राज्य व्यापार निगम के पास बल्क औषधियों तथा मध्यवर्ती औषधियों के स्टाक बढ़ते जा रहे हैं; और समूचे उद्योग की उत्पादन में आम कटौती हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जबकि आयातित औषधियों तथा इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली 'बल्क' औषधियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथापि बैंकों द्वारा औषध कम्पनियों को दिये जाने वाली ऋण की राशि इतनी कम कर दी गई है कि औषधियों के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने अथवा उत्पादन को सामान्य बनाने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) 30-11-74, 31-12-74 और 31-1-1975 को राज्य व्यापार निगम के पास सूचित किए गए उपलब्ध भंडार का मूल्य क्रमश: 481.66 लाख रुपये, 480.00 लाख रुपये और 441.36 लाख रुपये हैं। नवम्बर 1974 के अन्त तक इकट्ठा भंडार अधिकतर समाप्त कर दिया गया है और उसके बदले नया स्टाक प्राप्त किया गया क्योंकि राज्य व्यापार निगम द्वारा उद्योग की एक चौथाई आवश्यकताओं को पूरा करने की सम्भावना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 6-2-1975 तक राज्य व्यापार निगम की औषधों तथा औषध मध्यवर्ती की 2014.02 लाख रुपये की बिक्री हुई।

ऋण में कटौती से उत्पन्न समस्याओं की बैठक में, जिसमें बैंकिंग विभाग, राजस्व तथा बीमा विभाग, डी०जी०टी०डी० औषध नियन्त्रक (इण्डिया) एस०टी०सी० और आई०डी०पी०एल० के प्रतिनिधियों-ने भी भाग लिया, औषध उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। यह स्पष्ट किया गया था कि कम्पनी को बैंकों द्वारा आवश्यक ऋण दिया जा सकता है बशर्ते कि वर्तमान ऋण उपयोगिता तथा औचित्य पर्याप्त रूप में स्पष्ट किया गया है।

जबकि औषध उद्योग ने ऋण में कटौती के बारे में सामान्य शिकायत की है, औषधों के आयोजित उत्पादन में कोई सामान्य कमी के बारे में इस मंत्रालय को कोई ज्ञान नहीं है ।

तथापि, ऋण में कटौती के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्ष 1974 में बजट की घोषणा के बाद लुब्रीकेटिंग तेल को रिलीज करना

1106. **श्री वसंत साठे : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट की घोषणा के बाद 28 फरवरी, 1974 को इण्डियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड ट्राम्बे के प्रभारी अधिकारी की साठ-गांठ से पार्टियों को काफ़ी मात्रा में लुब्रिकेटिंग तेल रिलीज किया गया था;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ग) क्या इस मामले के जांच अधीन रहते हुए भी सम्बन्धित अधिकारी को त्याग-पत्र देने की अनुमति दी गई; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों को सजा देने तथा ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कर्नाटक राज्य में रजिस्टर की गई कम्पनियां

1107. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के अन्तर्गत आने वाली कर्नाटक राज्य में किन-किन कम्पनियों को रजिस्टर किया गया; और

(ख) इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी के निदेशकों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना देते हुये, सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी- 9002/75]

भारत में बेची जाने वाली विदेशी ब्रांड नामों की औषधियां

1108. **श्री पी० आर० शिनाय :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित और बेची जाने वाली महत्वपूर्ण विदेशी ब्रांड नामों की औषधियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) विदेशी ब्रांड नामों से इन औषधियों को औषधवार बेचने के लिये विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ग) इन ब्रांड नामों को खत्म करने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ख) ब्रांड वाली दवाइयों के उत्पादन पर किए गए विदेशी मुद्रा व्यय के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । ब्रांड वाले उत्पादों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली अधिकतम प्रपुंज औषधियों का निर्माण देश के भीतर ही किया जाता है ।

(ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग के बारे में गठित समिति, औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है । इस समिति की "आवश्यक औषधों तथा आम घरेलु दवाइयों को आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण जनता, तक पहुंचाने के लिये किए गए उपाय" के बारे में रिपोर्ट जिसमें ब्रांड नामों को व्यापक नामों से परिवर्तन करने का कार्य भी सम्मिलित है, अभी हाल ही में प्राप्त की गई है और वह सरकार के विचाराधीन है ।

मंगलौर–आप्टा रेल लाइन

1109. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार मंगलौर-आप्टा रेल लाइन के लिये अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण और उत्तर कनारा जिलों में स्थित ऐसी अधिकांश भूमि अब कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार के पास है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन के लिये अपेक्षित भूमि का कर्नाटक सरकार से कब्जा लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1970-72 में किये गये इंजीनियरी टोह एवं यातायात सर्वेक्षण के अनुसार आप्टा से मंगलूर तक की जमीन के अधिग्रहण की लागत, वर्तमान मूल्यों के आधार पर 18.08 करोड़ है ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने और लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय कर लिये जाने के बाद ही जमीन पर कब्जा करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम और रसायन उद्योगों में सरकारी पूंजी निवेश

1110. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और रसायन उद्योगों के विकास के लिये कर्नाटक राज्य में कोई पूंजी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये सरकार भविष्य में कोई पूंजी निवेश करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) निकट भविष्य में पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय द्वारा कोई ऐसा निवेश करने का प्रस्ताव नहीं है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में किसी विशिष्ट व्यक्ति का नामांकन करने के लिये दबाव

1111. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जनवरी 1975 के एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में यह आरोप लगाया गया है कि संघलोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु चुने गये उम्मीदवारों की सूची में किसी विशिष्ट व्यक्ति के उम्मीदवार को शामिल करने के लिये उनके मंत्रालय पर दबाव डाला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उम्मीदवार को पहले भी कई बार शीघ्रता से पदोन्नति दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने का है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 27-1-1975 के "मदरलैण्ड" में कुछ इसी तरह का समाचार प्रकाशित हुआ था । लेकिन यह समाचार निराधार है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Production and Consumption of Chemical Fertilizers

1113. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantity of chemical fertilizers produced in the country;

(b) the quantity of chemical fertilizers consumed in the country; and

(c) the scheme of Government for increasing the production thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) 9.49 lakh tonnes of nitrogen and 2.60 lakh tonnes of phosphate (P_2O_5) were produced during the period April, 1974 to January, 1975. The total production during the year 1974-75 is estimated at 12 lakh tonnes of nitrogen and 3.5 lakh tonnes of phosphate (P_2O_5).

(b) About 17.66 lakh tonnes of nitrogen and 5.14 lakh tonnes of phosphate (P C 5) has been consumed during the period February, 1974 to January, 1975.

(c) A large scale programme is under implementation in the public, private and co-operative sectors for augmenting the indigenous capacity for production of chemical fertilizers. Measures such as renovation, debottlenecking, modernisation, etc. are also under way for optimising production in existing units.

पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाइन को बदलने की परियोजना में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों के लिए आश्रय

1114. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाइन परियोजना (पूर्वोत्तर रेलवे) पर काम कर रहे चार नैमित्तिक श्रमिक शीतलहर में धोली में शीत से दिसम्बर, 1974 में मर गये थे;

(ख) क्या निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को रेल अधिकारियों द्वारा पर्याप्त आश्रय प्रदान नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें आवास प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) आमान परिवर्तन परियोजना पर लगाये गये सभी कर्मकारों के लिये पर्याप्त आश्रय-स्थल की व्यवस्था थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

1115. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्जा बढ़ाये जाने के सामान्य मामले के साथ यह मामला भी अन्तिम प्राधिकारी को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, कितने प्रतिशत पद निश्चित किये गये हैं, इस बारे में बोर्ड द्वारा आदेश कब तक जारी और क्रियान्वित किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टरों सहित विभिन्न अराजपत्रित संवर्गों की पुनर्संरचना के बारे में अभी विचार किया जा रहा है और इसे अंतिम प्राधिकारी के पास अनुमोदनार्थ भेजे जाने में कुछ समय लगेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उटता

रेल विभाग के फार्मेसिस्टों को दिया गया लाभ

1116. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसिस्टों की नियुक्ति 330-480 रुपये (आर० एस०) के वेतन-मान में की जा रही है, जो उनके लिए था जो अर्हता प्राप्त नहीं हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित फार्मेसिस्टों को, जो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, 330-560 रुपये (आर० एस०) के वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है जिसकी कि तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी।

(ग) क्या फार्मेसी अधिनियम के खंड 31(ग) के अतिरिक्त अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत दर्ज फार्मेसिस्टों को 330-480 रुपये (आर० एस०) के ग्रेड में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और धारा 31(ग) के अन्तर्गत दर्ज अर्हता प्राप्त फार्मेसिस्टों को, जो रेल बोर्ड की वर्तमान नीति के अनुसार 330-560 रुपये (आर० एस०) के ग्रेड में रखे गये हैं, क्या लाभ दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (बूटा सिंह) : **(क) और (ग)** केवल अनर्ह फार्मेसिस्टों को 330-480 रुपये (सं० वे०) के ग्रेड में रखा गया है जो फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 31 के खण्ड (घ) के अंतर्गत आते हैं।

(ख) अनर्ह फार्मेसिस्टों जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनको 330-560 रुपये वेतनमान (सं० वे०) देने के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) अर्हता प्राप्त उन फार्मेसिस्टों को, जो फार्मेसी अधिनियम की धारा 31 और 32 में उल्लिखित योग्यताएं रखते हैं, 330-560 रुपये (सं० वे०) का ग्रेड दिया गया है जिनमें से 10 प्रतिशत 425-640 रुपये के वरण ग्रेड में हैं। इनमें धारा 3 के खण्ड (छ) के अन्तर्गत आने वाले शामिल नहीं हैं।

स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न भत्ता

1117. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को यह अभ्यावेदन दिया गया है कि 425-640 रुपये और 455-700 रुपये के वेतनमान वाले क्रमशः सहायक स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों को दिल्ली डिवीजन में गार्ड के पद पर काम करते समय दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने उपर्युक्त ग्रेड के स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए अभी तक कोई स्थानापन्न भत्ता तय नही किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।

(ग) आपातकाल में, जब किसी सहायक स्टेशन मास्टर से गार्ड "ग्रेड सी" का काम लेना आवश्यक हो जाता है तो ग्रेड में निम्नतम केवल ऐसे सहायक स्टेशन मास्टरों को जो गार्ड की ड्यूटी में पास होते हैं, गार्ड के रूप में काम करने के लिए लगाया जाता है और उनके लिए दैनिक दरें निश्चित हैं । चूंकि नियमों में उच्चतर ग्रेडवाले स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों से गार्ड ग्रेड 'सी' के रूप में काम लेने की व्यवस्था नहीं है, अतः उनके लिए दैनिक दर निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया तेलशोधक कारखाने में उत्पादन

1118. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया कारखाने में अप्रैल, 1975 तक वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाएगा ;

(ख) क्या इस तेलशोधक कारखाने में अगस्त से परीक्षण के तौर पर उत्पादन हो रहा है और यह कुछ उत्पादों को वितरण के लिए पहले से ही प्रस्तुत कर रहा है; और

(ग) क्या पेट्रोल एच० एस० डी० घरेलू गैस और भिट्टी तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों को यह तेलशोधक कारखाना अब उपलब्ध कराने की स्थिति में है और यदि हां, तो कितना ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) हल्दिया शोधनशाला का ईंधन सेक्टर को 30 अगस्त् 1974 को परीणात्मक रूप में चलाया गया था और उसी समय से इसने वाणिज्यिक उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। एक शोधन शाला ने सितम्बर, दिसम्बर, 1974 की अवधि के दौरान 0.297 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का शोधन किया था और ईंधन गैस नेफ्था (रिफॉर्मेट), ए० टी० एफ०, एस० के, एच० एस० डी० और भट्टी के तेल सदृश उत्पादों का 0.253 मिलियन मी० टन शोधन किया था। वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिए कच्चा तेल 0.44 मिलियन मी० टन के अनुसार होगा जिससे लगभग 0.40 मिलियन मी० टन इन उत्पादों को तैयार किया जाएगा।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तीसरे कुएं में तेल की खुदाई का कार्य

1119. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट गहरे समुद्र में लगभग 1145 मीटर की गहराई पर तीसरे कुएं में तेल का पता चलने के बाद, विशेषज्ञों ने और आगे खुदाई न करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या पहले के कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र का चित्रांकन करने के लिए दक्षिण में, एक चौथा कुआं खोदा जाना था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) बम्बई हाई में तीसरे कुएं को 1385 मीटर गहरा खोदने पर तेल मिला था। इस कुएं को नीचे बेसमेंट अर्थात् 1952 मीटर तक खोदा गया था।

(ख) और (ग) दूसरे और तीसरे कुएं के मध्य चौथे कुएं की खुदाई की जानी है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 का पुर्नविलोकन

1120. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के उन उपबन्धों में परिशोधन करने के लिये आदेश का पुनर्विलोकन करने पर विचार कर रही है जिनका भारतीय लघु औषध क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 समान सभी औषध उत्पादक एककों के मूल्यों का विनियमन करता है तथापि प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये तक कुल बिक्री वाले एककों को उनके उत्पादों के नियतन/संशोधन के लिए सरकारी स्वीकृति कि छूट दी गई है।

श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सम्मिलित हैं :—

"उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए अभी तक उठाये गये उपायों की जांच करना तथा मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों का सुव्यवस्थीकरण के लिए आवश्यक अन्य उपायों की सिफारिश करना।"

समिति द्वारा दिए गये सुझावों के सन्दर्भ में सरकार उपयुक्त कदम उठायेगी। समिति द्वारा अप्रैल, 1975 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा है।

सूत्रयोगों के पैकेटों पर छपे हुए मूल्यों पर सूत्रयोगों की भी बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 की व्यवस्थाओं में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। आदेश में संशोधन करने का एक निर्णय किया गया है।

मतदान-आयु का कम किया जाना

1121. श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान-आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किये जाने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी नहीं। इस प्रस्ताव पर, उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार किए जाने और उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है तथा किसी निश्चय पर पहुंचने में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है। कुछ राज्य सरकारों के विचार अभी प्राप्त होने हैं।

औषधियों तथा रसायनों का आयात बिल

1122. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में विदेशों से औषधियों तथा मूल रसायनों का आयात बिल क्या है;

(ख) क्या इसी अवधि में चार गुणा वृद्धि हुई है; और

(ग) देश के अन्दर ही इन औषधियों का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विधान सभा में स्थानों की संख्या बढ़ाने और संसदीय तथा विधान सभा के स्थानों के अनुपात में परिवर्तन करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

1123. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने परिसीमन आयोग को यथाशीघ्र राज्य विधान सभा में स्थानों की संख्या बढ़ाने और संसदीय तथा विधान सभा के स्थानों के अनुपात में भी परिवर्तन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) परिसीमन आयोग ने पंजाब में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपात को 8 से बढ़ाकर 9 करने का निर्णय किया है। तद्नुसार पंजाब की विधान सभा को आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या 104 से बढ़ा कर 117 कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण पर किया गया व्यय

1124. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में अनेक रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और प्रत्येक रेल लाइन एवं पथ पर कितना व्यय हुआ;

(ग) उत्तर प्रदेश के लिये अथवा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कितनी लाइनों के भावी दो वर्षों में विद्युतीकरण की मंजूरी दी गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 1971 और मार्च 1974 के बीच निम्नलिखित खंडों का विद्युतीकरण किया गया:—

खंड	मार्ग किलोमीटर	31-3-74 तक सम्पूर्ण परि-योजना पर किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)
कानपुर-टूंडला	222	1.25
हावड़ा-खड़गपुर रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के भाग के रूप में आन्दुल-दानकुनि	19	8.6
विरार-साबरमती विद्युतीकरण परियोजना के भाग के रूप में अहमदा-बाद-भेस्तान	237	29.4

(ग) और (घ) टूंडला-दिल्ली खण्ड जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, का विद्युतीकरण प्रगति पर है और आशा है कि 1976-77 के दौरान कभी भी यह काम पूरा हो जायेगा।

गत छः महीनों में रजिस्टर की गई कम्पनियां

1125. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बहुत सी कम्पनियां रजिस्टर की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन कराने के लिये कितनी कम्पनियों ने आवेदन-पत्र दिये हैं और इन में से कितनी कम्पनियों को रजिस्टर किया गया है और कितने मामलों में आवेदन-पत्रों को नामंजूर किया गया था अथवा अनुमति नहीं दी गई थी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) पिछले छः महीनों अर्थात् जुलाई, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक की अवधि में देश में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शेयरों द्वारा लिमिटेड 1863 कम्पनियां और तीन अनलिमिटेड कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं। इन कम्पनियों के विवरण निम्न प्रकार दिये जाते हैं। :—

(करोड़ रु० में पूंजी)

	पब्लिक लिमिटेड		प्राइवेट लिमिटेड		योग	
	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
सरकारी कम्पनियां	15	35.30	28	356.26	43	391.56
गैर सरकारी कम्पनियां .	183	125.08*	1640	95.25*	1823	220.33
योग	198	160.38*	1668	451.51*	1866	611.89

*30 लाख रु० की प्राधिकृत पूंजी की तीन अनलिमिटेड कम्पनियां सम्मिलित ।

(ग) पिछले छः महीनों अर्थात् जुलाई, 1974 से दिसम्बर, 1974 के मध्य, उत्तर प्रदेश में 110 कम्पनियों ने पंजीकरण हेतु आवेदनपत्र दिये। उनमें से कथित अवधि में 95 पंजीकृत की गई थी। तथा 12 बाद में की गई। तीन कम्पनियों के मामले उस तिथि पर कतिपय प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की पूर्ति के लिये अनिर्णित थे।

मैसर्स होयेस्ट लिमिटेड को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किया जाना

1126. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स होयेस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् सी० ओ० बी० लाइसेंस देने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस फर्म को जारी 'एनलज़िन' का कोटा उसके गत तीन वर्षों के उत्पादन के आधार पर दिया गया था जो कि उसकी लाइसेंसशुदा क्षमता से बहुत अधिक था तथा जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करके दिया गया था?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार की उद्योग तथा सिविल सप्लाई मंत्रालय के 16 फरवरी 1973 को जारी की गई अधिसूचना में घोषित नीति के अनुसार सी० ओ० बी० लाइसेंस के अनुमोदनार्थ आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 15 अगस्त 1973 थी। मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अपने सी० ओ० बी० लाइसेंस के अनुमोदनार्थ प्रार्थना-पत्र 31 अगस्त 1973 को प्रस्तुत किया था। कम्पनी का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) मैसर्स हैक्सटस को उसके गत 2 वर्षों में से एक वर्ष के सर्वोच्च उपयोग के आधार पर, एनलजीन दी गई थी। औषधों के अत्यधिक उत्पादन के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा

है। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज पर गठित समिति इस पहलू सहित औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें देगी। इस समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1975 तक प्राप्त होने की आशा है।

अशोधित तेल एवं पेट्रोलियम की वार्षिक आवश्यकता

1127. **श्री शंकर राय सावंत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल एवं पेट्रोल की हमारी वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) उसकी पूर्ति किस-किस देश से, कितनी-कितनी और किस मूल्य पर की जा रही है;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का निकट भविष्य में संशोधन किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से और कितना ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष 1974

देश	अशोधित तेल		पेट्रोल	
	मात्रा	सी आई एफ मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. वार्षिक आवश्यकता	20.8*	—	1.26	—
2. आयात				
आस्थायी प्राक्कलन ईरान	6.9	444.34	शून्य	शून्य
साऊथ अरब	4.3	260.96		
ईराक	2.8	199.25		
कुल	14.0	904.55		

* 1974 के दौरान वास्तविक शोधनशाला उत्पादन की शर्तों में। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यपालक निदेशक डा० के० एस० कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित तेल मूल्य समिति की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अब सरकार के विचाराधीन है।

तेल की खोज कार्य में लगे विदेशी तकनीशियन

1128. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में तेल की खोज कार्य में कितने विदेशी तकनीशियन लगे हुए हैं;

(ख) क्या देश में ऐसे तकनीशियन उपलब्ध हैं जिनको उनके स्थान पर रखा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो अत्यधिक अपेक्षित विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए भारतीय तकनीशियन नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बम्बई अपतटीय प्रायोजना के लिए अनेक विदेशी ठेकेदारों द्वारा लगाए गए विदेशी तकनीशियनों के अलावा, 12 विदेशी तकनीशियनों को देश के तेल अन्वेषण कार्य में लगाया गया है।

(ख) और (ग) : भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को विदेशी तकनीशियनों के साथ लगाया गया है। किसी भी क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से योग्य पाए जाने पर, ये लोग विदेशी तकनीशियनों का स्थान ग्रहण करेंगे।

सरकारी एजेंसियों सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक औषधियों का बेचा जाना

1130. **श्री के० लकप्पा** : : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी एजेंसियों अथवा सहकारी समितियों द्वारा जनता को नियत मूल्य पर आवश्यक औषधियां बेचने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस समय आवश्यक औषधों सहित औषधों के सूत्रयोगों की बिक्री औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंसीकृत विभिन्न फुटकर विक्रेताओं पर की जा रही है। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् वितरण पद्धति के पुनर्गठन के विषय में निर्णय लिया जायेगा। अन्य बातों के साथ साथ विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

"आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक औषधों तथा आम घरेलू दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।"

आशा है कि समिति अप्रैल, 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा दिये गये सुझावों के सन्दर्भ में सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई

1131. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की क्या वितरण व्यवस्था है;

(ख) क्या निर्धन व्यक्तियों को राज-सहायता प्राप्त दरों पर मिट्टी के तेल की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) जबकि राज्य के लिए मिट्टी के तेल का कुल आवंटन केन्द्रीय सरकार तय करती है; शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में राज्य के अन्दर का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

तेल कम्पनियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिलेवार निर्धारित कोटा के आधार पर अपने एजेन्टों को तेल की सप्लाई करते हैं। ये एजेन्ट राज्य सरकार द्वारा थोक ग्राय फुटकर डीलरों को शहरी और ग्रामीण इलाके की जनता की बिक्री के लिए उत्पादों की सप्लाई करते हैं।

(ख) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उक्त (ख) को देखते प्रश्न नही उठता।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को इंधन पर आधारित करना

1132. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की लागत कोयले पर आधारित संयंत्रों की तुलना में दो-तिहाई बैठती है और उनकी स्थापना में भी दो वर्ष कम लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कोरबा के प्रस्तावित कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र को ईंधन तेल पर आधारित संयंत्र में बदलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्तमान दर पर एक ईंधन तेल पर आधारित मानक आकार (स्टैन्डर्ड साईज) के संयंत्र की लागत 160 करोड़ रुपये की होगी। जबकि उसी आकार के कोयले पर आधारित संयंत्र की लागत 192 करोड़ रुपये होगी तथा यह कुछ महीने पहले भी कार्यन्वित किया जा सकेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उल्टाडांगा के निकट ढाकुनी लोकल ट्रेन द्वारा छः व्यक्तियों का कुचला जाना

1133. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7, जनवरी, 1975 को हुई उस भयावह दुर्घटना की ओर दिलाया गया है, जिसमें छह व्यक्ति मारे गए जबकि स्यालदा जाने वाली ढाकुनी ट्रेन उल्टाडांगा रेलवे स्टेशन के निकट अप शांतिपुर लोकल ट्रेन के कुछ प्रदर्शन करने वाले यात्रियों को कुचलते हुए निकल गई;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या इस दुर्घटना के हताहतों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 7-1-1975 को जब एम 117 अप सियालदह-शान्तिपुर स्थानीय गाड़ी लगभग 19.14 बजे अप-उपनगरीय लाइन पर उल्टाडांगा रोड स्टेशन से रवाना हुई; तो कुछ यात्रियों ने झूठ-मूठ गाड़ी में आग लगने का शोर मचा दिया। इससे कुछ यात्री आतंकित हो उठे और उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर गार्ड को गाड़ी रोकने के लिए कहा। गार्ड ने आपात ब्रेक लगा दिया। जब गाड़ी रुकी तो कुछ व्यक्ति गाड़ी के दोनों ओर नीचे कूद कर गार्ड की ओर दौड़े और उस पर पथराव शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप गार्ड घायल हो गया। एक या दो मिनट के भीतर डी० के० 256 डाउन डानकुनी-सियालदह स्थानीय गाड़ी डाउन उपनगरीय लाइन पर उस जगह आ पहुंची। अधिकांश व्यक्ति पटरी से हट गये थे लेकिन 7 व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गये जिनमें से 4 तो वहीं पर गये, 2 व्यक्ति अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मर गये और एक बच्चे को गम्भीर चोट आयी जिसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। रेल कर्मचारियों की कोई चूक या लापरवाही सिद्ध नहीं हुई।

(घ) जी नहीं।

प्लास्टिक सामान निर्माण उद्योग में मन्दी

1134. **श्री धामनकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्लास्टिक सामान निर्माण उद्योग में इस समय मन्दी आ गई है और इसकी 50 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है और उद्योग विकास में गतिरोध आ गया है;

(ख) देश में कच्चे माल की कीमतों में 100 प्रतिशत वृद्धि होने के अलावा इस उद्योग में ऐसी स्थिति आने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस पर उत्पाद शुल्क में काफी मात्रा में कमी करने की वांछनीयता के प्रश्न की सरकार ने जांच की है और इस उद्योग को संकटपूर्ण स्थिति से उबराने के लिए क्या अन्य कोई सुविधायें भी दी जायेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गणेश) : (क) देश में, प्लास्टिक परिवर्तन उद्योग में कुछ मन्दी सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में प्लास्टिक कच्चे माल के निषेधात्मक मूल्य, राज्य व्यापार निगम के द्वारा उसके आयात के लिए परिवर्तकों की ओर से अरुचि के कारणों में से भी एक कारण है।

(ग) प्लास्टिक सामग्री पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क में वृद्धि के प्रति उद्योग से कुछ समय पहले प्राप्त अभ्यावेदनों की सरकार द्वारा जांच की गई थी और यह निर्णय ले लिया गया था कि कमी अपेक्षित नही थी। उद्योग ने उत्पाद शुल्क में कमी के लिए फिर अभ्यावेदन दिया है और वह विचाराधीन है।

सीरे के मूल्य और वितरण पर कानूनी नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव

1135. **श्री धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की, जिनमें औषध और भेपज निर्माता उद्योग भी सम्मिलित हैं, औद्योगिक एल्कोहल की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई को देखते हुए सरकार का विचार देश भर में सीरे और एल्कोहल के मूल्य और वितरण पर कानूनी नियंत्रण लागू करने का है;

(ख) क्या कानूनी नियंत्रण लागू करने से देश भर में सीरे और एल्कोहल का अधिक युक्तिसंगत और समान वितरण विनियमित करके देशी उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी और एल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों का निर्बाध कार्यकरण निश्चित हो सकेगा; और

(ग) एल्कोहल की विदेशी मुद्रा में वर्तमान आवश्यक औद्योगिक आयात आवश्यकता कितनी है और कानूनी नियंत्रण से उसमें कहां तक राहत मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सीरा नियन्त्रण आदेश 1961 के अधीन केन्द्रीय सरकार की ओर से सीरे के वितरण और मूल्य पर कानूनी नियन्त्रण पहले ही रखा जाता है जोकि उन राज्यों को छोड़कर सभी पर लागू होता है जिन का अपना सीरा नियंत्रण अधिनियम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राज्यों का अपना सीरा नियंत्रण अधिनियम है।

एथिल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1972 के अधीन औद्योगिक अल्कोहल के मूल्य का कानूनी नियंत्रण भी किया जाता है। केन्द्रीय सरकार बचत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में शीरे और अल्कोहल का आवंटन करते समय अपने अच्छे अधिकारों का प्रयोग करती है। अपनी राज्य सरकारों द्वारा राज्यों के अन्दर उसके वितरण की देखभाल की जाती है। राज्य सरकारों का संबंध पोर्टेबल अल्कोहल के वितरण और मूल्य से है। सरकार सीरे और अल्कोहल के कानूनी नियन्त्रणों में प्रभावशाली सुधारों की संभाव्यताओं की खोज कर रही है।

(ग) वर्ष 1974 में किसी औद्योगिक अल्कोहल का आयात करने की अनुमति नही दी गई थी और न ही वर्ष 1975 के लिए इसका आयात करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचारा-धीन है।

Import of Oil

1136. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state.

(a) the amount of money India paid during the last six months for oil imports and the names of the countries to which this payment was made;

(b) whether India held negotiations with Arab nations on the question of reducing oil prices and affording other facilities; and.

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) The information asked for the last six months is not yet available.

(b) & (c) : Discussions have been going on with a number of countries on the subject. We have supported the cause of oil producing countries to obtain a just price for their natural resource. Since the developing countries like India are unable to adjust immediately to the high prices, we have sought deferred payment facilities for crude supplies. As a result of discussions it has been possible for us to get some supplies of crude oil on deferred payment terms.

Reinstatement of employees involved in May, 1974 Strike

1137. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees who have not yet been reinstated for their having taken part in the Railway strike last year;

(b) the number of ticket checking staff out of them; and.

(c) whether Government purpose to reinstate these employees early?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) 2,230 only.

(b) 21 only.

(c) The policy of the Government as repeatedly pronounced in both Houses of Parliament is that while no general amnesty can be given to the staff irrespective of the seriousness of their actions against national interest in maintaining the nation's life-line, the Railway Administration are considering all appeals and representations with sympathy, putting staff back to duty wherever possible.

संविधान के अनुच्छेद 82 के अधीन निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन

1138. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार सम्बन्धित प्राधिकारियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों, का नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन करना आज्ञापक है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि साधारण निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को पूरा करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 82 की अपेक्षाओं से, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने के पश्चात् छूट 'संविधान में संशोधन के सिवाय' नहीं दी जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या अब सरकार इस दृष्टि से कि समय से पूर्व मतदान कराया जा सके संविधान के अनुच्छेद 82 के उपबन्ध से बच निकलने के उपाय खोजने में व्यस्त है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) 25 दिसम्बर, 1974 को दिल्ली टेलीविज़न पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उनसे पूछे गए एक काल्पनिक प्रश्न के उत्तर में वह विचार व्यक्त किया था जिसके प्रति माननीय सदस्य ने निर्देश किया है।

(ग) यह विचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, जो संविधान के अधीन एक प्राधिकारी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बहु-राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा तेल की खोज के लिए पेशकश

1139. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहु-राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन्होंने हाल ही की अवधि में इस देश में तेल की खोज के ठेके आरम्भ करने की पेश कश की है;

(ख) उन बहु-राष्ट्रीय फर्मों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव दिये हैं और इस प्रकार दिये गये प्रस्तावों का स्वरूप क्या है;

(ग) उन फर्मों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या भूमिका अदा किये जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) बंगाल थाला के लिए गार्लसबर्ग इण्डिया ग्रुप तथा कच्छ थाला के लिए रीडिंग एण्ड बेट्स ग्रुप के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कुछ विदेशी तेल कम्पनियों से अपतटीय तेल अन्वेषण हेतु प्राप्त कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस बारे में किसी प्रकार के ब्यौरे देना जन-हित में नहीं होगा। विदेशी कम्पनियों से बात चीत करने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को, पूर्ण रूप से संबद्ध किया गया है।

मारुति लिमिटेड हरियाणा

1140. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री मारुति लिमिटेड, हरियाणा के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) कम्पनी द्वारा बैंकों से लिये गये प्रतिभूति ऋणों का ब्यौरा (दो) जिन बैंको इसे ऋण दिये उनके नाम, तथा प्रत्येक बैंक द्वारा दिये गये ऋण की राशि, (तीन) ऋणों की वापसी की शर्तों का ब्यौरा और (चार) कम्पनी को 46,54,215 रु० के ऋणों के स्रोत (बैंकों से भिन्न) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने इस कम्पनी को हाल ही में 7 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट मंजूर किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय उप-मंत्री में (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी अधिनियम द्वारा विहित तुलन-पत्र के प्रस्ताव में कम्पनियों के लिये इस प्रकार के ब्यौरे देना अपेक्षित नहीं है। अतः पूछे गये रीति के पुनः विभिन्न ब्यौरे तुलन-पत्र में उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह सूचना केवल 19-11-74 तक उपलब्ध है। 19-11-74 तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने ऐसा कोई ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

मारुति लिमिटेड हरियाणा के प्रमुख शेयरधारी

1141. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित कम्पनियां मारुति लिमिटेड, हरियाणा के प्रमुख्य शेयरधारी हैं अर्थात् (एक) मैसर्स वी० पी० ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (दो) मैसर्स दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड (तीन) मैसर्स सरन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड और (चार) मैसर्स चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनियों में से प्रत्येक के पास मारुति लिमिटेड हरियाणा में कितने तथा किस मूल्य के शेयर हैं;

(ग) इन चार कम्पनियों के निदेशक बोर्ड का वर्तमान गठन क्या है;

(घ) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति, ने उक्त चार कम्पनियों को बिरला गृह के नियंत्रण के अन्तर्गत कम्पनियों के रूप में सूची दर्ज किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय इन कम्पनियों पर वास्तव में किसका नियंत्रण है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) प्रथम उल्लिखित कम्पनी का सही नाम उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, है। संदर्भित चार कम्पनियां मारुति लिमिटेड की मुख्य शेयरधारी नहीं हैं। इन चार कम्पनियों द्वारा 28-9-1974 तक धारित शेयरों की

संख्या और मूल्य निम्न प्रकार दिया जाता है। मैसर्स मारुति लिमिटेड की कुल प्रदत्त पूंजी 28-9-1974 तक 1,84,60,700 रुपये थी।

कम्पनी का नाम	धारित 10रु० प्रत्येक के साम्य शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का मूल्य (रुपये)	मारुति लिमिटेड को कुल प्रदत्त पूंजी में धारित शेयरों का प्रतिशत
1. मैसर्स उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड .	40,000	4,00,000	2.2
2. मैसर्स दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड .	30,000	3,00,000	1.6
3. मैसर्स सरन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड .	20,000	2,00,000	1.1
4. मैसर्स चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड .	10,000	1,00,000	0.5
योग :			5.4 प्रतिशत

(ग) पूर्वोक्त चार कम्पनियों के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार दी जाती है :--

(1) मैसर्स उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 10-10-74 तक

श्री एस० एन० गुप्ता

श्री आर एन० झुंझुनूवाला

श्री एम० जी० कनोडिया

श्री सत्यनारायण मुंछल

(2) मैसर्स दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड 29-10-74 तक

श्री एच० के० पचीसिया

श्री एम० सी० सेठ

श्री एस० एल० दादा

श्री जी० डी० धुर्का

(3) मैसर्स सरन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 10-10-74 तक

श्री एच० के० पचीसिया

श्री ओ० पी० झुंनझुनवाला

श्री जी० सी० खेतान

श्री एम० पी० कनोडिया

(4) मैसर्स चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड 17-10-74 तक

श्री एस० एन० गुप्ता

श्री वी० पी० नेवटिया

श्री वी० एल० शारदा

श्री जी० डी० सोमानी

(घ) तथा (ङ) : हां, श्रीमान् जी। ये कम्पनियां इस प्रकार के अनुदान में प्रतिद्विवन्दना कर रही हैं एवं यह विषय परीक्षान्तर्गत है।

उर्वरक संयंत्रों के निर्माण कार्य में प्रगति

1142. **श्री एम० कतामुतु**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उर्वरक संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण-कार्य तीन वर्ष पहले शुरू हुआ था; परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) इन संयंत्रों का निर्माण-कार्य इस समय किस स्थिति में है और इनमें कब तक उत्पादन कार्य शुरू हो जायेगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	तीन साल पहले कार्यान्वयन के लिये हाथ में ली गई परियोजनाओं के नाम	संरचना का विद्यमान स्तर पूरे होने की सम्भावित तारीख
1	2	3
1.	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० मंगलौर	परियोजना संरचना की उन्नत अवस्था के चरण में है और वह यंत्रों की दृष्टि से जून/जुलाई 1975 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।
2.	साउदर्न पैट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० (तूतीकोरीन)	परियोजना को चालू किया जा रहा है और मार्च/अप्रैल 1975 तक इस परियोजना में उत्पादन शुरू किये जाने की आशा है।
3.	एफ० सी० आई० (बरौनी परियोजना)	व्यवहारिक दृष्टि से संयंत्र को यांत्रिक रूप से खड़ा करने का कार्य पूरा है और अप्रैल 1975 तक इस परियोजना के कार्य करने की आशा की जाती है।
4.	एफ० सी० आई० (नामरूप परियोजना)	संयंत्र को व्यवहारिक दृष्टि से यांत्रिक रूप में खड़ा करने का कार्य पूरा हो गया है और अप्रैल 1975 तक इस परियोजना के कार्य करने की आशा है।
5.	एफ० सी० आई० (सिंदरी परियोजना)	सिविल निर्माण कार्यों का कार्य फरवरी मास 1975 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। सारे विदेशी उपकरण और देशीय उपकरणों का लगभग 70% उपकरण कार्य-स्थल पर प्राप्त कर लिये गये हैं। मई 1975 तक यांत्रिकीय प्रतिष्ठान पूरा हो जाने की आशा है और इस परियोजना का कार्य अक्टूबर 1975 तक चालू होने की आशा है।

1	2	3
6.	कोचीन फर्टिलाईजर्स प्रोजेक्ट (फेज II)	सल्फ्यूरिक एसिड फोसफोटिक एसिड, और एन० पी० के संयंत्रों का प्रतिष्ठान उन्नत अवस्था में है। यह परियोजना 1975 के अन्त तक कार्य करने के लिये बन कर तैयार होने की आशा है।
7.	एफ ०सी० आई० (रामागुण्डन प्रोजेक्ट)	भूमिगत पाइप लाइन बिछाने, मुख्य संयंत्र की पाइप लाइनों का काम और विद्युत प्रतिष्ठापन कार्य हो रहा है। इस परियोजना का उत्पादन जनवरी, 1977 तक होना शुरू हो जायेगा।
8.	एफ० सी० आई० (ताल्चर प्रोजेक्ट)	सिविल निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूप से हो रहे है। इस परियोजना का उत्पादव कार्य जनवरी, 1977 तक होना शुरू हो जायेगा।

दिल्ली के लिये भूमिगत रेल परियोजना

1143. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की भूमिगत रेल परियोजना को क्रियान्वित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या दिल्ली में सड़क परिवहन योजना यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के लिये द्रुत परिवहन की शीघ्र व्यवस्था करने वाले किन उपायों पर सरकार विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली के लिये व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/अध्ययन का काम प्रगति प्रर है और आशा है कि 1975 की दूसरी छमाही में यह पूरा हो जायेगा। महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) की प्रथम रिपोर्ट पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। प्राथमिकता के अनुसार पहले बनाई जाने वाली लाइनों के ब्यौरेवार अभिकल्प और योजना तैयार करने के सम्बन्ध में 1975-76 के वजट में व्यवस्था कर दी गई है तथापि उपर्युक्त तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद ही योजना आयोग के परामर्श से यह काम प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(ख) मोटर ईंधन की कीमतें बढ़ जाने से दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम (डी० टी० सी०) द्वारा परिचालित सड़क परिवहन सेवाओं पर व्यस्तकाल में निःसन्देह भारी दबाव पड़ा है।

(ग) बस सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से डी० टी० सी० द्वारा बस बेड़े में विस्तार, अनुरक्षण सुविधाओं और मार्ग के ढांचों में सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और चालू किये गये नये मार्गों द्वारा यात्री जनता को काफी राहत की व्यवस्था की जा चुकी है। कुछ विशिष्ट

मार्गों पर परिचालित प्राइवेट बसों की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। डी० टी० सी० की बसों में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण कुछ विशिष्ट मार्गों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की टैक्सी सेवा प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है।

व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली एक अत्यन्त खर्चीला प्रस्ताव है तथा भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत जब तक उसकी तकनीक और कुशलता दोनों के सम्बन्ध में अधिक अनुभव नहीं हो जाता तब तक इन नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करना न्यून साधनों को जोखिम में डालने के समान होगा। स्पष्टतः दिल्ली में सड़क परिवहन प्रणाली को एक बड़ी भूमिका निभानी है और इसके विकास के लिये काफी गुंजाइस है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को लागू करने हेतु कम्पनी अधिनियम का संशोधन

1144. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिये कम्पनी अधिनियम का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

औषधियों का अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करना

1145. **श्री के० एस० चावड़ा** :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी 'बल्क' औषधियों का उत्पादन अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक मात्रा में होता है; किन किन फर्मों ने गत तीन वर्षों में अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक मात्रा में उत्पादन किया, 'बल्क' औषधियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत फार्म्यूलेशन तैयार करने के लिये स्वयं उपयोग में लाया जाता है, फार्म्यूलेशन्स के नाम क्या हैं, उनका विक्रय मूल्य क्या है, सम्बन्द्ध 'बल्क' औषधियों का 'सी० आई० एफ०' मूल्य क्या है और क्या वे अंतिम से पूर्ण चरण तक बनती हैं, 'बल्क' औषधियों के निर्माण में कितना आयातित कच्चा माल लगता है और 'बल्क' औषधियों का अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर विदेशी मुद्रा का क्या व्यय होता है;

(ख) उक्त 'बल्क' औषधियों के लिये भारतीय फर्मों के कितने प्रस्ताव गत तीन वर्षों में नामंजूर किये गये और कितने मामलों में अभी निर्णय नहीं लिया गया है तथा नामंजूर करने अथवा निर्णय के स्थगन के क्या कारण हैं;

(ग) अतिरिक्त उत्पादन के इस मामले में आर्थिक समन्वय समिति के क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त/अनुदेश हैं; और

(घ) क्या उनके विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनके विरुद्ध तथा अनियमितताओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) और (घ) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग समिति औषध उद्योग के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आशा है समिति की रिपोर्ट अप्रैल, 1975 तक प्राप्त हो जायेगी एवं औषधों के अधिक उत्पादन के प्रश्न पर उसके बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा फार्मूलेशन तैयार किया जाना

1146. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली विदेशी औषधि निर्माता फर्मों को कुल कितने फार्मुलेशन बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) उनमें से कितने फार्मूलेशन उनके द्वारा नहीं लाये जाते और फार्मूलेशन के नाम और उपयोग क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत होगी।

विदेशी औषध फर्मों में अन्तर्सम्बद्ध निदेशक-पद

1147. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध निर्माता फर्मों के कतिपय मामलों में अन्तर्सम्बन्ध निदेशक पद एक आम बात है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्सम्बद्ध निदेशक पद वाली विदेशी फर्मों को इक्विटी बिक्री आदि के मामले में संयुक्त रूप से मानने का है या इन फर्मों के उत्पादक-संगीय (कार्टेल) और एकाधिकारी रवैये को रोकने के लिये उन्हें एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम के अन्तर्गत रखने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली विदेशी फर्मों के सम्बन्ध में, अन्तर्सम्बन्द्ध निदेशक पद के मामलों का उल्लेख करते हुये, निदेशक पदों का कम्पनीवार ब्यौरा सभा पटल पर रखने का है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (घ) 1972-73 के वर्षों के मध्य पदासीन इन कम्पनियों के निदेशकों के नामों सहित 31-3-73 तक औषधियों के निर्माण में संलग्न विदेशी कम्पनियों की 18 भारतीय सहायकों की सूची देते हुये, एक स्वयं व्याख्यात विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9003/75]

(ख) तथा (ग) इन 18 कम्पनियों में दो, अर्थात् दि ग्लाक्सगो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड तथा दि सीबा आफ इंडिया लिमिटेड, ने स्वयं को, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधि- नियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया है। एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधि नियम, की धारा 2(छ) के साथ पठित धारा 20 में उपक्रमों पर कथित अधिनियम की इस धारा के लागूकरण का निर्धारण करने के लिये, साम्य सहभागिता तथा निदेशकों के अन्तःसम्बन्ध, सहित परिसम्- पत्तियों की गणना का प्रावधान है।

पारादीप उर्वरक संयंत्र में काम निलम्बित हो जाना

1148. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में गम्भीर वित्तीय संकट होने के कारण पारादीप संयंत्र में काम निलम्बित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम को अधिक धनराशि देने का है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पारादीप प्रायोजना सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप से मंजूर की गई है। प्रायोजना का कार्यान्वियन वित्तीय और अन्य प्रबन्ध हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी का उपरिपुल

1149. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीतामढ़ी के म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा अन्य नागरिकों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सीमामढ़ी रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) में गैर वाहन यातायात के लिये लकड़ी का उपरिपुल बनाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर वाहनेतर यातायात के लिये लकड़ी का उपरिपुल बनाने के सम्बन्ध में सीतामढ़ी के नगरपालिका आयुक्त से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन 29-7-74 को पूर्वोत्तर रेलवे की अनौपचारिक परामर्श समिति की बैठक में श्री हरिकिशोर सिंह संसद सदस्य ने इस स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल बनाने का प्रस्ताव किया था क्योंकि उनका विचार था कि शहर स्टेशन के दोनों ओर फैल गया है। रेलवे द्वारा माननीय सदस्य को

बताया गया था कि चूंकि यह काम केवल एक ओर से दूसरी ओर यार्ड पार करने के लिये क्षेत्र के स्थानीय लोगों की सुविधा के लिये ही अपेक्षित है, इसलिये इसकी लागत स्थानीय प्राधिकारियों को वहन करनी पड़ेगी।

चितौनी घाट के समीप गंडक नदी पर रेलवे पुल

1150. **श्री हरि किशोर सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चितौनी घाट, उत्तर पूर्व रेलवे, के समीप गंडक नदी पर रेलवे पुल को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यदि इसमें कोई विलम्ब हो रहा है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) इस काम में कुल मिलाकर 2.1% वास्तविक प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) आमतौर पर काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस काम के स्वीकृत अनुमान में गंडक नदी के लिये गाइड बांध और धारा नियंत्रण सम्बन्धी अन्य कामों की लागत शामिल नहीं है। यह लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग से इस परियोजना के लिये अतिरिक्त धन आबंटित करने के लिये कहा है। जैसे ही राज्य सरकार नदी के धारा नियंत्रण सम्बन्धी काम के लिये अपेक्षित रकम रेलों को सौंपेगी, पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच बड़ी रेल लाइन (ब्राड गेज) के कार्य में प्रगति

1151. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे में एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस मार्ग में बड़ी रेल लाइन किस तारीख से चालू होगी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त तक समग्र प्रगति 62 प्रतिशत है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो इस काम के 1976 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे को सस्ती दर पर बिजली सप्लाई करने के लिये केरल सरकार का प्रस्ताव

1152. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने के लिये आवश्यक बिजली सस्ती दर पर सप्लाई करने के लिये रेलवे से एक दीर्घावधि करार करने हेतु केरल सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले और तेल के अधिक मूल्यों तथा भारत में प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे कम लम्बी रेल लाइन को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार अपनी स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी और त्रिवेन्द्रम से मंगलौर तक रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिये कदम उठाने पर सहमत होगी?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केरल सरकार ने रियायती दरों पर बिजली देने की पेशकश की है, लेकिन किसी विशिष्ट दर का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) मंगलूर–तिरुवनन्तपुरम खंड पर यातायात का धनत्व ब्रेक–ईवन प्वाइंट से भी इतना कम है कि यदि बिजली निम्नतम कल्पनीय दर पर लम्बी अवधि के आधार पर सप्लाई की जाये, तो भी जो प्रतिफल प्राप्त होगा उससे इस खंड के बिजलीकरण के लिये बड़ी मात्रा में अपेक्षित साधनों के लगाने का कोई औचित्य नहीं होगा। तिरुवनन्तपुरम–एरणाकुलम–आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुकने और बड़ी लाइन मार्ग पर यातायात में वृद्धि का जायजा लेने में पर्याप्त समय व्यतीत हो चुकने के बाद इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई

1153. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1974 से जनवरी, 1975 की अव ।के दौरान विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई के क्या आंकड़े हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या केरल को मिट्टी के तेल की सप्लाई की भारी कमी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जनवरी 1974 से जनवरी 1975 तक विभिन्न राज्यों को सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल के राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध 1 में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०–9004/75]

(ख) से (घ) वर्ष 1974 के अन्तर्गत राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती करनी पड़ी थी। कतिपय महीनों में पुर्वानुमानित मांग के आधार पर, राज्यों के कोटे में 30 प्रतिशत तक की कटौती करनी पड़ी थी। परिणामस्वरूप अनेक् राज्यों से मिट्टी के तेल की कमी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त की गई थीं। हो सकता है कि इसके परिणामस्वरूप केरल में भी कुछ कमी उत्पन्न हो गई हो। इन कठिनाइयों के निवारणार्थ, नवम्बर 1974 से समस्त राज्यों के आवंटन् में वृद्धि कर दी गई थी। कटौतियों की सीमा औसतन 10 प्रतिशत तक कम कर दी गई थी। इसके पश्चात् राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है। वर्तमान वर्ष की शेष अवधि के लिये इस आवंटन ढील को बनाये रखने का प्रस्ताव है।

एल्लेप्पी को एरणाकुलम और कोयमगुलम के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन

1154. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एल्लेप्पी को एरणाकुलम और कोयमगुलम के साथ मिलाने वाली नई रेलवे लाइन बनाने और उसके लिये तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने रेलवे को इस लाइन को बिछाने के लिये भूमि और स्लीपर मुफ्त देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली भूमि और स्लीपरों का लगभग कितना मूल्य होगा; और

(घ) यदि इस लाइन को बिछाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एल्लेप्पी के रास्ते एर्णाकुलम से कायकुलम तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के लिये 1970 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था। इस समय इस लाइन के लिये आगे सर्वेक्षण शुरू करने का विचार नहीं है।

(ख) राज्य सरकार ने केवल अपनी भूमि और स्लीपर मुफ्त देने की पेशकश की है।

(ग) जब तक राज्य सरकार की भूमि के क्षेत्रफल और उसके मूल्य का पता लगाने के लिये ब्यौरेवार सर्वेक्षण नहीं कर लिया जाता तब तक राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली भूमि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता;

(घ) पांचवी योजना में संसाधनों की भारी कमी के कारण इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करना सम्भव नहीं हो सका है।

भारत में तेल की खोज के लिये ब्रिटेन द्वारा सहायता दिया जाना

1155. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने तेल संकट के कारण उत्पन्न अत्याधिक गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिये भारत को सहायता देने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो बंगाल की खाड़ी और बम्बई के गहरे समुद्र में तेल की खोज के कार्य में तेजी लाकर इस संकट पर काबू पाने के लिये भारत को तकनीकी सहायता और विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करने के सम्बन्ध लार्ड वली के साथ हुई बातचीत का मुख्य ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) इंग्लैंड के उर्जा राज्य मंत्री लार्ज वली के जनवरी 1975 में भारत के दौरे के दौरान तेल सम्बन्धी मामलों में आपसी हितों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने भारतीयों के लिये इंग्लैंड में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रस्ताव किया और थोड़ी अवधि के लिये भारत में तेल अन्वेषण एवं उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता के लिये अपने विशेषज्ञ भेजने का भी प्रस्ताव किया।

हावड़ा से आमता के बीच बड़ी लाइन

1156. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हावड़ा से आमता के बीच बड़ी लाइन तथा बरागाचिया से चम्पाडांगा के बीच शाखा लाइन के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या उक्त कार्य में सहयोग देने के लिये राज्य सरकार सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को ही उक्त परियोजना का कुल कितना वित्तीय भार वहन किरना पड़ेगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) राज्य सरकार की हिस्सेदारी की शर्तों को अभी हाल में अन्तिम रूप दिया गया है लेकिन इसके प्रभावी होने से पूर्व संसद् का अनुमोदन अपेक्षित है। इस परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जायेगी। भूमि को छोड़ कर इस परियोजना की लागत 12.16 करोड़ रुपये है और भूमि की लागत लगभग 1.73 करोड़ रुपये आयेगी। रेलवे और राज्य सरकार के बीच संशोधित वित्तीय प्रबन्ध का अनुमोदन संसद द्वारा कर देने के बाद निर्माण का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने को चालू करने में विलम्ब

1157. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेलशोधक कारखाने के चालू होने में अभी और विलम्ब होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके कब तक चालू होने की संभावना है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) हल्दिया शोधनशाला के ईंधन खंड को दिनांक 30 अगस्त, 1974 को परीक्षण के तौर पर चलाया गया और तबसे ही इसके वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है। विस्ब्रेकर यूनिट के मई-जून 1975 तक पूरा हो जाने की आशा है। ल्यूबे खंड 1975 के अन्त तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है। इन यूनिटों के चालू होने में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण है विदेशी सप्लायरों से उपकरण के प्राप्त होने में विलम्ब, निर्माण कार्यों की सामग्री आदि में कमी होना।

केरल में फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मण्डल कारखाने में उत्पादन

1158. श्री **वयालर रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 की पहली छमाही के दौरान केरल के फर्टीलाइजर एंड केमीकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मण्डल कारखाने में कुल कितना उत्पादन हुआ और गत तीन वर्षों की इन्हीं अवधियों के उत्पादन की दृष्टि से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है और उनके तत्सम्बन्धी उत्पादन लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) क्या इन कारखानों में उत्पादन लक्ष्य की अपेक्षा उत्पादन काफी कम रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस कारखाने के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना निम्न-लिखित है :—

(अप्रैल से सितम्बर)

	1971—1972		1972—1973		1973—74		1974—75	
	(000 मीटरी टन पोषक नाइट्रोजन एन० 2 एवं फास्फेट पी०$_2$ ओ०$_5$ के रूप में)							
	एन० 2	पी० 205	एन० 2	पी० 205	एन० 2	पी० 205	एन० 2	पी० 205
लक्ष्य .	17.5	8.7	17.5	8.5	22.5	11.3	19.0	9.5
उत्पादन	15.0	6.0	9.6	3.8	19.5	10.1	16.5	9.5
अन्तर . . .	−2.5	−2.7	−7.9	−4.7	−3.0	−1.2	−2.5	—

(ख) लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी मुख्यतया संयंत्रों के पुराने होने, उपकरणों के टूट-फूट जाने, बहुत से संयंत्रों के एक दूसरे पर निर्भरता होने जोकि कुछ पुराने, हैं, बिजली की रुकावट, वाल्टेज कम अधिक होने तथा श्रमिक समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई थी। इस एकक के कार्यानिस्पादन में सुधार लाने के लिये दोषयुक्त उपकरणों को ठीक करने तथा उनको बदलने के उपाय किये जा चुके हैं।

कुछ औषधियों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु फाइजर के साथ बातचीत

1159. श्री रामावतार शास्त्री :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैट्रासाइक्लीन और आक्सीटैट्रासाइक्लीन का निर्माण करने के लिये प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और आई० डी० पी० एल० की क्षमता में वृद्धि करने के लिये सरकार मैसर्स फाइजर लिमिटेड के साथ बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) टैट्रासाइक्लीन तथा आक्सीटैट्रासाइक्लीन का उत्पादन बढ़ाने तथा आई० डी० पी० एल० द्वारा डोक्सीसाइक्लीन के निर्माण के लिये मैसर्स फाइजर्स द्वारा निःशुल्क प्रौद्योगिकी की पेशकश के बारे में (i) आक्सीटैट्रासाइक्लीन के लिये उन की अधिक क्षमता के नियमत करने तथा (ii) प्रतिवर्ष 5 मीटरी टन डाक्सीसाइक्लीन के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के बारे में उनके अनुरोध के सन्दर्भ में, उन के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

हाथी समिति की रिपोर्ट, जिसे अप्रैल 1975 तक प्राप्त किये जाने की आशा है, में की गई सिफारिशों के समग्र सन्दर्भ में, सरकार इस प्रस्ताव के बारे में अपना निर्णय लेगी।

Demand for Running a Day Train Between Patna and Ranchi

1160. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether only one night train, namely the Hatia Express, operates between Patna, the capital of Bihar, and Ranchi and other places of South Bihar;

(b) if so, whether for the convenience of passengers and in order to augment Government revenue, a demand has been made for running a day train between Patna and Ranchi; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 23/24 Patna-Ranchi-Hatia Express and 87/88 South Bihar Express operate between Patna and Ranchi-Hatia and Patna and Tatanagar respectively.

(b) Yes.

(c) Introduction of additional train between Hatia and Patna is not possible due to lack of line capacity on sections enroute and terminal facilities at Patna.

वृद्ध माता-पिता और आश्रित बहिनों के लिए पासों की सुविधा

1161. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दण्ड संहिता के अधीन वृद्ध माता-पिता और आश्रित बहिनों को पालन-पोषण के लिए क्रमशः पुत्रों और भाइयों को बाध्य करने के लिए कानूनी अधिकार दिये गये हैं ;

(ख) क्या वृद्ध मां बाप और आश्रित बहिनें रेल कर्मचारियों के विशेष पासों और पी० टी० ओ० में अपने नाम शामिल कराने की हकदार नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पांच सदस्यों के प्रतिबन्ध को समाप्त करके वृद्ध माता-पिता और आश्रित बहिनों के नाम शामिल करने के लिए व्यवस्था करने हेतु पास नियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नयी अपराध प्रक्रिया संहिता में पिता अथवा माता के भरण-पोषण के लिए, यदि वे अपना भरण-पोषण स्वयं करने में असमर्थ हों तो, भुगतान करने की व्यवस्था है परन्तु आश्रित बहिनों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार, विधवा माता अथवा विमाता और अविवाहित अथवा विधवा बहिनों को पास तथा सुविधा टिकट आदेश में शामिल किया जा सकता है बशर्ते पिता जीवित न हो और वे पूर्णतः रेल कर्मचारी पर आश्रित हों तथा उसके साथ रह रही हों ।

(ग) जी नहीं ।

रेल कर्मचारियों को निःशुल्क खुराक देने संबंधी नियम

1162. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत वेतनमानों में 180 रु० प्रति मास तक वेतन पाने वाले रेल कर्मचारी, जब रेलवे अस्पतालों में भर्ती होते हैं, निःशुल्क खुराक प्राप्त करने के हकदार हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1973 के संशोधित वेतनमानों के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 196 रु० निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या नियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ताकि भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारी उस सुविधा का लाभ उठा सकें जिसे वे वर्ष 1973 के संशोधित वेतनमानों के लागू होने से पूर्व प्राप्त करने के हकदार थे और जहां आवश्यक हो धन की प्रतिपूर्ति के लिए प्रबंध किये जा सकें ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेलवे अस्पतालों में भर्ती होने पर निःशुल्क खुराक की पात्रता के लिए तीसरे वेतन आयोग ने मौजूदा वेतन की सीमा 180.00 रुपये (प्राधिकृत वेतनमान में) से बढ़ाकर 400.00 रुपये (संशोधित वेतनमान में) कर देने की सिफारिश की है । वित्त और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के परामर्श से संशोधित वेतन सीमा अपनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

बिहार में मार्टिन लाइट रेलवे के सेक्शनों का बन्द किया जाना

1163. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री रोबिन सेन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मार्टिन लाइट रेलवे के अर्राह और ससाराम और फतवा और इस्लामपुर के बीच के सेक्शनों को हमेशा के लिये बन्द किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिये रेल गाड़ियां चलाकर तथा उसके द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिये ,सरकार का क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फतुआ–इस्लामपुर लाइन पर गाड़ियों का चलना बन्द कर देने के संबंध में कंपनी से कोई सूचना नहीं मिली है । आरा-सासाराम लाइट रेलवे कंपनी ने जिसने पहले यह नोटिस जारी कर दिया था कि इस रेलवे को 15-2-75 से बन्द कर दिया जायेगा, अब इस रेलवे को बन्द करने की तारीख स्थगित करके 15-3-75 कर दी है ।

(ख) इस लाइन को चालू रखने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

नांगल डैम रेलवे स्टेशन पर उतारे गए माल की सुरक्षा

1164. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के नांगल डैम रेलवे स्टेशन पर उतारे गए माल के भंडारण व संरक्षण आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और इस कारण वहां चोरियां होती रहती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकारियों का उस स्टेशन पर तत्काल ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख): उतारे गये माल को रखने और उसकी सुरक्षा के लिए नांगल डैम स्टेशन के मालगोदाम-प्लेटफार्म पर एक छोटा सा छतदार शेड उपलब्ध है । सामान रखने के स्थान की कमी के कारण उठाईगीरी की कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है । हाल ही में, 25-11-1974 को केवल एक मोटर टायर के गायब होने के एक मामले की रिपोर्ट मिली थी । इस मामले की जांच पुलिस कर रही है । फिर भी, इस स्टेशन पर मालगोदाम संबंधी सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाना

1165. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में फरवरी, 1973 में लोक सभा में बजट भाषण में उनके पूर्वाधिकारी द्वारा बताये गये सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : 1973-74 का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री द्वारा प्रतिपादित नीति-लक्ष्य को दृष्टि में रखकर, पिछड़े क्षेत्रों में पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है :—

1. रोहतक-भिवानी (हरियाणा में)।
2. झंभारपुर-लौकहा बाजार (बिहार में)
3. हसनपुर-सकरी (बिहार में)।
4. मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन (उत्तर प्रदेश में)।
5. धर्मनगर-कुमारघाट (उत्तर-पूर्वी परिषद् को लागत पर बनायी जायेगी)।
6. नाडिकुडे-बीबीनगर (आंध्र प्रदेश में)।
7. बांसपानी-जाखपुरा (उड़ीसा में)।
8. शाहदरा-सहारनपुर।
9. हवड़ा-शियाखला।
10. हवड़ा-आमता।
11. डलमऊ-दरयापुर लाइन को फिर से बिछाना।
12. गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाना।
13. छितोनी-बगहा लाइन को फिर से बिछाना।
14. नयी नीति के अनुसार इन लाइनों के निर्माण में भागीदार बनने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है और कुछ राज्य सरकारों ने भागीदार होने की बात मान भी ली है। पांचवीं योजना में कई आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण और अधिक रेलवे लाइनों के निर्माण का काम हाथ में लेना संभव नहीं हो सका है, लेकिन बहुत सी लाइनों के लिए सर्वेक्षण के आदेश दिये गये हैं। इन सर्वेक्षणों का काम हो रहा है ताकि धन की उपलब्धता में सुधार होने पर इन परियोजनाओं के निर्माण पर विचार किया जा सके।

योजना आयोग से नयी लाइनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं योजना में आबंटित राशि में से पिछड़े इलाकों में रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए कुछ राशि अलग रख दें।

Development of Railways in Rajasthan

1166. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred separately on the various aspects of development of railways in Rajasthan, a backward State, during the period from 1971 to 1974 as compared to other States; and

(b) the reasons for adopting such attitude towards Rajasthan?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) Railways development is not envisaged on any State-wise or region-wise concepts but on considerations of over-all development in the national interest. Allocation of funds is made Railway-wise and not State-wise for each Financial year. As each Zonal Railway serves more than one State and development works may not be confined to the boundary of a particular State, the information regarding expenditure incurred is compiled for the project as a whole and not on the basis of territorial jurisdiction of the States involved.

Meeting of State Law Ministers to bring uniformity in court fees

1167: **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether he has called a meeting of the State Law Ministers to consider the question of bring about uniformity in the court fees so that justice may become less expensive and easily available; and

(b) whether the court fees are exorbitantly high in different States as a result of which justice has gone beyond the easy reach of the poor?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) No, Sir.

(b) Court-fees, except in regard to the Supreme Court and the Union Territories, is a matter within the exclusive jurisdiction of the State Governments. However the data relating to court-fees in the various States is being collected with a view to examining the possibility of making recommendations for rationalisation of court-fees.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईराक में प्रथम तेल कूप की खुदाई

1168. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईराक में प्रथम तेल कूप की खुदाई मई, 1975 में की जानी है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस कार्य के निष्पादन के लिये किसी के साथ सहयोग का समझौता किया है ;

(ग) क्या अन्य मध्य-पूर्व देशों में तेल कूपों की खुदाई के लिए अन्य देशों के साथ उक्त प्रकार के सहयोग समझौते करने के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) उनसे और विशेष रूप से इन देशों के लिए पैट्रोलियम के संशोधन से भारत को कहां तक लाभ प्राप्त होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं में कार्य कर रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ईराक में, यदि तेल व्यापारिक मात्राओं में प्राप्त किया जाता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को रियायती तथा गारंटीयुक्त बिक्री मूल्य पर अशोधित तेल की कुछ विशिष्ट मात्राओं की खरीद करने के अधिकार द्वारा उसकी सेवाओं के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पारिश्रमिक दिया जायेगा ।

तेल परिशोधनशालाओं को तेल के परिवहन के लिए उपकरण प्राप्त करना

1169. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल के उत्पादन को बढ़ाने और तेल परिशोधनशालाओं को तेल के परिवहन के लिए आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है और उक्त उपकरण कब तक प्राप्त किए जायेंगे ; और

(ग) उक्त उपकरण प्राप्त करने के परिणामस्वरूप देश किस स्तर तक और कब तक तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) तेल के क्षेत्र में यथा शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण जब कभी अपेक्षित हों, प्राप्त किये जा रहे हैं । जब कभी ये देश में उपलब्ध नहीं होते, इनका आयात किया जा रहा है ।

मिट्टी के तेल तथा पैट्रोल की पाकिस्तान को तस्करी

1170. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ जाने के परिणामस्वरूप आजकल भारत-पाक सीमा पर मिट्टी के तेल और पैट्रोल की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान पाकिस्तान को मिट्टी के तेल और पैट्रोल की तस्करी की रोकथाम के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस संबंध में कुछ गिरफ्तारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भारत-पाक सीमा पर मिट्टी के तेल और पैट्रोल की किसी प्रकार की तस्करी की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय रेल अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

1171. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय रेल अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं और संख्या कितनी है तथा प्रशिक्षण अवधि का समय और ढंग क्या है और ये किन देशों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ; और

(ग) भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण कहां तक लाभप्रद सिद्ध होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9005/75]**

(ग) भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षण बड़ा उपयोगी होगा ।

भारतीय तेल निगम दवारा दिल्ली विदयुत प्रदाय संस्थान को तेल की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी

1172. **श्री एन० ई० होरो** :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को धमकी दी है कि यदि उन्होंने निगम को देय ऋण की राशि का भुगतान न किया तो वे तेल की सप्लाई बन्द कर देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित पक्षों के बीच विवाद की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक नोटिस दिया गया था कि वह अत्यधिक बकाया राशि का भुगतान करे अन्यथा नकद भुगतान के आधार पर भविष्य में सप्लाई की जाएगी ।

(ख) इस संबंध में कोई विवाद नहीं है अत: प्रश्न नहीं उठता । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सप्लाई इस मौखिक बात-चीत पर की जाती है कि इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 10 दिन की सप्लाई के समेकित बिल प्रस्तुत किए जाएंगे तथा डेसू द्वारा 4/5 दिन के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा। तथापि इन व्यवस्थाओं के आधार पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भुगतान नहीं करेगा । दिसम्बर, 1974 तक पुरानी बकाया राशि लगभग 40 लाख रुपये थी जिसके कारण इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नोटिस जारी किये गये थे । बकाया राशि का अब भुगतान कर दिया गया है । इस मामले के कारण डेसू को की जाने वाली सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई ।

7 LSS /75—9

आसाम के तेल क्षेत्रों में उत्पादित गैस को उपयोग में न लाया जाना

1173. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में आयल इंडिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों में उत्पादित अधिकतर गैस को उपयोग में नहीं लाया जाता है और उसे जला दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इसके समुचित उपयोग के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) आसाम में आयल इंडिया लिमिटेड के तेल क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कुछ मात्रा को मुख्य रूप से उपभोक्ताओं द्वारा पूर्वत माल उठाने के बारे में दी गई सूचना की तुलना में कम माल उठाने के कारण, प्रज्वलित कर दिया जाता है । चाय बागानों को सप्लाई की जाने वाली गैस की कुछ मात्रा को छोड़ कर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित गैस को वर्तमान में प्रज्वलित कर दिया जाता है आयल इंडिया लिमिटेड के उपभोक्ताओं द्वारा माल उठाए जाने के कार्य में प्रगति होने की आशा है । कंपनी ने एल पी जी के निष्कर्षण तथा गैस के सघनीकरण हेतु एक संयंत्र की स्थापना का कार्यक्रम बनाया है । असम में उत्पादित प्राकृतिक गैस के इष्टतम उपयोग हेतु, एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है । इसकी रिपोर्ट पूरी होने वाली है ।

आसाम में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

1174. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में द्रवीभूत पैट्रोलियम गैस का कोई कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) आयल इंडिया लि० के पास लगभग 48000 मी० टन प्रतिवर्ष ईंधन गैस निकालने की योजना है जोकि निरीक्षणाधीन है ।

पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा अशोधित तेल के मूल्य बढ़ाने के निर्णय का भारत में पैट्रोलियम उत्पादों पर प्रभाव

1177. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री बी० मयावन :
श्री बरके जार्ज :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में प्रति बैरल 38 अमरीकी सेन्ट की वृद्धि करने के निर्णय के परिणामस्वरूप देश में नए वर्ष में अधिकतर पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों की खपत के वर्तमान स्तर की पूर्ति के लिए 1975 में कितना अशोधित तेल आयात किया जाना है ; और

(घ) क्या अशोधित तेल एवं उसके उत्पादों का आयात इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कम होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) अशोधित तेल के मूल्यों में परिवर्तन के संदर्भ में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, मार्च 1974 में सरकार द्वारा स्थापित तेल मूल्य ममिति द्वारा विचार किये गए विषयों में एक है । समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 3 फरवरी 1975 को प्रस्तुत की है । उत्पादों के मूल्य, तेल मूल्य समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद निश्चित किए जाएंगे ।

(ग) अशोधित नेल के आयात हेतु 1975-76 के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) 1973-74 के दौरान अशोधित तेल के 14.07 मिलियन मी० टन का आयात और आयात किए गए उत्पादों के 3.61 मिलियन मी० टन के मुकाबले में 1974-75 के दौरान अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित आयात क्रमश: 13.9 और 2.7 मि० मी० टन होंगे ।

विदेशी इक्विटी वाली फर्मों द्वारा निर्मित फार्मूलेशनों की क्षमताएं निर्धारित करना

1178. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों के लिये फार्मूलेशनों हेतु निश्चित अधिकृत क्षमता नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या दिनांक 27 मई, 1969 की अधिसूचना, जो प्रवर्तन में है, आम उपयोग की औषधियों के विकास हेतु विदेशी फर्मों के लिये बहुत हितकर सिद्ध हुई है जिसका वे फार्मूलेशनों के निर्माण हेतु रक्षित प्रयोग के लिए विस्तार करती रही है चूंकि उन पर कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या हाथी समिति को, जिसे विदेशी फर्मों द्वारा किये गये फार्मूलेशनों के अधिक उत्पादन की जांच का कार्यभार सौंपा गया है, फार्मूलेशनों का ब्यौरा सप्लाई नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लोक सभा में दिनांक 18 फरवरी, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (ख) के उत्तर में यह सूचना दे दी गई है ।

(ख) क्योंकि उत्पादन एकक सूत्रयोग कार्य कलापों की तुलना में प्रपुंज औषध के निर्माण कार्य में कम रूचि दिखा रहे थे । इसलिए प्रपुंज औषधी निर्माण में रुचि बढ़ाने के लिए दिनांक 27-5-1969 को यह अधिसूचना जारी की गई थी ; इस संदर्भ में सरकार का यह विचार था कि प्रपुंज औषधों का उत्पादन बढाने हेतु, इन औषधों के निर्माताओं को, उद्योग का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, अपने द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों के सूत्रयोगों को बनाने की अनुमति भी दे दी जानी चाहिए । यह अधिसूचना भारतीय, विदेशी तथा सरकारी समस्त क्षेत्रों के लिए लागू होती है ।

भारतीय क्षेत्र के साथ विचार विमर्श किया गया है तथा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु हर प्रकार के कदम उठाए जायेंगे ।

(ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता औषध और भेषजं उद्योग के बारे में गठित समिति द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है ।

माल की ढुलाई के दौरान उठाई गीरी के लिए अदा किया गया मुआवजा

1179. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में माल की ढुलाई के दौरान उठाईगीरी तथा चोरी के कारण रेलवे को कुल कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : दिसम्बर, 1974 के महीने की सूचना अभी संकलित नहीं की गयी है । लेकिन प्रेषणों के खो जाने/चोरी हो जाने अथवा उठाईगीरी के संबंध में जनवरी, 1974 से नवम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए रेलों द्वारा मुआवज़े के रूप में कुल 926 लाख रुपये राशि का भुगतान किया गया।

कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए औषधियों का अभाव पैदा करना

1180. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने तथा कतिपय ब्रान्ड वाली औषधियों की कीमतों में वृद्धि करने हेतु सरकार से 'अधिकतम' रियायतें प्राप्त करने के लिए केवल कुछ निहित स्वार्थ वाली पार्टियों द्वारा औषधियों का अभाव पैदा किया गया है ;

(ख) क्या औषधियों संबंधी हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक औषधियों के ब्रान्ड नामों को क्रमिक ढंग से समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की समिति के संबंध में मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी नहीं, देश में आवश्यक औषधों की आम अथवा अत्यधिक कमी नहीं है कुछ औषधों, मुख्यत: भारतीय कंपनियों; विदेशी कंपनियों तथा बड़े घराने की कंपनियों द्वारा उत्पादित स्वामित्व वाली ब्रांड की औषधियों की फुटकर कमी के बारे में इस मंत्रालय में समय-समय पर राज्य औषध नियंत्रकों से रिपोर्ट प्राप्त होती है। इनके लिए अन्य उत्पादकों के एक समान औषधियां प्राय: उपलब्ध है। जहां तक क्षमताओं में विस्तार करने का प्रश्न है, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के गुणावगुण के आधार पर ऊपर विचार होता है। औषधों के मूल्यों को औषध एवं भेषज (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत सार्वधिक रूप में नियंत्रण किया जाता है। तथापि प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये से अधिक को कुल बिक्री वाले एककों को उनके उत्पादों के मूल्यों का नियतन/संशोधन की सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने की छूट दी गई है। बताये गये आदेश की व्यवस्थाओं के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात बी० आई० सी० पी।संबंधित मंत्रालय द्वारा जांच करने के पश्चात् औषधों चाहे वे ब्रांड वाले हो अथवा अन्य हो, के मूल्यों में वृद्धि की जाती है।

(ख) और (ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।.

आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधों तथा आम घरेलू दवाइयों की व्यवस्थाओं के लिए उपाय, जिसमें औषधों के ब्रांड नामों का प्रतिस्थापन सामान्य औषधों में किया जायेगा, के बारे में हाल ही में समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा सरकार के विचाराधीन है।.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नए तेल निक्षेपों की खोज

1181. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र में तेल के नये निक्षेपों के लिये और तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये अन्वेशी तथा विकासीय-खुदाई कार्यों को बढ़ाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) जी हां।

(ख) इस समय उत्तर असम के गैलेकी, अमगूरी तथा लक्ष्मनी क्षेत्रों और त्रिपुरा के बारामुरा क्षेत्र में अन्वेषणात्मक व्यधन किया जा रहा है। लकवा और गैलेकी में विकास व्यधन किया जा रहा है। त्रिपुरा में गोजालिया, असम के काचर जिले में चारगोला, मेघालय में गोपीनाथकिला, उत्तर असम में चारारी, बारहोल्ला, बनमाली तथा अन्य स्थानों और अरुणाचल प्रदेश में निंगूर नामक स्थानों पर अन्वेषणात्मक कार्यों में तेजी लाई जानी है।

भारतीय रेलवे के स्वास्थ्य विभाग

1182. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारी रेलवे के स्वास्थ्य विभाग में क्या मूलभूत सुविधायें उपलब्ध की गई हैं;

(ख) क्या वे एक जोन से दूसरे ज़ोन में भिन्न-भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के भद्रक रेलवे स्टेशन के स्वास्थ्य यूनिट में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलवे स्वास्थ्य यूनिट में केवल बहिरंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न स्वास्थ्य यूनिटों में जितने डाक्टरों, कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है उनकी संख्या उस क्षेत्र में रेल कर्मचारियों की संख्या, गाड़ियों के मेल लेने, रेलवे और गैर-रेलवे अस्पतालों से निकटता आदि जैसे तत्वों के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। भद्रक रेलवे स्टेशन के स्वास्थ्य यूनिट में जो सुविधाएं हैं वे आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

बर्खास्त रेल कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालयों के निर्णय

1183. **श्री समर गुह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं जो गत हड़ताल के बाद अभी तक (एक) बर्खास्त, (दो) निलम्बित हैं और (तीन) जिनके विरुद्ध (क) तोड़-फोड़ और (ख) अवज्ञा या अनुशासनहीनता के आरोप में मामले चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उन बहुत से रेल कर्मचारियों के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध निर्णय दिये हैं जिन्होंने गत हड़ताल में भाग लिया था या जिन्हें हड़ताल में भाग लिया हुआ समझा गया था, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन उच्च न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत हड़ताल में जिन रेल कर्मचारियों ने भाग लिया था उन्हें परेशान किये जाने के अध्याय को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क)	(1)	बर्खास्त किये गये/सेवा से हटाये गये। सेवा समाप्त किये गये कर्मचारियों की संख्या।	2230
	(2)	निलम्बित कर्मचारियों की संख्या	508
	(3)	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़ और अवज्ञा अथवा अनुशासन हीनता के आरोप में मामले चल रहे हैं।	लगभग 1500 मामले अदालतों के निर्णयाधीन हैं जिसमें से लगभग 500 हिंसा आदि के गम्भीर आरोपों से संबंधित हैं और शेष मामलों में रेले पैरवी नहीं करती।

(ख) अब तक कलकत्ता, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के अभिनिर्णय नोटिस में आये हैं।

कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 14(ii) की परिपुष्टि की है किन्तु क्रियाविधि सम्बन्धी कुछ आधारों पर उन्होंने बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द कर दिया है। चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं अतः रेलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच में अपील की है और फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

जहां तक गुजरात उच्च न्यायालय के मामले का सम्बन्ध है, वहां भी उन कर्मचारियों के लिए अपनायी गयी कार्यविधि के आधारों पर बर्खास्तगी रद्द कर दी गयी है। यहां भी, चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं, अतः रेलों ने अपील कर दी है।

केरल और आंध्र प्रदेश के निर्णय उन नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में हैं जिन्हें अस्थायी ओहदे मिले थे और अपनायी गयी कार्यविधि के आधार पर बर्खास्तगी रद्द कर दी गयी है।

(ग) कलकत्ता और गुजरात डिवीजन बेंच के निर्णयों के सम्बन्ध में रेलों ने अपील की है। जहां तक केरल और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्बन्ध है, निर्णयों के अधीन आने वाले कर्मचारियों को वापस लिया जा रहा है।

(घ) देश के कानून की सीमाओं के अन्तर्गत काम करने वाले किसी रेल कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया गया। अलग अलग अपीलों पर विचार किया जाता है और हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने धमकाने के मामलों में जिनका हाथ नहीं है उन्हें वापस लिया जा रहा है। वास्तव में, 14,500 से अधिक लोगों को वापस लिया जा चुका है।

केरल में डिवीजनल मुख्यालय की स्थापना

1184. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में उपयुक्त रूप से रेल यातायात की आवश्यकताओं की योजना बनाने तथा यह सुनिश्चित कराने के लिये कि उपयुक्त योजना से रेलवे को उपलब्ध यातायात प्राप्त हो सके रेलवे का कोई डिविजनल मुख्यालय नहीं है;

(ख) क्या राज्य में डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फिलहाल केरल राज्य दक्षिण रेलवे की मदुरै और ओल्लवकोड मण्डल द्वारा पूरी तरह सेवित है, जो इन स्टेशनों के बीच राज्य की रेल परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पर्याप्त ढंग से पूर्ति करता है। ओल्लवकोड मण्डल का मुख्यालय भी केरल राज्य में स्थित है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हेर्वेस्ट का विविधीकरण

1185. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री मैसर्स हेर्वेस्ट को विविधीकरण के लिये दी गयी अनुमति के बारे में 10 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3877 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न विवरण के निर्देशित विविधीकरण की सूचना तकनीक विकास के महानिदेशालय को दी गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम का उल्लंघन नहीं है;

(ग) क्या सम्बद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल मुख्यतः आयात किये जाते हैं और यदि हां, तो क्या यह तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके विविधीकरण की अनुमति लेना नहीं है,

(घ) इन्हीं कच्चे मालों के साथ माल तैयार करने के लिये प्रतिवर्ष भारतीय फर्मों के रजिस्ट्रेशन, अनुमति अथवा औद्योगिक लाइसेंस के मिलने प्रस्ताव चौथी योजना के दौरान रद्द किये गये थे और उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इन फर्मों ने संयंत्र तथा मशीनरी में कितनी पूंजी लगायी है और उन्होंने किस अधिकार के अन्तर्गत अब तक 'सी०ओ०बी०' लाइसेंस प्राप्त नहीं किये हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): अक्तूबर 1966 में जारी किए गए आदेशों में, जिसमें बिना लाइसेंस के विविधिकरण की अनुमति दी गई थी, औद्योगिक उपक्रमों द्वारा, तकनीकी विकास के महा-निदेशक या अन्य उपयुक्त अधिकारी को, अपने संशोधित निर्माण कार्यक्रमों तथा प्रस्तावित नई मदों के निर्माण तथा अप्रधान संतुलन उपकरणों यदि उनके द्वारा वे प्राप्त किए गए हों के मूल्यों और उसके स्वरूप, की सूचना देनी होती है। इसलिए तकनीकी विकास के महा-निदेशक या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होती। तथापि औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 18-7-1970 के प्रेस नोट द्वारा घोषित नीति में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

> स्वतंत्र विविधीकरण की नीति के अनुसरण में उन औद्योगिक एककों, जो नई मद या मदों का उत्पादन आरम्भ करना चाहते हैं, को पंजीकरण पद्धति के अनुसार तकनीकी विकास महानिदेशक या किसी अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी के पास एक पत्र लिखकर जिसमें उन्हें अपने लाइसेंसों के विवरण तथा विविधीकरण की सीमा तथा उत्पादन में की गई वृद्धि और सम्बद्ध विवरण प्रस्तुत करने होते हैं, के द्वारा अपने को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है।

मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा उपरोक्त पद्धति का पालन किए जाने के बारे में, तकनीकी विकास के महा-निदेशक से पूछ-ताछ की जा रही है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अधिक विदेशी शेयरों वाली औषध फर्मों को लघु एककों के रूप में दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस

1186. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अधिक विदेशी शेयरों वाली कितनी औषधि-निर्माता फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये हैं और कितनी फर्में लघु एककों अथवा नियमित आयातकर्ता श्रेणी के रूप में कच्चा माल बेच रही हैं;

(ख) इन फर्मों द्वारा कौन-कौन सी वस्तुयें बनायी जाती हैं उनकी क्षमता कितनी हैं और गत तीन वर्षों में उन्हें कितने आयात लाइसेंस दिये गये हैं, और

(ग) इन फर्मों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई और उपयुक्त लाइसेंस के बिना लघु एककों के रूप में इन फर्मों द्वारा अपने उत्पादन बेचे जाने के लिये सरकार इन फर्मों के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान सी० ओ०बी० लाइसेंस में विदेशी कंपनियों के नाम, मदें भी स्वीकृत की गई क्षमताओं के बारे में विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल०टी०-9006/75]। जैसाकि विदेशी कम्पनियों द्वारा तैयार किए गए सूत्रयोगों की संख्या हजारों में है अतः गत तीन वर्षों की अवधि में हर एक सूत्रयोग के उत्पादन निर्दिष्ट व्यवहार्य नहीं है।

निम्नलिखित विदेशी कंपनियां संगठित क्षेत्र में नहीं आती हैं।

1. एंगलो थई कारपोरेशन
2. सी० डब्ल्यू० कारनिक कोल (एशिया)
3. चेस वोरोग पाण्डस आइ०एन०सी० (ब्रांच)
4. कूपर लोबोरेटरीज
5. इथनोर लि०
6. सी०ई० फुलफोर्ड
7. इंडियन शेरिंग लि०
8. जान व्येथ (ब्रादर्स)
9. निकोलस आफ इंडिया
10. रूसल फार्मास्युटिकल्स लि०

और उनके द्वारा निर्मित सूत्रयोगों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि समस्त अर्थात् लाइसेंसों का ब्यौरा जिससे फर्मों का नाम, लाइसेंस की कीमत आदि शामिल है, को औद्योगिक लाइसेंस के साप्ताहिक समाचार पत्र आयात लाइसेंस और निर्यात लाइसेंस में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं;

स्थापित आयात श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकांशतः विदेशी पूंजी वाली औषध निर्माण करने वाली कितनी फर्में कच्चे माल का आयात कर रही हैं उसकी सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जावेगा।

(ग) जिन विदेशी फर्मों ने अब तक सी०ओ०बी० लाइसेंस नहीं लिया है या उसके लिए आवेदन पत्र नहीं दिया है उनसे ऐसा न करने का कारण बतलाने के लिए कहा गया है।

तोड़ फोड़ के कारण रेल दुर्घटना

1187. **श्री हरी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल की रेल दुर्घटनायें तोड़-फोड़ के कारण हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और प्रत्येक घटना में अन्तर्ग्रस्त कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, किन्तु 1-4-74 से 31-1-75 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर टक्कर लगने, पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों की सड़क यातायात से टक्कर और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 773 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई। इनमें से केवल 7 दुर्घटनाएं तोड़-फोड़ के कारण हुई थीं और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के लिए मामले दर्ज कर लिये गए है । अभी तक तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

पांडिचेरी में निर्वाचन

1188. **श्री हरि सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांडिचेरी में शीघ्र निर्वाचन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विभिन्न विधान सभाओं, परिषदों तथा लोक सभा और राज्य सभा के लिये कितने उप-निर्वाचन शेष हैं; और

(घ) उक्त निर्वाचन कब तक कराये जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) इस विषय में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ग) 15 फरवरी, 1975 को रिक्त स्थानों की संख्या निम्नानुसार थी :--

1. लोक सभा	8
2. राज्य सभा	4
3. विधान सभाएं	65
4. विधान परिषदें	11

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाले चार विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9007/75]।

'अन्तर-भारती' संगठन के गैर-छात्र युवकों को रेलभाड़े में छूट

1189. **श्री मधु दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता कार्य में संलग्न 'अन्तर-भारती' संगठन ने महाराष्ट्र में लगे अन्तर-भारती के शिविरों में जाने वाले गैर-छात्र युवकों को रेल-भाड़े में छूट देने के लिये निरन्तर अनुरोध किया है;

(ख) क्या ऐसी छूट देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हां। यात्रा सम्बन्धी रियायतें केवल उन्हीं छात्रों को दी जा रही हैं जो अन्तर-भारतीय द्वारा आयोजित युवक विचार-विनिमय कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। गैर-छात्र युवकों को रियायतें देने के सम्बन्ध में अन्तर भारती के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया हैं क्योंकि यह नीति विषयक निर्णय ले लिया गया है कि वित्तीय फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए रियायतों में और अधिक वृद्धि न की जाये।

बर्माशैल के अधिग्रहण में विलम्ब

1190. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिग्रहण सम्बन्धी अनिर्णय और नौकरशाही के विलम्ब के कारण बर्माशैल तेल-शोधक कारखाने की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है; और

(ख) क्या इस हानि का अन्ततः अधिग्रहण के पश्चात् तेल कम्पनियों को दिये जाने वाले मुआवजे पर प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समस्तीपुर में रेल लाईन का उद्घाटन

1191. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारियों ने समस्तीपुर में नई रेलवे लाइन के उदघाटन समारोह में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां उपस्थित हुये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (बूटा सिंह) : (क) और (ख) उस अवसर पर जो वरिष्ठ रेलवे अधिकारी उपस्थित थे उनके नाम और पदों का उल्लेख नीचे किया गया है :—

1. श्री पी० आर० चोपड़ा, महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. श्री एच० एस० चाट्टा, मण्डल अधीक्षक, समस्तीपुर।

3. श्री एस०सी० उप्पल, मुख्य इंजीनियर/निर्माण, गोरखपुर।
4. श्री एल०सी० अग्रवाल, मुख्य इंजीनियर, गोरखपुर।
5. श्री शिव किशोर, मुख्य परिचालन अधीक्षक, गोरखपुर।
6. श्री के०एल० वाट्म, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
7. डा० पी०सी० भल्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर।
8. श्री ए० सीता नाथ, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, गोरखपुर।
9. श्री डी०एम० मेहता, मुख्य बिजली इंजीनियर, गोरखपुर।
10. श्री सिरीश चन्द्र, मुख्य सिगनल और दूर-संचार इंजीनियर, गोरखपुर।
11. श्री पी०एन० तिवारी, मुख्य जन संपर्क अधिकारी, गोरखपुर।
12. श्री एच०एन० किदवई, मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, गोरखपुर।
13. श्री ए०के० श्रीवास्तव, अपर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, पूर्व रेलवे।
14. श्री ए०एल० वांचू, अधीक्षक यांत्रिक लोको रनिंग, पूर्व रेलवे।
15. श्री एम० वी० मेहता, उप-मुख्य बिजली इंजीनियर, पूर्व रेलवे।
16. श्री शिव सागर मिश्र, निदेशक, राज भाषा, रेलवे बोर्ड।

पारादीप में उर्वरक संयंत्र का काम

1192. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप स्थित उर्वरक संयंत्र के निर्माण कार्य आरम्भ करने के बारे में अब कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों ने इस परियोजना की स्वीकृति दे दी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) पारादीप प्रायोजना, सिद्धांत रूप में, सरकार द्वारा मंजूर की गई है। वित्तीय तथा अन्य प्रबन्ध हो जाने पर प्रायोजना का कार्यान्वियन हाथ में ले लिया जायेगा।

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों का बहाल किया जाना

1193. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में गत रेलवे हड़ताल के कारण अब तक मुअत्तिल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनको अब तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक बहाल कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31।

(ख) 4 को अभी तक बहाल नहीं किया गया है।

(ग) कोई निश्चित अवधि नहीं बातयी जा सकती।

पर्ल साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच

1194. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने इस बीच पर्ल साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध आरोपों के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी। कम्पनी का इसके पंजीकृत कार्यालय से संचालन नहीं हो रहा है एवं इसके निदेशकों की तलाश नहीं की जा सकी है। कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा ने मामले को पुलिस प्राधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, एवं निदेशकों के ठौर-ठिकाने अभी तक सुनिश्चित नहीं हुये हैं।

बिजली की कमी के कारण दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का बन्द होना

1195. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण वर्ष 1974 में दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को बन्द करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को और अधिक बिजली सप्लाई करने के लिये क्या उपाय किए गये हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जिस संयंत्र ने अक्तूबर 1973 में उत्पादन करना शुरु किया उसमें उपकरण, जिसमें आयातित मशीनरी और घटक शामिल हैं, की अनेक संकटकालीन मदों के टूटने-फूटने और खराब होने के परिणामस्वरूप संतोष-जनक स्तर पर उत्पादन अभी तक स्थिर नहीं हो पाया है। 4 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों और घटकों को आयातित मदें अमोनिया संयंत्र के मामले में सोसिएटा इम्पीएन्टी इटालियाना (एस० 11) और यूरिया संयंत्र के मामले में मोन्टोडिसन जैसी प्रसिद्ध फर्मों और अन्य सप्लायरों से सप्लाइयर्स क्रैडिट के अन्तर्गत खरीदी गई थी न्यूओव पिगनोन ईटरी, थर्मो-मैकानिका (ईटली), लोन्टजोस/रेकुपरेटर (पश्चिम जर्मनी), सदृश्य ख्याति प्राप्त फर्में भी हैं। बहुत से मामलों में दोनों देशी और विदेशी उपकरण सप्लायर अपेक्षित आकारों में और ड्यूटी के लिए प्रथम बार उपकरण की मदों का निर्माण कर रहे थे। अनेक पार्टियां इस परियोजना के कार्यान्वयन में इस प्रकार लगी हुई थीं जो कि देशीय उपकरण और विशेषज्ञों का अधिकतम उपयोग पर आधारित देशीकरण की दिशा में पहला प्रमुख प्रयास था।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खोमचे वाले

1196. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कैन्टीनों के ठेकों के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खोमचे वालों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो गत छ: महीनों के दौरान दिये गये नये ठेकों में उनकी प्रतिशतता क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) 31-12-74 को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ठेकों का प्रतिशत 1.7 निकला है।

Supply of Machine Oil to Textile Mills of Bombay

1197. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether any quota of machine oil has been fixed for textile mills of Bombay;

(b) the quantity of oil supplied to the textile mills of Bombay during 1972-73 and 1973-74 and which are the mills out of them to whom such oil was supplied about which there is no record, and the reasons therefor: and

(c) the present policy being followed in respect of supply of oil to them and whether it is being properly complied with and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) to (c) There is no quota fixed by the oil companies for supply of lubricating oils to Textile Mills. The present policy is to supply the demands of various grades in line with the full requirements subject to the various constraints of availability.

It is not possible to give a consolidated position of the quantites supplied to the various Textile Mills during 1972-73 and 73-74, in view of the large number of agencies, including numerous small agents of different oil companies by which the supplies might have been made.

Forensic Experts working in Western Railway

1198. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of forensic experts working in each division of the Western Railway and also the number of cases detected by them during the years 1972-73 and 1973-74;

(b) the number of cases out of them, disposed of so far and also of those which are still pending indicating the time by which these are likely to be disposed of;

(c) the number of officers appointed above the forensic experts in Zonal offices and how many of them are forensic experts; and

(d) the number, among them, of those who have been recruited from outside?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Buta Singh) : (a) Nil.

(b) to (d) Do not arise.

Expenditure Incurred on Clocks Installed at Railway Stations of Western Railway

1199. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of clocks provided at the stations of all the Divisions of the Western Railway during the last three years and the number of clocks is working order at present;

(b) when and from where these clocks were purchased and the price paid for these clocks during the above period; and

(c) the time after which the servicing etc. of these clocks is done and expenditure incurred on servicing and maintenance of these clocks during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 12 clocks have been provided during the last three years. All these clocks are in working order.

(b) (i) 11 clocks were purchased during the last three years as under :—

(1) 3 clocks in 1974 and 3 in 1975 from M/S Arunoday Watch Co., Bombay at a total cost of Rs. 1200/-.

(2) 2 clocks in 1972, 1 in 1973 and 2 in 1974 from M/S Anglo Swiss Co., Bombay at a total cost of Rs. 930/—.

(ii) 1 clock obtained from spare stock.

(c) Servicing of clocks is normally done every three years. The expenditure on the servicing and maintenance of these 12 clocks during the last 3 years is as under:—

(1) Servicing—Rs. 65.00 (approx.).

(2) Maintenance, including the proportionate cost of maintenance staff—Rs. 610.00 (approx.).

उल्टाडांगा के निकट रेल दुर्घटना के हताहतों को मुआवजा

1200. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री समर गुह :
श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री एन० आर० बेकारिया
श्री एम० एम० जोजफ :
श्री बरके जार्ज :
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन के उल्टाडांगा स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में मृत यात्रियों के निकट संबंधियों तथा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों को देय मुआवजे की राशि तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिसकी कि नियुक्ति की जा रही है। पूर्व रेल प्रशासन ने दुर्घटना में मारे गये यात्रियों के निकटतम संबंधियों को और घायल हुए यात्रियों को अनुग्रह के रूप में कुल 37,600 रुपये का भुगतान कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय मैंने बारपेटा चुनाव के बारे में आपको लिखकर भेजा था। मुझे थोड़ा-सा समय दीजिये ताकि मैं इस बारे में कुछ निवेदन कर सकं और मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य निर्वाचन आयोग का है। यहां इस तरह की बातें न उठाया करें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं, श्री एच० आर० गोखले की ओर से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं.

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भता) दूसरा संशोधन नियम, 1974, जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०मा०नि० 1365 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1366 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8991/75]

टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

औद्योगिक तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मोटर-गाडियां स्टंडंड हेराल्ड यात्री कार 4 द्वार माडल—के उचित विक्रय मूल्यों के निर्धारण सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1969) के हिन्दी संस्करण की एक प्रति।

(2) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण पहले सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० 8992/75]

परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश

डा० सरोजिनी महिषी: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं:

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 27 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 639 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 28 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 685 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 29 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 701 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) तामिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 31 जो दिनांक 1 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 2(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 32, जो दिनांक 1 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 1(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल०टी०-8993/75]।

रेलवे रैड टैरिफ (पहला संशोधन) नियम 1975

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं भारतीय रेलवे 'अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अधीन जारी किए गए रेलवे रेड टैरिफ (पहला संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक) प्रति जो दिनांक 8 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 195 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-8994/75]।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना और कम्पनी अधिनियम 1956, के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक-प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 701 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा०सां०नि० 50 (ङ) जो दिनांक 14 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसम दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 701 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (1) के अधीन जारी होनी है ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी / देखिए संख्या एल०टी० 8995/75)

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : जम्मू और कशमीर के बारे में प्रधान मंत्री ने कल जो वक्तव्य दिया था उस पर चर्चा सरकारी प्रस्ताव के रूप में 3 मार्च, 1975 को होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : श्रीमान जी, मारूति के संबंध में मेरे प्रस्ताव पर भी अगले सप्ताह चर्चा की जाये ।

अविलम्बी लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ओखा में भारतीय खाद्य निगम के उर्वरकों के आग में जलकर भस्म हो जाने का समाचार

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : श्रीमान, मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"ओखा में भारतीय खाद्य निगम के लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के उर्वरकों के आग में जलकर भस्म हो जाने का समाचार"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : ओखा बन्दरगाह के ट्रांजिट शेड नं० 9 और 10 के बीच खुले स्थान पर रखे हुए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के स्टाक में 22 फरवरी 1975 को सायं 2 बजे आग लग जाने की सूचना मिली थी। यह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट रूमानिया से 'पाइरेन' नामक जहाज से लाया गया था। बन्दरगाह और खाद्य निगम के अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही की और उसी दिन सांय 4.30 बजे आग बुझा दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार उस स्थान पर जमा किए हुए 1,750 मीटरी टन कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट में से लगभग 500 मीटरी टन उर्वरक को आग और आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए गए पानी से क्षति पहुंची है। उसके तुरन्त बाद भारतीय खाद्य निगम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और क्षति की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक सर्वेक्षक नियुक्त किया। पुलिस भी इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। भारतीय खाद्य निगम ने बचाव संबंधी कार्यों आदि के विषय में आगामी कार्यवाही करने के लिए उस स्थान पर एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात कर दिया है। आग लगने के समय माल बन्दरगाह के अधिकारियों के संरक्षण में था, अतः निगम ने उनके विरूद्ध दावा भी दायर कर दिया है।

24 फरवरी, 1975 को 00.10 बजे "पाइरेन" जहाज़ के हैच नं० 2 में, जिसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भरा था, दुबारा आग देखी गई। जहाज़ के कर्मचारियों ने 04.00 बजे तक वह आग बुझा दी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार हैच में रखे हुए सम्पूर्ण 200 मीटरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को आग और आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए गए पानी से क्षति पहुंची है। पहले लगी आग के संबंध में नियुक्त किए हुए सर्वेक्षक को यह दूसरा मामला भी सौंप दिया गया है। जहाज के मालिकों को माल की हुई क्षति के बारे में नोटिस दे दिया गया है।

पता चला है कि दोनों बार आग लगने से आम 700 मीटरी टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्षति पहुंची है जिसका भाड़ा सहित मूल्य लगभग 13,96,384 रु० होता है। तथापि सरकार को हुई वास्तविक हानि का अनुमान सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और बचाव संबंधी कार्य पूरा होने पर ही लगाया जा सकता है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि यह हानि पत्तन प्राधिकारियों से पूरी कर ली जायेगी। इसका कारण या तो पत्तन प्राधिकारियों की लापरवाही है या फिर निगम की।

इसके अतिरिक्त वहां आग पहली बार नहीं लगी है। एक ही महीने में यह दूसरी अग्नि दुर्घटना है। जब एक बार ऐसी दुर्घटना घट गई थी तो एतिहात क्यों नहीं बरती गई ?

श्रीमान लगभग 14 लाख रुपये की हानि हुई है। यदि इसे अनाज के उत्पादन में लगाया जाता तो इससे करोड़ों रुपये का अनाज उत्पन्न होता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिश्रण में कोई दोष था जिसके कारण यह आग लगी है। क्योंकि कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम नाइट्रेट होता है जो अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ होता है। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? हाल ही में पत्तनों पर इन लोगों की हड़ताल थी और उन्होंने वहां हर प्रकार की गतिविधियां की। हलांकि सभी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिल रहा है फिर भी वे तोड़-फोड़ आदि करते हैं। इस संगठन के कार्यकरण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग बिठाया जाना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ग्रोखा पत्तन पर कर्मकारों की कोई हड़ताल नहीं है । ग्रोखा में हुई यह अग्नि दुर्घटना अकस्मात हो गई । कोई नहीं चाहता कि इस तरह की हानि हो। नवम्बर, 1974 में हुई अग्नि दुर्घटना की जांच चल रही है । यह दुर्घटना किस तरह हुई, अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं । हम इसके लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त कर रहे हैं ताकि वह इस संबंध में कुछ सलाह दे सके और भविष्य में कोई इस तरह की दुर्घटना न हो । इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है । कुछ सामग्री पत्तन के परिसर में थी और कुछ जहाज के अन्दर। अतः या तो यह पत्तन प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है या फिर जहाज के मालिकों की । मैं इसके कानूनी पहलू में नहीं जाना चाहता। इतना मैंने कह दिया है कि हम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या इसमें हड़तालियों का हाथ तो नहीं है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं नहीं समझता कि इसमें हड़तालियों का हाथ है।

Shri Ram Sahaya Pandey (Rajnandagaon) : The Hon. Minister has said that there is no cause anxiety about this matter. This is wrong. There is definitely cause for anxiety. He himself has stated that the material might be defective. You said that some of the materials were lying on the premises of the port. Had it been kept under the sheds it could have been saved. Why the fertilizers was not kept inside?

The Food Corporation of India is responsible for this incident. At the same time Port Authorities are also equally responsible. I want to know why once a fire took place, proper precautions were not taken.

The causes of the fire can be ascertained later on but the investigation about the quality can be made known immediately. So this matter should be looked into without any delay.

There are always reports about the inefficiency and mismanagement of Food Corporation of India. There is increasing discontentment among the employees. The Corporation is not working satisfactorily, So every thing should be made clear as at what time the incident took place. At what time the Fire Brigade reached there and what is the total loss suffered due to fire etc.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का अपना ही दृष्टिकोण हो सकता है। किन्तु मेरे विचार से भारतीय खाद्य निगम का इसमें कोई दोष नहीं है। उर्वरकों का आयात धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा रुपये वाले देशों से किया जाता है । भारतीय खाद्य निगम तो भारत सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

उर्वरक शेडों के अन्दर था या बाहर इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता क्योंकि आग शेडों के अन्दर भी लग जाती है ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं इसके अन्य कारण हो सकते हैं। इसके दोषपूर्ण होने की कुछ संभावना हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कर्मकार ने जलती हुई सिगरेट या बीड़ी फेंक दी हो जिससे आग लग गई हो। किन्तु इस संबंध में सही और वास्तविक कारण बताना संभव नहीं है। भारतीय खाद्य निगम पर लापरवाही का दोष लगाना निराधार है।

श्री राम सहाय पांडे: यह ठीक है कि धातु और खनिज व्यापार निगम आयात करता है किन्तु अधिकार में तो यह भारतीय खाद्य निगम के ही रहता है। अतः देखभाल की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से इसी की हो जाती है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैंने अपने वक्तव्य में कह दिया है कि 200 टन उर्वरक जहाजों के अन्दर ही था। वहां भी उस पर आग लग गई। इसमें भारतीय खाद्य निगम का क्या दोष है?

श्री राम सहाय पांडे. क्योंकि निगम का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है और कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: लापरवाही की अपेक्षा अन्य कारण हो सकते हैं। या तो मिश्रण दोषपूर्ण था और किसी कर्मकार ने जलती हुई सिगरेट डाल दी जिससे कि आग लग गई। इन सब बातों की जांच की जानी है। इस समय मैं इस संबंध में कोई सही वक्तव्य नहीं दे सकता। माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं जो कि तर्क संगत नहीं हैं। उन्होंने कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के एक कर्मचारी की हत्या का उल्लेख किया है। इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। पिछले 16–18 महीनों से इसके कार्यकरण में सुधार के लिए कुछ पग उठाये गए हैं। हमें इस संबंध में अनावश्यक बातें नहीं लानी चाहिए। आप यह मत सोचिये कि मैं निगम को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। भविष्य में हम ऐतिहाती के रूप में सभी उपाय काम में लायेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी): श्रीमान, मंत्री महोदय ने कहा है कि इस दुर्घटना में निगम की कोई लापरवाही नहीं थी। किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में इस तरह की कई अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। पोरबन्दर पत्तन पर हुई अग्नि दुर्घटना की जांच चल रही है। इस मामले में भी दो ऐसी घटनाएं हो गई हैं तो क्या फिर यह लापरवाही नहीं है? यदि सरकार ऐसी दुर्घटनाओं के प्रति कुछ गंभीर होती तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती। सामग्री दोषपूर्ण थी अथवा नहीं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। किन्तु जब एक बार ऐसा हो गया था तो सर्तक रहने के लिए चेतावनी क्यों नहीं दी गई कि ऐसा हो सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए आज तक किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? कहा गया है कि किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंक दी होगी। यदि ऐसा है तो फिर ऐसी सामग्री खुले में क्यों रखी जाती है। अतः इसमें भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही स्पष्ट है। सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे: यह ठीक है कि भावनगर में हुई आग दुर्घटना की अभी जांच पूरी नहीं हुई है किन्तु हमने जो प्रारंभिक जांच की है उसके अनुसार आग शार्ट सर्किट के कारण लगी है। किन्तु क्योंकि अभी रिपोर्ट आनी है, इसलिए मैं अपना पूर्व निर्णय नहीं देता।

दूसरे इस तरह की अग्नि दुर्घटनाएं कई बार हुई हैं । रूमानिया के एक जहाज में इसी तरह आग लग गई थी । वह जहाज भारत आ रहा था । इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामग्री में ही कोई दोष हो सकता है । भारत सरकार इस दिशा में हर संभव उपाय अपना रही है ताकि भविष्य में ऐसा न हो। वैसे अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही बढ़िया किस्म की खाद है किन्तु इसमें आग पकड़ने की बहुत संभावना रहती है । यदि सामाग्री में कोई दोष पाया गया तो हम इस पर सप्लायर से बातचीत करेंगे । यदि ऐसा किसी की लापरवाही से हुआ है तो फिर बात ही दूसरी है । हम हर संभव प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं किन्तु जब रसायनिक संमिश्रण के कारण ऐसा ही हो जाता है तो फिर मामले की पृष्ठ भूमि ही ओर है ।

हम इसका आयात बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और यदि कभी ऐसा हो भी जाता है तो नगण्य मात्रा को हानि पहुंचती है । फिर भी हम उर्वरक को भली भांति संभाल रहे हैं और यही कारण है कि गत वर्ष से उर्वरक राज्यों को उनकी मांग के अनुसार सप्लाई किया जा रहा है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या इन दुर्घटनाओं के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब तक कोई दोषी नहीं पाया जाता तब तक कैसे कार्यवाही की जा सकती है ?

एक माननीय सदस्य : क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ?

श्री धामनकर (भिवन्डी) : मंत्री महोदय ने कहा है कि गुजरात में पोरबन्दर, भावनगर तथा ओखा, तीन पत्तनों पर अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं । पहली घटना में हमें 200 टन कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट की हानि हुई है । दूसरी दुर्घटना में 500 टन का नुकसान हुआ है । मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें अमोनिया नाइट्रेट होता है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है । यदि ऐसा है तो फिर इसे खुले में क्यों रखा जाता है । क्या सरकार ऐसी सामग्री के लिए विशेष प्रकार के गोदाम बनाने पर विचार कर रही है ताकि कोई इस तरह की दुर्घटना न हो ।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरकों के नष्ट होने से मूल्य में वृद्धि तो नहीं हुई तीसरे यदि कभी हुई है तो सरकार ने गुजरात में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : दुर्घटना में थोड़ी मात्रा अर्थात् 700 टन की क्षति हुई है । अतएव राज्य में उर्वरक की सप्लाई पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा । भावनगर के स्टेयर में जहां उर्वरक रखा गया था आग लग गई थी । हमें मुख्य पत्तनों पर अनाज और उर्वरक के लदान में कठिनाई पड़ती है और दोनों की काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दिन में हम छोटे बन्दरगाहों को माल लादने उतारने के लिये उपयोग करते रहे हैं । मुख्य भारतीय बन्दरगाहों में विद्यमान कठिनाइयों के कारण हमें छोटे बन्दरगाहों का उपयोग करते रहना पड़ेगा । ओखा पत्तन पर भी बड़ी मात्रा में माल उतारा जाता है।

Shri Hari Singh (Khurja) Fertilizers worth 13 lakhs rupees was destroyed in fire at port. This Department has dealings with a large number of people. The Hon. Minister has stated that it is highly inflameable material. Why was then so carelessness in the matter. I personally know the actions of various officials of F. C. I. There is a lot of corruption in this Department. The Hon. Minister should look into it.

I doubt that a large part of Fertilizer was misused and in order to hide this misdeeds, it was deliberately set on fire. That is the reason that only articles which are in great demand are destroyed in fires. The hon. Minister may please enquire into this aspect of the affairs as well.

This may also be inquired whether the activities of the reactionaries are not involved in the affairs.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस दुर्घटना के मामले में नीतियों का लाया जाना मुझे नहीं जचता। उर्वरक के जलाने से किसी का भी लाभ नहीं पहुंचता। जांच के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जा सकता है अतएव उसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

136 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं होप पौधों के आयात के बारे में लोक लेखा समिति का 136 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

67 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही वृत्तान्त

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैं प्राक्कलन समिति का वृत्तान्त निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही पेश करता हूं:—

(1) आवास सम्बन्धी 37 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय सम्बन्धी 67 वां प्रतिवेदन।

(2) ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) कोयले की उपलब्धता तथा वितरण सम्बन्धी 68 वें प्रतिवेदन के बारे में बैठकों के कार्यवाही वृतान्त।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री प्रताप सिंह के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के शेष कार्य काल के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री प्रतापसिंह के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के शेष कार्यकाल के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय राशियों को निकालने के लिये राष्ट्रपतीय आदेश के बारे में रिट याचिका

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सभा का ध्यान इस लिखित याचिका के परिणाम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि मेरे तथा राज्य सभा के एक सदस्य, श्री शिव प्रकाशम द्वारा पांडिचेरी की संचित निधि से निकाली गई कुछ धनराशि के बारे में उच्चन्यायालय में दायर की गई थी।

जैसा कि सभा को विदित ही है, पांडिचेरी विधान सभा भंग होने के बाद 29 मार्च, 1974 को राष्ट्रपति आदेश जारी हुआ जिसमें कि पांडिचेरी केन्द्र शासित क्षेत्र की संचित निधि में से 5 करोड़ रुपये की धनराशि निकालने की व्यवस्था थी। जब अप्रैल में यह आदेश सभा पटल पर रखा गया तो विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति प्रकट की। अगले दिन अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि अनुदानों सम्बन्धी आर्थिक प्रक्रियायें संसद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है।

सभा और अध्यक्ष की यह परम्परा रही है कि वे किसी आदेश या विधेयक की वैधता या संवैधानिकता के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं देते क्योंकि यह इस सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः मेरे लिये पांडिचेरी की संचित निधि से धनराशि निकालने सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने हेतु लिखित याचिका दायर करने के लिये उच्च न्यायालय का द्वार खटखटाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा। इसी प्रकार पांडिचेरी से आये राज्य सभा के सदस्य श्री शिवप्रकासम ने राष्ट्रपति के आदेश की वैधता एवं संवैधानिकता को चुनौती देने के लिये अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय में लिखित याचिका दायर की थी।

11 अप्रैल को सभा में राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत सभी कार्यवाहियों को गत एक अप्रैल से वैध करार करने के लिये विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया गया। उसी दिन अध्यक्ष ने आदेश को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी। परन्तु इसे सभा पटल पर रखे जाने के बाद भी अध्यक्ष ने कहा कि इसे सभा पटल पर रखे जाने से आदेश की वैधता अथवा अन्य किसी पहलू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि मंत्री श्री गोखले का कहना है कि आदेश वैध है तथा सरकार इसे समय आने पर न्यायालय में सिद्ध करेगी।

विनियोग विधेयक के अधिनियम बनने के पश्चात् मैंने अपनी पहली प्रार्थना में संशोधन करने के लिये विनियोग अधिनियम को जभी चुनौती देते हुये एक और याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई 4 से 6 दिसम्बर, 1974 तक तीन दिन चली और न्यायालय ने अपना निर्णय 29 जनवरी, 1975 को दिया।

राष्ट्रपति के आदेश के सम्बन्ध में न्यायाधीशों ने फैसला दिया कि इसलिये हमारा यह विचार है कि चाहे किन्हीं भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण इन्हें लागू करना पड़ा हो, यह आदेश संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की संचित निधि से धनराशि निकालने अथवा विनियोजित करने की प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप न होने के कारण अवैध है। तथापि न्यायाधीशों ने संसद् द्वारा पारित विनियोग अधिनियम को, संविधान और अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार संसद् की विधान बनाने की सर्वोपरि शक्तियों के कारण वैध माना।

हर्ष की बात है कि आदेश की अवैधता तथा संवैधानिकता को जिस बुनियादी उद्देश्य से न्यायालय तक ले जाया गया, उसका न्यायालय ने समर्थन किया है। राष्ट्रपति आदेश पर दिये गये न्यायालय के निर्णय ने विपक्ष के तर्क को उचित ठहराया है। मैं आपकी अनुमति से मद्रास उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में 29 जनवरी, 1975 को दिये गये निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 9023/75]।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : संसद के अधिकारों को उचित ठहराने के लिये श्री सेझियान द्वारा न्यायालय के सामने अथवा इस सभा में किये गये प्रयासों की हम सराहना करते हैं। किन्तु इस बात पर तो अध्यक्ष महोदय ने विचार करना है कि सदन की कुछ परम्पराओं, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के सम्बन्ध में क्या सदस्य को अदालत से न्याय प्राप्त करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा? यदि यह एक प्रथा ही बन गई तो संसदीय अधिकार निरर्थक हो जायेंगे। और संसद् पूर्णतया महत्वहीन हो जायेगी। अतः अध्यक्ष पीठ को इस बात पर विचार करना चाहिये कि संसदीय दृष्टिकोण से पवित्र कुछ प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके सरकार इस प्रकार के मामले से छुटकारा न पाये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : विधि के मामलों पर राय में भिन्नता हो सकती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यहां प्रश्न विधि का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार ने इस मामले में कुछ प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है अथवा नहीं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह एक ऐसा मामला है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि इसमें कई अनियमिततायें प्रकाश में आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस ओर ध्यान देने में तथा अन्य दलों से परामर्श करने व समाधान ढूंढ निकालने के लिये कहें। हम कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। और न ही वित्तीय विनियोगों को रोकना चाहते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि उन्हें नियमित रूप से लाया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. speaker on 3rd April, 1974, Shri Gokhale had taken shelter behind section 56 of the Union Territories Act, We had opposed it. Now our stand has been vindicated by the High Court Judgement. The Court has expressed the view that "we do not think that this will enable the President to invoke his powers under 56, because under that Section he can not by an order do anything inconsistent with provisions of this Act". The hon. Speaker had observed that he would not give any decision in regard to the constitutionality or validity of any notification or order laid on the table of the Government. But an exception should be made in financial matters wherein this House is Supreme. The Speaker should also make some observations in regard to the attitude taken by the Government in regard to this matter.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : प्रत्येक सदस्य एक ही मामला उठा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हमें सभी सदस्यों के विचारों को जानना चाहिये। यह कोई राजनीतिक मतभेद प्रश्न नहीं है अपितु यह एक वित्तीय प्रक्रिया का प्रश्न है। इसमें संसद के अधिकारों का प्रश्न है। संसद् को बजट पर अपना नियंत्रण कायम रखना है।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका): हर्ष की बात है कि अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा विधि मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को सुनने के बाद अपना विचार व्यक्त किया कि अनुदानों की वित्तीय प्रक्रिया पूर्णतया संसद् के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है। लेकिन संसद् अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कैसे करती है। यह कहकर नहीं कि "न्यायालय में जाओ"। इस ढंग से हम संसद की सर्वोच्चता को नहीं बनायें रख सकते। इन वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं सभा की प्रक्रिया अधिकारों और विनियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : जब श्री सेझियान तथा अन्य कुछ सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था तो हमने सरकार से बार बार पूछा था कि क्या यह इस विषय के विधाई पहलू के बारे में निश्चित है। और क्या महान्यायवादी से इस बारे में परामर्श लिया गया है। किन्तु संभवतः

मंत्री महोदय को इस पर पूर्ण विश्वास था या उन्हें अपने साथियों द्वारा समझाये गये कानूनी पहलुओं का इतना पता नहीं है। अतः अध्यक्ष महोदय विधि मंत्री को यह बता दें कि कम से कम ऐसे अवसरों पर जहां संसद् के अधिकारों का प्रश्न निहित है, गंभीरता बरते। उन्हें ऐसे मामलों पर महान्यायवादी की सलाह लेकर सभा में आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें प्रक्रिया संविधान और प्रथा जैसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। केवल तभी ऐसे अवसरों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना चाहिए।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् जी, मैंने गत सप्ताह कलकत्ता में कुछ समाज-विरोधी तत्वों द्वारा बंगला देश के एक साप्ताहिक समाचारपत्र के कार्यालय पर हुए हमले का सभा में उल्लेख किया था। श्री के० रघुरामैया ने कहा था कि संबंधित मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। श्रीमन् बारपेटा के चुनाव में हुई गड़बड़ी के बारे में मुझे एक तार प्राप्त हुआ है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आदेश का पालन करें। यह कोई उचित तरीका नहीं है।

गुजरात में अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के बारे में
Re GRANT OF U.G.C. SCALES TO TEACHERS IN GUJARAT

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं सभा और सरकार का ध्यान गुजरात राज्य में उत्पन्न हुई एक गम्भीर और विस्फोटक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। कल अहमदाबाद में कालिज के प्रोफेसरों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक मोर्चा उनके प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए राजभवन गया। सेन समिति ने कुछ वेतनमानों की सिफारिश की थी जिन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी अनुमति दे दी थी और शिक्षा मंत्री भी उसे सभा पटल पर रखने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ। इन प्रोफेसरों और शिक्षकों ने अब गुजरात सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि उन्हें 28 फरवरी तक न्याय नहीं मिला तो वे परीक्षा संबंधी सभी कार्य बन्द कर देंगे। अतः गुजरात प्रशासन और केन्द्रीय सरकार इस मामले को शीघ्रता से निपटायें ताकि उन्हें तुरन्त न्याय मिल सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

Shrimati T. Lakshmikanthamma (Khammam): As I was saying yesterday in some countries women had been looked down upon as chattel. Consequently, they had to carry on an agitation and fight for their rights. In Britain a lady of Tory party has been elected its leader. The women of that country also agitated to get the right of Franchise (*interruptions*)

In our country the women participated in the independence movement under the leadership if Mahatma Gandhi had secured due place for them. But that is only in the political field and is confined to a very small part of the society. There is no doubt that some women have secured high posts in the country, but those cases are really exceptional. By and large the condition of women in the country continued to be backward. Even today injustice is being perpetrated on them. Their population is decreasing as evidenced by the census figures. The birth of a girl is considered bad and the women are not getting full opportunities for progress. Whereas the percentage of literacy among menfolk is 40 in the case of women it is only 19. The Committee on the status of women has in their Report brought all these facts to light.

In spite of the provision made in the constitution and the directions of the I.L.O. women are not getting equal pay for equal work in the industries. It is because they have no trade unions. This kind of exploitation should go and women should be treated on the basis of equality with men in every sphere.

It is regrettable that in some of the Government Departments women are not being taken. For example, in the Forest Department and judiciary women are not being appointed. This discrimination must be ended and women should be appointed in all services.

***श्री जे० माता गौडर**: (नीलगिरि) : राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के मुद्रास्फीति को रोकने संबंधी व्यापक प्रयासों का उल्लेख किया है। ये प्रयास जुलाई 1974 से चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 1974 में उनकी सरकार का ध्यान मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने पर केन्द्रित रहा। किन्तु प्रश्न यह है कि सरकार को इस दिशा में कहां तक सफलता मिली? सरकार द्वारा अपनाए गए जिन उपायों से मूल्यों में गिरावट आई और रुपये का मूल्य बढ़कर 25.3 पैसे हो गया। यदि हम इसकी तुलना सितम्बर 1973 से करें जबकि रुपये का मूल्य 24.6 पैसे था तो यह वृद्धि 0.7 पैसे ठहरती है। इस मामूली सी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों की असफलता पर शर्म आनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति को इसे अपने भाषण में सम्मिलित करना चाहिए था?

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

कांग्रेस संसदीय दल के कृषक फोरम ने कतिपय सरकारी एजेन्सियों की किसान विरोधी और उत्पादन प्रधान विरोधी नीतियों की निन्दा की है। फोरम का विचार है कि सरकार ने किसानों को हानि पहुंचाकर मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ने का मूल्य कम रखा है। इसके बावजूद राष्ट्रपति सरकार के उत्पादन बढ़ाने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा होने की बात कहते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ?

कांग्रेसी सदस्यों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया है । बैठक में सरकार के रुई आयात करने के निर्णय का भी विरोध किया गया है। इस 'फोरम' का यह मत भी है कि सरकार ने जानबूझ कर गन्ने के मूल्य को कम रखा है। ताकि काश्तकारों के हितों के विरुद्ध मिल मालिकों को लाभ पहुंचाया जा सके। इतना होते हुए भी राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाए जाने के कारण सरकार को धन्यवाद दिया है।

मैंने धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी श्री स्टीफन के भाषण को सुना है। वह एक श्रमिक नेता एवं समाजवादी रह हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी की सरकार ने देश को पूंजीवादी ढांचा दिया है। यह बात कहने से कि देश जाति निहित स्वार्थ और एकाधिकार गृहों के जालों में जकड़ा हुआ है उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी इन बुराइयों से छुटकारा दिलाने में विफल रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 3500 करोड़ रुपये की लागत वाला सरकारी क्षेत्र अब तक हानि में चलता रहा है।

राष्ट्रपति ने उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख किया है । परन्तु कांग्रेसी सदस्यों द्वारा ही इसके विपरीत बातें करने से राष्ट्रपति अभिभाषण में उल्लेख की गई बात व्यर्थ सिद्ध हो जाती है ।

देश की समस्याओं के समाधान के लिये भी राष्ट्रपति ने सरकार की प्रशंसा की है । 1 जुलाई, 1974 को 2.26 लाख विज्ञान स्नातक, 1.04 वाणिज्य स्नातक, तथा 3.39 कला स्नातक बेकार थे । देश में 50 लाख पढ़े लिखे बेकारों के होते हुए कैसे कहा जा सकता है कि सरकार को सफलता मिली है । सरकार ने 70 करोड़ रुपये के आवंटन में से केवल 14 करोड़ रुपये ही उक्त उद्देश्य के लिये खर्च किया और केवल 92000 व्यक्तियों को ही रोजगार दे पाई है । खेद की बात है कि राष्ट्रपति ने बेरोजगारी की व्यापक समस्या का उल्लेख नहीं किया । यदि नदीं जल विवादों का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता तो अनाज के उत्पादन में सुधार नहीं हो सकता । पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि के कारण करोड़ों रुपए की हानि हुई । अब ऐसी ही बातचीत बंगला देश के साथ चल रही है । केन्द्र में शासक दल हर बात की राजनीतिक रूप देता हैं । मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आन्तरिक जल विवादों का उल्लेख नहीं है ।

कृषि मंत्री श्री शिन्दे ने 24-2-75 को तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि तमिलनाडु के प्राय: सभी भागों में 160 लाख लोग अकाल के कारण कष्ट उठा रहें हैं । उन्होंने बताया था कि सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार ने 7.50 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये मंजुर किये हैं ।

प्रधान मंत्री जब तमिलनाडु गई थीं तो उन्होंने वहां के लोगों की सहानुभूति में एक भी शब्द भी नहीं कहा कि उन्हें अनाज भेजा जायेगा अथवा वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

वर्षा के न होने के कारण तमिलनाडु के उत्पादन में 30 प्रतिशत की कमी हो गई है ।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य विधान सभा में अपने अभिभाषण में बताया है कि केन्द्र से आगामी 10 महीनों में 10 लाख टन अनाज की मांग की गई है । मैं केन्द्र से अपील करता हूं कि वहां के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये पर्याप्त अनाज राज्य को भेजा जाये ।

इन कारणों से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के पक्ष में नहीं हूँ ।

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : राष्ट्रपति का अभिभाषण उस समय हुआ है जबकि देश की अर्थ-व्यवस्था में निश्चित सुधार हुआ है । वास्तव में नये राष्ट्रपति भाग्यशाली सिद्ध हो रहे हैं । क्योंकि जिस दिन से उन्होंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया है हालात सुधरने लगे हैं और हमारी अर्थ-व्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है । सम्भावित विश्व मंडी का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है । कोई भी अच्छी सरकार भावी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये अपने अच्छे दिनों का सदुपयोग करेगी । संतोष की बात है कि इस सुदढ़ अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी बेहतर कार्य सम्पादन करने लगे हैं । सरकारी प्रतिष्ठानों का लाभ पर चलना बहुत आवश्यक है क्योंकि हानि पर चलने से एक तो लाभ से वंचित रहना पड़ता है दूसरे हानि उठानी पड़ती है ।

राष्ट्रपति को सरकार को यह सलाह भी देनी चाहिए थी कि हम जनता की जिन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते उनके बारे में ऊँचे दावे नहीं करने चाहिए । जैसे भूमिहीन किसानों को भूमि देने का वचन देना और भूमि उपलब्ध न होने के कारण उन्हें निभा न पाना ।

राष्ट्रपति को सरकार को यह भी सलाह देनी चाहिए कि कभी-कभी श्रेष्ठ उपचार भी गम्भीर परिणाम लाते हैं । ऐसे मामलों में सरकार को घटनाओं का पूर्वानुमान कर उनका उपचार करना चाहिए।

तस्करों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का सभी स्वागत करेंगे परन्तु उसके परिणामस्वरूप 520 के लगभग मुख्य तस्कर सरकार के अतिथि बन गये हैं । तस्करी करने वाले लोग एक प्रकार से बेकार हो गये हैं और डकैती आदि की घटनाएं बढ़ गई हैं । हमें डाकुओं के समान उनके लिये भी योजना बनानी चाहिए ।

देश में यदि भ्रष्टाचार की बुराई को वास्तव में दूर करना है तो हमें अपने लोगों को इसे दूर करने की शिक्षा देनी चाहिए । जिस ढंग से हम भ्रष्टाचार को दूर करने का यत्न कर रहें है वह सही ढंग नहीं है ।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है । श्रीमती गान्धी की सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल सकें । पुरुष यदि कमाने जाता है और उसकी पत्नी गृह कार्य करती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह केवल अपने श्रम से कमाई करता है । सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि विवाह के बाद दोनों में से किसी एक द्वारा अथवा दोनों द्वारा अधिगृहीत की गई किसी किस्म की संपत्ति/पूंजी एक सीमा तक दोनों का उपहार इत्यादि पाना है । ऐसा कानून पश्चिमी जर्मनी में भी है । ऐसे कानून से न केवल महिलाओं को एक सीमा तक समान दर्जा मिलेगा बल्कि वह भ्रष्टाचार दूर करने में भी सहायक होगा ।

इस सदन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 करने पर विचार किया था । आचार्य विनोबा भावे चाहते हैं कि मतदान का अधिकार तो जीवन पर्यन्त बना रहे परन्तु चुने जाने का अधिकार 25 वर्ष से 60 वर्ष तक ही रहे ।

Shri Sharad Yadav: (Jabalpur) : Despite 27 years of Congress rule there has been no development in Madhya Pradesh. At present the State has a Chief Minister imposed by the Centre who continues the use of Lathi Charge and firing in various parts of the State. The State has all along been neglected and a glaring instance of it is that one of the important towns of Madhya Pradesh namely Jabalpur has not so far been connected with the capital of India by air or rail directly.

The President in his Address has charged Shri Jaya Prakash Narayan of inciting violence. A Union Minister, Shri Shanker Dayal Sharma had lodged a false report with the police and for that his servant is still in jail. I demand that such Ministers be put behind the bars.

The Government has been exploiting Harijans and Adivasis in Madhya Pradesh with a view to secure votes from them. There have been incidents in Madhya Pradesh in which Government has committed atrocities on Harijans and Muslims. Nothing has been done so far for their progress and development. The Muslims are not being given adequate representations in army and police in proportion to their population.

I want to bring to your notice another major case of corruption. The Government, by allowing 5 per cent increase in the quota of free sale sugar, has offered an opportunity to mill owners to loot the public. This has resulted in more arbitrary profits to mill owners as now they will be selling 2.15 lakhs tons of additional sugar in open market. That way, Government has allowed them to extract about Rs. 78.20 crores from the public. Out of it, an amount of Rs. 8 crores has been given to Congress Government under the leadership of Smt. Indira Gandhi ...(*Interruption*)

कुछ सदस्य उठ खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री यादव, आप कुछ समय के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइये । (**व्यवधान**)

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस प्रकार के निराधार आरोप कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किये जाने चाहिये । माननीय सदस्य का आरोप बहुत अपमानजनक है ।

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसा आरोप लगाना अपमानजनक है ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुरमैया आपका यह कहना ठीक हो सकता है कि आरोप निराधार है परन्तु मैं किस नियम के अन्तर्गत इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल सकता हूं? संसदीय प्रथा तो यह है कि जब भी कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका जब ज़ोरदार ढंग से खण्डन किया जाता है तो वह भी कार्यवाही वृतांत में चला जाता है और यही काफी होता है । जब कोई बात असंसदीय, या अपमानजनक हो, तो उसके लिए मैं कह सकता हूं कि इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये ।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 380 के अन्तर्गत गैर जिम्मेदाराना तथा अपमानजनक बातों को वृतान्त में शामिल नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह आरोप तो निराधार है इसे अपमानजनक नहीं कहा जा सकता । इसे तो निराधार कहना ही अधिक उपयुक्त है ।

श्री के० रघुरामैया : यह आरोप कि कांग्रेस पार्टी को करोड़ों रुपये दिये गये है, अपमानजनक है । परन्तु आपके सुझाव के अनुसार हम इसे नियम समिति के निर्णय पर छोड़ते हैं ।

Shri Sharad Yadav : The youths of our Country is growing under the curse of unemployment for the last 27 years. There has not been any reference to their demand for franchise at the age of 18 years in the President's Address. The fact is that Government does not want to confer that right to the youth because the youth of the country today, is against the Government. The Government is using MISA, DIR and other similar laws against the youth without any rhyme and reason. The State of Emergency is still continuing in our country, which should have been withdrawn much earlier. The youth of Bengal is meeting inhuman treatment and are being subjected to atrocities. All this should be stopped and the youth must be given its due in the society.

We have come to know that the President visited Barpeta on the eve of bye-elections there. It is not fair for such a high dignitary. Similarly, we may take up the State of Madhya Pradesh. The situation in the State is very explosive because an autocrat and undemocratic Chief Minister has been installed by the Centre. All these things should be looked into.

Shri Virbhadra Singh (Mandi) : A correct appraisal of the present situation in the country has been made by the President in his Address. He has thrown sufficient light on the different measures taken by the Government to solve the problems of the country. I am of the opinion that the Address should have included the mention of two very significant events, namely, the tragic murder of Shri L.N. Mishra and secondly, the huge loss and the untold miseries suffered by people in Himachal Pradesh as a result of earthquake on 19th January, 1975. The Government of India and the Government of Himachal Pradesh deserved all praise and Congratulations for the immediate relief rendered by them. Now, the only problem is that of rehabilitating those who were uprooted by that natural calamity. A demand of Rs. 3 to 4 crores has been made by Himachal Pradesh Government from Central Government and I hope Union Government will concede to it.

It is for the last several years that our country is passing through serious economic crisis due to increasing inflation and oil crisis. But in this connection I have pleasure to state that Government took all appropriate and effective measures to combat the situation. It is all due to these appropriate measures that the wholesale price index has considerably gone down. The production in various industries such as iron, steel and electricity has come up. So it is a matter of pride that despite our several difficulties and odds, we have achieved several successes. We have been fully able to preserve the democracy in the country.

It is an historical fact that we have always risen above the party level to overcome the crisis before the country as we did at the time of Pakistan's aggression. But it is a pity that whenever there are crises in the country, some people try to derive political capital out of it. We should always be on our guard against such people and their undemocratic intentions.

It is being said that Shrimati Indira Gandhi wants to bring in dictatorship in the country. She wants to form a Bangla Desh type of Government in the country. But it is an absolutely wrong notion. We have achieved success on all fronts through democratic type of means and Government. We are proud of these achievement and it is a matter of all the more pride that our country is still continuing with the democratic form of Government, whereas the other countries, who got independence with us, have switched over to other types of Governments. It is only due to the fact that reins of the country remained in the hands of one party throughout all these years and that was the Congress Party of India. So how the same party can go against democracy, which has nourished democracy during all these years ?

I feel that corruption cannot be rooted out by those who are most corrupt, however loud their cries might be.

In a democracy, every citizen has a right to raise his voice but it is hardly fair to ask our armed forces and police not to remain faithful to a duly elected Government. This clearly shows the condition such elements want to create in the country (*Interruption*).

I am glad to note that under the policy of having cordial and friendly relations with all the countries of world irrespective of any distinction between one power bloc and the other, we have not only maintained such relations but have strengthened them also. I regret that despite our opposition, the U.S.A. has decided to supply arms to Pakistan. We should oppose this move in Parliament also. The assurances given by the U.S.A. are hardly credible. This U.S. decision will not only jeopardise our mutual relations but will endanger peace in this part of the world.

I welcome the latest development in Jammu and Kashmir and I am more happy because this understanding has been reached within the framework of our Constitution and the people of the State will merge better in the mainstream of the country.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यद्यपि हमारे राष्ट्रपति का यह पहला अभिभाषण था, फिर भी इसमें न तो कुछ प्रेरणादायक बात थी और न ही उनके तरीके में कोई विशेष आकर्षण था। उनके अभिभाषण में न तो सरकारी कार्यक्रमों का उल्लेख है और न ही देश की हालत का सही चित्र खींचा गया है।

जहां अभिभाषण में विश्वस्त आधार पर वर्ष का समारंभ करने की बात कही गई है, वहां सरकार में विश्वास का नितान्त अभाव दिखाई देता है। यद्यपि देश में प्रतिभा युवा-शक्ति और उत्साह का अपार भंडार है, फिर भी सरकार में उसका लाभ उठाने की क्षमता और इच्छा का अभाव है।

यद्यपि विपक्ष द्वारा केन्द्रीय कक्ष में आकर हल्लागुल्ला करना और अभिभाषण का बहिष्कार करना मुझे अच्छा नहीं लगा फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार और विपक्ष के संबंध बिगड़ने जा रहे हैं । जहां एक ओर राष्ट्रपति ने बातचीत का उल्लेख किया है, वहां दूसरी ओर सरकार इस प्रकार चलाई जा रही है कि विपक्ष उनका अभिभाषण तक सुनने को तैयार नहीं है । राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी मैं ही एकमात्र विपक्षी सदस्य था जो वहां उपस्थित था । यह ठीक है कि हमने उनके उम्मीदवार होने का विरोध किया था, परन्तु निर्वाचन के बाद वह राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, अतः हमारे सम्मान के पात्र हैं ।

यदि राष्ट्रपति, संविधान या सरकार चाहती है कि विपक्ष कुछ नियमों या परिपाटियों का पालन करे तो सरकार को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति को इतनी धूम-धाम से 6 घोड़ों की बग्घी में आने की क्या आवश्यकता है और दूसरे क्या राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों और विधायकों को इस प्रकार विलासपूर्ण जीवन बिताना चाहिये जबकि जनता इतने दुख और कठिनाई में है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को अपने भूतपूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जाने की क्या आवश्यकता थी जबकि वहां उपचुनाव होने वाला था ?—(**व्यवधान**)

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : वह तो वहां उपाधिवितरण समारोह के सिलसिले में गए थे ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : His visit to Barpeta was cancelled after our protest but all the prominent local people were called there and they were influenced......(*Interruptions*) . Blankets were also distributed there.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो श्री गोस्वामी को मामला साफ करने के लिए अवसर दिया था हमें कम से कम राष्ट्रपति और उनसे संबंधित बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं आप से पूर्णतया सहमत हूं । परन्तु मेरे कहने का अभिप्राय यही था कि यदि लोकतंत्रीय प्रथाएं और रवैया बनाए रखना है तो सरकार और विपक्ष दोनों का ही हमारे गणतंत्र की आत्मा, रूपरेखा और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु, संवैधानिक, उचित और संभ्रान्त तरीकों का अनुसरण करना होगा ।

अभिभाषण में गत अनेक वर्षों, विशेषकर गत वर्ष देश में आए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक संकट और उथल-पुथल का कोई उल्लेख नहीं है ।

यहां पर दिए गए भाषणों से यह नहीं लगता था कि हम अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सभा सदस्यों ने जयप्रकाश जी के आंदोलन का या समर्थन किया या उसका विरोध किया और क्योंकि कांग्रेसी सदस्यों ने उक्त आंदोलन की निन्दा की है अतः विपक्ष को भी अपने उत्तर में उसका उल्लेख करना पड़ा और उन्होंने उसका समर्थन किया । जयप्रकाश जी ने तीन चुनौतिया दी हैं —क्या देश में शैक्षिक संकट नहीं है, क्या चुनाव सुधार आवश्यक नहीं है और क्या भ्रष्टाचार प्रतिदिन बढ़ नहीं रहा है ? खेद है कि अभिभाषण में इस संबंध में कोई ठोस सुझाव या हल नहीं सुझाया गया है । आज देश में स्थिति यह है न सरकार शासन ठीक से चला रही है और न ही विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभा रहा है । इसका कारण 1971 के चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल का इतना अधिक संख्या में आ जाना

है जिसके परिणामस्वरूप सरकार विरोधी दलों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं समझती अभिभाषण में आपात स्थिति जारी रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है सिवाय इसके कि सरकार असीम शक्ति प्राप्त किए रहना चाहती है जिससे मूल अधिकारों और न्यायालयों की उपेक्षा की जा सके। अत: मैं मांग करता हूं कि इसे यथासंभव शीध्र समाप्त किया जाए।

अभिभाषण में ही नहीं, कितने आयोगों ने हमें बताया है कि शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है और सरकार इसे कितना महत्व देती है इससे स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री आज भी मंत्रिमंदल के सदस्य नहीं है।

चुनाव सुधारों के बारे में यद्यपि अनेक मंत्रियों और स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि बातचीत की जानी चाहिये परन्तु कब? इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया है। श्री जयप्रकाश जी द्वारा इस संबंध में बनाई गई समिति का मैं भी एक सदस्य था मैं चाहता हूं कि इसके प्रतिवेदन के आधार पर संसद के अन्दर और बाहर वातचीत आरंभ की जा सकती है। यदि सरकार ने शिक्षा और चुनाव के क्षेत्र में सुधार न किए और भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो एक नहीं, लाखों जयप्रकाश नारायण देश में बनेंगे।

देश में दो प्रकार का बहुमत है—एक उनका जो बहुत ही गरीब है और दूसरा है युवा वर्ग और दोनों ही काफी दुखी और क्लांत हैं।

गुजरात में चुनाव कराने के बारे में गृह मंत्री के अनुसार वहां शान्ति और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है जबकि वास्तव में वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरे उनका कहना है कि वहां सूखा और अभाव है जबकि लगता है कि कांग्रेस में विश्वास का अभाव है और इसीलिए वहां चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं।

खेद है कि अभिभाषण में श्रम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। औद्योगिक संबंध विधेयक अभी तक पेश नहीं किया गया है। श्रमिकों की अनेक समस्याओं में से एक भविष्यनिधि पर अधिक ब्याज की मांग है और दूसरी 20 वर्ष की सेवा के बाद इस राशि को निकालने की मांग है जो रद्द कर दी गई है।

आज राष्ट्रीय वातावरण निराशाजनक है तथा स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है। उद्देश्य के प्रति सच्ची भावना का न केवल सरकार में अपितु सर्वत्र ही अभाव है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निष्ठावान नहीं हैं। यदि देश के युवकों को विकास के अवसर नहीं दिये जायेंगे तो वे मौन दर्शक नहीं बने रहेंगे।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट): भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत शेख अब्दुला के साथ समझौता करने के संबंध में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम के लिये मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। इससे जम्मू तथा काश्मीर राज्य की अत्यन्त जटिल समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। 1953 से जम्मू तथा कश्मीर में कई परिवर्तन हुए हैं और यह असत्यता की बात है कि शेख अब्दुल्ला ने स्थिति में हुए परिवर्तन को समझा है और उसे स्वीकार किया है।

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये।
Shri Naval Kishore Sinha in the Chair.]

हमें आशा है कि उनके योग्य तथा सक्रिय नेतृत्व में जम्मू तथा कश्मीर राज्य सर्वतोमुखी विकास और प्रगति करेगा। शेख अब्दुल्ला ने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि राज्य का भारत संघ में

विलय अंतिम है तथा इस बात के होते जनमत संग्रह मोर्चा निरर्थक हो गया है और धर्मनिर्पेक्षता, समाजवाद और प्रजातंत्र के लिये प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत किये जाने चाहिए। उनका यह वक्तव्य महत्वपूर्ण है।

अमरीकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध का हटाये जाने पर मैं कड़ा विरोध प्रकट करता हूं। यह मामला न केवल भारत–पाकिस्तान मैत्री अपितु पूरे उपमहाद्वीप की शान्ति के लिए खतरनाक है। यह भारत-अमरीकी सम्बन्धों एवं पूरे क्षेत्र के स्थायित्व के लिये भी घातक है। यह निर्णय डा० किसिंजर की इस घोषणा को, कि अमरीका भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध सामान्य बनाने को उत्सुक है और उपमहाद्वीप में शस्त्रास्त्रों की होड़ के विरुद्ध है की निरर्थकता सिद्ध करता है, अमरीका की वास्तविक नीति भारत पाकिस्तान के बीच शक्ति सन्तुलन बनाये रखने की है।

देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कभी भी ऐसे गम्भीर संकट का सामना नहीं करना पड़ा। जैसाकि 1973-74 की मूल्य वृद्धि से करना पड़ा है। इससे हर व्यक्ति को कष्ट सहन करना पड़ा है। जब भी हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं हमें युवा बेरोजगारों का सामना करना पड़ता है। गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं देश के सम्मुख चुनौती बनी हुई हैं। जब समृद्ध देशों में भी ऐसी समस्याएं हैं तब भारत जैसा देश कैसे उनका सामना कर सकता है? तस्करों, जमाखोरों और काला बाजार करने वालों के विरुद्ध सरकार ने कई कार्यवाहियां की हैं। मूल्यों में न केवल स्थिरता आई है अपितु उनमें कमी भी हुई है। हमें आशा है कि सरकार देश की स्थिति में सुधार करने के लिये पर्याप्त कदम उठायेगी।

सरकार के काम में कुछ कमियां हो सकती हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि विरोधी पक्ष सरकार के हर कार्य की आलोचना करें।

देश के लिये चिन्ता का मामला है कि कुछ विरोधी दल प्रजातंत्र को शिथिल करने के लिए मिल गये हैं और कभी-कभी दावा करते हैं कि यह प्रजातन्त्र का निर्माण कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं परन्तु जब किन्हीं राज्यों में उनके हाथ सत्ता आई तब उनका आचरण वैसा ही रहा।

प्राकृतिक तथा खनिज साधनों में समृद्ध क्षेत्र भी पिछड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इन क्षेत्रों में संचार, औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की ओर ध्यान देगी। मेरे क्षेत्र में कुछ पर्वतीय भागों में पिछले 27 वर्षों में एक भी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि कच्चे तेल का शोधन राज्य में ही किया जा सकेगा। बाढ़ों से आसाम में प्रतिवर्ष लाखों एकड़ भूमि को क्षति पहुंचती है। अनेक मनुष्यों एवं पशुओं की जानें जाती हैं। केन्द्र बाढ़ नियंत्रण विधेयक लाने का आश्वासन देता रहा है परन्तु अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र उक्त विधेयक लायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Mr. Speaker in the Chair.]

पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RESUMPTION OF U.S. ARMS SUPPLIES TO PAKISTAN.

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : माननीय सदस्यों ने वाशिंगटन की इस घोषणा को देखा होगा कि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई पर पिछले 10 वर्ष से लगी पाबंदी हटा ली है । इस निर्णय से सदन के प्रत्येक वर्ग में और सामान्यतया पूरे राष्ट्र में गम्भीर चिंता की जो लहर दौड़ेगी उससे सरकार भी उतनी ही चिन्तित है । इस उपमहाद्वीप में शांति और स्थायित्व के लिए तथा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ और अधिक परिपक्व संबंधों की हमने जो आशायें बंधी थीं उन पर इस निर्णय के गम्भीर परिणाम पड़ सकते हैं ।

2. जैसा कि सदन को याद होगा 18 फरवरी को अपने वक्तव्य में मैंने यह कहा था कि मैंने अमरीकी विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और उसमें पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की पुनः सप्लाई के दुष्परिणामों के विषय में अपनी आशंकायें व्यक्त की थीं जो निस्संदेह हमारा सुविचारित निर्णय है । इस निर्णय से भारत और पाकिस्तान के बीच मेल-मिलाप की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी और देश में आक्रोश फैल जायगा जो न्यायोचित ही होगा ।

3. महोदय, मैं एक बार फिर यही कहूंगा और जिसकी पुष्टि मैंने बार-बार की है, कि हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहने के संबंधों के उद्देश्य के प्रति तथा इस उपमहाद्वीप में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं । इसके विपरीत पाकिस्तान ने शंका, शत्रुता और संघर्ष की अपनी नीति पर चलते रहने के लिए हमेशा ही तरह-तरह की दलीलें दी हैं । यह नीति विनाशकारी सिद्ध हुई है । पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई को न्यायोचित ठहराने के लिए अमरीकी प्रशासन ने समय समय पर चाहे जो कुछ भी कहा हो उसने तीन मौकों पर भारत के विरुद्ध आक्रमण में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया है । विगत 20 वर्षों के अपने दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के कारण हमारी चिन्ता का बढ़ जाना स्वाभाविक ही है ।

4. महोदय, अमरीकी सरकार का निर्णय औद्योगिकी है और इससे इस उपमहाद्वीप में शांति का पक्ष प्रबल नहीं होगा । इस निर्णय पर मैं अपनी घोर निराशा और अत्यधिक खेद का भाव व्यक्त करता हूं । मैं सदन को यह आश्वासन भी दिलाता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सजग है और इस दुर्भाग्यपूण निर्णय के परिणामों से निपटने की राष्ट्र की क्षमता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

Motion of thanks on the President's Address—*contd.*

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंगल भारतीय) : राष्ट्रपति ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति को दृष्टि से एकता और सहयोग बनाये रखने पर बल दिया है । निस्संदेह समय की यही परमावश्यकता है।

संभवतः इस समय सबसे बड़ा खतरा अनुशासनहीनता का है । अनुशासनहीनता देश में ऊपर से नीचे तक सभी स्तरों पर विद्यमान है । मुझे आपने औपचारिक रूप से इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में गौरव प्रदान किया है । मुझे सबसे अधिक अनुभव है उस समय दो तीन विरोधी सदस्य ही सभा की कार्यवाही पर अपना अधिक प्रभाव डालते थे तथा उन्हें समाचारपत्रों में भी पर्याप्त स्थान

मिल पाता था। पहले सप्ताह भर में हुई चर्चा का सावधानी से विश्लेषण करके सावधानी से समाचार दिये जाते थे। वह अब समाप्त होता जा रहा है। समाचार पत्र आजकल सनसनी पैदा करने वाली खबरों की होड़ में लगे हैं। सदन और समाचार पत्रों में मर्यादा की भावना समाप्त हो रही है। सदन और विधान सभाओं की विशेषता समाप्त होती जा रही है।

चुनाव के लिये प्रत्याशियों का चयन करते समय से ही अनुशासनहीनता शुरू हो जाती है। यह किसी एक पार्टी में नहीं अपितु सभी पार्टियों में विद्यमान है। आजकल प्रत्याशी योग्यता के आधार पर नहीं अपितु जाति और कभी कभी धर्म के आधार पर खड़े किये जाते हैं।

जनता के उम्मीदवारे का चुनाव दलहीन लोकतंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परन्तु हम ऐसे लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान हैं जिसके अंतर्गत हम दलहीन लोकतन्त्र नहीं रख सकते। दल विहीन लोकतन्त्र में जहां लोगों को समान मंच पर किसी के प्रति निष्ठा के बिना चुना जाता है वह अनुशासन हीनता को बढ़ाता है।

मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह सब कुछ एक चाल है क्योंकि मेरा तो किसी भी दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि मेरे से पूछा जाये तो माननीय सदस्य का सम्बन्ध सत्तारूढ़ दल से है उनका विरोधी पक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम श्री एन्थनी से सभा के कार्यकरण के बारे में कोई प्रमाण नहीं चाहते.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय . वह आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: वह यह सभा के कार्यकरण के बारे में कहते हैं। हम उनसे किसी प्रकार की शिक्षा नहीं लेना चाहते। आगे वह हमें मर्यादा और शालीनता सिखाने जा रहे हैं।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : उनका पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास है। (**व्यवधान**)

श्री श्याम नन्दन मिश्र: हम उनसे कुछ नहीं सीखना चाहिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी: मेरी समझ में नहीं आता कि आज मेरे मित्र इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आज आप मनोनीत सदस्य की तरह चापलूसी का बर्ताव कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : कृपया बैठिये। आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार सहन नहीं किया जायेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी : इनसे बढ़कर चापलूस तो कोई भी नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप जानते हैं यहां पर आप सरकार की मेहरबानी से हैं। आप यह चुनाव जीत कर नहीं आये हैं। आप यहां सत्तारूढ़ दल की कृपा से हैं (**व्यवधान**) श्रीमान, आप जानते हैं कि वह सभा में तो प्रायः होती नहीं और इस तरह की बात करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : इस तरह की बातें तो आप रोज ही करते हैं (**व्यवधान**)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं । (**व्यवधान**) मैंने अपने समुदाय के लिए जितना किया है उतना मेरे माननीय मित्र कभी भी नहीं कर सकते (**व्यवधान**) आज देश में अनुशासन नहीं है । किसी न किसी बहाने पर छात्र तथा अध्यापक सड़कों पर नारे लगाने लगते हैं । (**व्यवधान**)

राष्ट्रपति ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति की दृष्टि से एकता और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है । निःसंदेह समय की यही पुकार है ।

सम्भवतः इस समय सबसे बड़ा खतरा अनुशासनहीनता का है । देश में अनुशासनहीनता प्रत्येक स्तर पर व्याप्त है । इस सभा तथा विधान सभाओं में भी राजनीतिक अनुशासन और मर्यादा का स्तर तेजी से गिर रहा है ।

अनुशासनहीनता समचार पत्रों में भी प्रवेश कर गई है । पहले सप्ताह भर में हुई चर्चा का विश्लेषण करके विवेकपूर्ण समाचार दिये जाते थे । अब वह प्रथा समाप्त होती जा रही है । समाचार पत्र आजकल सनसनी पैदा करने वाले समाचारों को प्रकाशित करने की होड़ में लगे हुए हैं । सदन और समाचार पत्रों में मर्यादा की भावना समाप्त हो रही है । संसद् और विधान सभाओं के कार्यकरण की विशेषता समाप्त होती जा रही है ।

यह अनुशासनहीमता चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करने के साथ ही आरम्भ हो जाती है। आजकल प्रत्याशी योग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते वरन जाति और कभी कभी धर्म के आधार पर चुने जाते हैं ।

एक नया उदाहरण दलहीन लोकतंत्र का सुनने में आया है । जन प्रतिनिधित्व का चुनाव दलहीन लोकतंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । हम ऐसे लोकतंत्र में, जिसके प्रति हम निष्ठाबद्ध हैं, दलहीन लोकतंत्र नहीं रख सकते । दलहीन लोकतंत्र में जहां लोगों को समान मंच पर और किसी के प्रति निष्ठा के बिना चुना जाता है, हमारी बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को और अधिक गंभीर बनाता है । आज भारतीय राजनीति का अभिशाप अति व्यक्तिवादी है ।

शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है ? समाचार पत्रों में प्रतिदिन यही देखने को मिलता है कि कुछ छात्रों ने लूटपाट की, कुछ ने आग लगा दी । दूसरों ने घेराव किया । शिक्षक तथा प्रोफेसर भी इसमें कम नहीं हैं । वे भी सड़कों पर प्रदर्शन और नारे लगाते हैं । यह कहना कि भारत में आज शिक्षा पूर्णतया दोषपूर्ण है, उचित नहीं है । हमारी इसी शिक्षा की देन से कई महान् भारतीय नागरिक हुए हैं । यदि शिक्षक अनुशासन दिखायें तो छात्र स्वयं ही अनुशासित होंगे । किन्तु जब स्वयं शिक्षक ही छात्रों को सड़कों तथा गलियों में नारे लगाने की सलाह दें तो शिक्षा का मूल स्रोत ही क्षीण हो जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर रहा है कि मुद्रा स्फीति से लोगों को कैसे हानि हो रही है । किन्तु श्रमिकों को आज जितना ही संतुष्ट करों, उतनी ही अधिक उनमें शिकायत की भावना और अधिकार का पुट आ जाता है । राजनीतिज्ञों में से कोई भी उनमें कर्तव्य की भावना पैदा नहीं करता ।

आज अनुशासन शून्यवाद की चरम सीमा पर पहुच गया है। जो उन कुछ दलों की विचारधारा से बिल्कुल भी भिन्न नहीं जो किसी न किसी प्रकार देश में संकट पैदा करके शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं।

आज देश में कानूनों का उल्लंघन खुले आम किया जा रहा है। कानून लोकतंत्र का पर्याय है। इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे खुले आम उपद्रव ही हैं। देश में कानून और व्यवस्था की अवज्ञा करने के लिए सेनाओं तथा अर्ध-सैनिक संगठनों को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। क्या यह विद्रोह या विद्रोह को निमंत्रण देना नहीं है ?

संसदीय लोकतंत्र कानूनों का आदर करने के लिए होता है। इसके सिद्धान्तों को सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा। अराजकता निराशा का प्रतीक है।

भ्रष्टाचार का डटकर और कठोरता से मुकाबला करना है। हमें भ्रष्टाचार को फैलने से रोकना चाहिए देश में भ्रष्टाचार और ईमानदारी पर किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है सभी राजनीतिक दलों को इसका मुकाबला करना चाहिए।

मुद्रास्फीति से आज देश को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः जनजीवन में अनुशासन लाने के लिए हम सब को प्रयास करना चाहिए। अराजकता का आह्वान हिंसा का ही एक रूप है और हिंसा से लोकतंत्र का विनाश होता है, न केवल सदन को ही अपितु प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए।

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : The President in his Address has described in nutshell the Government's internal and external policies. He has made a special mention of our growing friendship with our neighbours. Our foreign policy has been very successful because we have been able to establish friendly relations with a number of countries.

Our relations with the U.S.S.R. are very friendly. Our relations with the U.S.A. were also improving but U.S.A.'s recent decision to lift embargo on the supply of arms to Pakistan has given a set back to the happy trend.

Inflation is the main cause for the grave economic situation in the country. Government's correct steps have been able to arrest the rising trend of inflation. It is hoped that the Government will be able to tackle this problem.

Government have taken effective steps to check smuggling. The Government have started taking strong action against economic offenders.

Efforts have been made by Government to check rising prices. There is a downward trend in the whole sale prices. Its impact on retail prices has yet to be felt. Smuggling, hoarding, adulteration etc. and other economic offences always take place because of corruption.

An Hon. member : And corruption is because of opposition parties.

Shri Mulki Raj Saini: Mr. Anthony has already spoken enough about it...... (*interruption*). The President in his Address has mentioned that efforts have been made for upliftment of poor people. The Kaka Kalelkar Commission had submitted a valuable report

on the backward classes. It is really regrettable that that report has not yet been discussed in Parliament. The condition of backward communities should be improved. If necessary another commission can be appointed to look in to the problems of these people. Government have taken some steps to help the farmers but big farmers benefited more from this. Small and marginal farmers could not get much benefit from those steps. So small farmers should be given all help so that their lot is improved.

It is true that we are marching towards socialism but all sections of the society have not benefited therefrom.

श्री पी० के० एम० तेवर* (रामनाथपुरम): केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी अपनायी गई नीति में प्रधान मंत्री को कुछ सफलता मिली है। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः शुरू करने सम्बन्धी विदेश मंत्री द्वारा अभी-अभी दिया गया वक्तव्य, इस सफलता का प्रमाण है।

आज देश को अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मूल्य वृद्धि अपनी चरम सीमा पर है। अनिवार्य वस्तुओं की कमी सर्वत्र अनुभव की जा रही है। निर्धनता का चारों ओर बोलबाला है। लोगों की क्रय शक्ति न्यूनतम हो गई है। देशवासी पूर्णतया निराश एवं हताश हो गए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने में काफी रुचि ली है किन्तु उनको निपटाने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है। कई नदी जल विवाद अभी भी चल रहे हैं। 115 सिंचाई परियोजनाएं अनिर्णित पड़ी हैं क्योंकि राज्यों के बीच इन विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसके फलस्वरूप अनाज के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद चल रहा है। यदि तमिलनाडु के तिंजौर जिले को जो दक्षिण का अन्न भंडार है, सूखा क्षेत्र नहीं बनाना है तो कावेरी जल का वर्तमान जल प्रवाह जारी रहना चाहिए। यदि यह जल तमिलनाडु को नहीं मिला तो वहां अकाल स्थायी रूप धारण कर लेगा।

पिछले सौ सालों में तमिलनाडु में ऐसा अकाल कभी देखने को नहीं मिला। वहां धर्मपुरी, रामनाथपुरम् आदि क्षेत्र सूखे से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 10 लाख टन चावल की मांग की है। केन्द्रीय सरकार को इन पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई करनी चाहिए। राज्य सरकार का अनुमान है कि राहत उपायों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। वहां समस्या इतनी विकट हो गई है कि केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही वहां के लोगों की बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए। केवल तभी उन लोगों के संकट का समाधान हो सकता है।

इन अल्पकालिक उपायों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में दीर्घकालीन कार्यक्रम भी कार्यान्वित करने चाहिएं, ताकि ये क्षेत्र अस्थायी रूप से अकालग्रस्त न बनें। सेतु समुद्रम परियोजना, जिसकी कई वर्षों से चर्चा चल रही है, को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

थेवर जाति के लोग असंख्य कष्टों का सामना कर रहे हैं? उन्हें अंग्रेजी राज के अपराधी जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी माना गया था। उनके उत्थान और विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri Garhwal) : The President in his Address has mentioned that there has been good progress in food production and the industrial field. Even then the country is facing economic crisis. It is a fact that to some extent we have been successful in arresting increasing inflation unearthing black money. There has also been progress in boosting exports. Some rightist forces are trying to misguide the people and in this way they are causing harm to the democracy.

These political parties have neither any ideology nor any specific aims. Their job is to criticise the Government and congress party.

Just now our External Affairs Minister made a statement that resumption of arm supply to Pakistan by United States is a matter of grave concern. In such a situation, those who are instigating our Army and creating indiscipline among para-military forces are posing danger to the security of the country.

A mention has been made in the Address about the weaker sections and under-developed areas. It would have been better if the President had mentioned about the problems of Sub-Himalayan States and hilly areas. There has been a long standing demand that those areas should be provided with transport and communication facilities and that hydel projects should be set up there. The administration should give transport subsidy for the hilly areas. The exploitation of forests by a handful of persons should also be stopped because it is affecting the people there.

This year is the International Women's year. It is regrettable that no mention has been made in the Address about women. In our country, women are not treated on par with men. They should be given equal status in regard to education ,employment and other things.

The Silver Jubilee of our constitution and Parliament will be celebrated tomorrow. Mention should have been made about this in the Address.

Some Members of the opposition parties are trying to create a situation of lawlessness in the House. It is our duty to defend Parliamentary set up and the constitution.

In Dehradun area there are large deposits of rock-phosphate. At present we are importing rock phosphate. We must therefore exploit our own resources. A plant should be set up there. A cement factory should also be set up there as natural resoures like limestone are available in plenty there.

In Himachal Pradesh, Kashmir and the hilly areas of U.P. we have cash crops of apple and other fruits and vegetables. Government should formulate a policy to give necessary inputs to cultivators in those areas so that they may be able to manage things in a better way and have good crops.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज का युग परिवर्तन का युग है। कई लोग परिवर्तन की इस चुनौती की उपेक्षा कर रहे हैं। काश्मीर को लेकर हमारी राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस दल ने दलगत लाभ से ऊपर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काश्मीर के सम्बन्ध में एक समझौता किया है और काश्मीर का एक नेता नियुक्त किया है ताकि जम्मू, काश्मीर तथा भारतीय लोगों में परस्पर विश्वास बढ़े। यह कार्य शांतिपूर्ण तथा प्रजातांत्रिक ढंग से किया गया है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

सिक्किम के लोगों की प्रजातांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति एक और बड़ी उपलब्धि है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से न केवल देश की एकता बनाये रखने में बल्कि देश की प्रजातांत्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा प्रगतिवादी शक्तियों को मजबूत बनाने में भी सहायता मिली है। लेकिन विभाजक शक्तियों को ये परिवर्तन अच्छे नहीं लगे।

शांतिपूर्ण आणविक विस्फोट हमारा एक स्वप्न था और अब वह साकार हो चुका है। भारत विश्व की मुख्य बड़ी शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में उभरा है।

तस्करी, चोरबाजारी तथा जमाखोरी के विरुद्ध शुरु किए गए अभियान के अच्छे परिणाम निकले हैं।

रुपये की कीमत जो गत वर्ष 23 पैसे तक पहुंच गई थी, अब दिसम्बर 1974 से बढ़ गई है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी गिरावट आई है।

विदेशी ऋण 10,000 करोड़ रुपये से घटकर 6,000 करोड़ रुपये हो गया है।

कहा गया है कि सरकार ने निर्धनता को दूर करने वाले उपायों को गम्भीरता पूर्वक क्रियान्वित नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मार्च, 1974 तक लगभग 9 लाख बेघरों को घर दिए गए और यह कार्यक्रम चल रहा है। सरकार ने बंजर भूमि को लगभग 20 लाख भूमिहीनों के बीच निःशुल्क बांटा है। इसके अतिरिक्त 14 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को भी भूमिहीनों के बीच बांटा गया है।

गत दो वर्षों में 20,000 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि इतना पर्याप्त है। हमें इस दिशा में और कार्य करना चाहिए।

वर्ष 1973-74 में भारत सरकार का कुल व्यय 4955 करोड़ रुपये था जिसमें से 1668 करोड़ विकास व्यय था अर्थात् केवल 37 प्रतिशत विकास व्यय किया गया। वर्ष 1974-75 में केवल 29 प्रतिशत विकास व्यय किया गया। सरकार मुद्रास्फीति को कम करने हेतु विकास व्यय में वृद्धि करने के लिये वचनबद्ध है। आंकड़ों से पता चलता है कि विकास व्यय कम कर दिया गया है इससे अर्थव्यवस्था पर स्फीति दबाव बढ़ा है।

उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाली ऋण राशि में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत से घटकर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत हो गया है। इसके क्या कारण हैं? ऋण उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया था परन्तु ये उद्योग आवश्यक वस्तुओं को जमा करके बनावटी कमी पैदा कर रहे हैं।

गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय केवल 7 प्रतिशत बढ़ी है जबकि मुद्रा सप्लाई 54 प्रतिशत बढ़ी है। आर्थिक संकट का मुख्य कारण असंतुलन है। हमारा लक्ष्य आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था बनाने तथा स्वतन्त्र आर्थिक विकास करना होना चाहिए।

वर्ष 1969–70 को समाप्त होने वाले गत छः वर्षों के दौरान लाभांशों, रायल्टी, ब्याज शुल्क, तकनीकी शुल्क तथा विदेशी तकनीशियनों को अदायगी के रूप में 891 करोड़ रुपये की राशि स्वदेश से बाहर भेजी गई। हम पूंजी का आयात करके वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। इससे मुद्रास्फीति में और वृद्धि हुई है।

गांधी जी ने आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय बनाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम बनाए थे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें जनता के बीच जाकर कार्य करना चाहिए।

पारादीप उर्वरक परियोजन में कार्य कुछ समय पहले शुरू हो जाना चाहिए था परन्तु अभी तक यह कार्य शुरू नहीं हुआ। पारादीप में जहाज निर्माण यार्ड बनाया जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले जाने के बावजूद अभी तक निर्णय नहीं किया गया। मुझे आशा है कि इस वर्ष सहानुभूति पूर्व विचार किया जाएगा।

ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदी की रेंगाली तथा भीमकुंड परियोजनाएं बाढ़-नियंत्रण के लिए बनाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य होना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए।

समुद्रतटीय उड़ीसा क्षेत्र तथा पश्चिमी उड़ीसा के बीच रेल मार्ग नहीं है। कई वर्ष से हम रेल मंत्री तथा सरकार के ध्यान में यह बात ला रहे हैं। कि दोनों रेल-मार्गों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए तीन रेल मार्ग बनाए जाएं अर्थात् जारवापुरा–बांसापानी, तलचेर से सांबरपुर और खुर्दा रोड से फुलबनी बरास्ता नया गढ़ तथा दासपल्ला। प्रसन्नता की बात है कि जाखापुरा–बांसापानी लाईन की स्वीकृति दे दी गई है। सर्वेक्षण आदि के लिए 15 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं?। यह राशि कम है। मेरे विचार में और अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए।

हमें प्रतिक्रियावादी तत्वों का सामना करने तथा लोगों की जरूरी मांगो को पूरा करने के लिए संकल्प करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये।
Shri Nawal Kishore Sinha—*in the chair*]

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू): राष्ट्रपति के अभिभाषण में केन्द्रीय नेताओं और शेख अब्दुल्ला के बीच चल रही बातचीत का उल्लेख है। कल प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि बातचीत के क्या कारण थे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम में शेख अब्दुल्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। जब पाकिस्तान ने जम्मू काश्मीर पर हमला किया था तो उस समय काश्मीर को भारतीय संघ में मिलाकर उन्होंने काश्मीर का अन्तिम तथा स्थायी हल निकाला

था। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि यह बातचीत देश की प्रजातांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष तथा प्रगतिवादी शक्तियों को मजबूत बनाने के लिये की गई । शेख अब्दुल्ला और सरकार के बीच मत-भेद तथा गलतफहमियों के होते हुए भी उन्होंने प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की।

शेख अब्दुल्ला के साथ हुए समझौते का सारे देश ने विशेषकर जम्मू काश्मीर की जनता ने स्वागत किया है। वे प्रसन्न हैं कि शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथी फिर से देश की राजनीतिक धारा में शामिल हो गए हैं। इस समझौते का यह भी लाभ हुआ है कि अब जनमत संग्रह मोर्चे की मांगें समाप्त हो गई हैं। मोर्चे के अध्यक्ष श्री बेग ने कहा है कि अब वह मोर्चा समाप्त कर देंगे और एक नया राजनीतिक दल बनायेंगे। दो तीन राजनीतिक दलों, विशेषकर जनसंघ को छोड़कर, सभी ने इसका स्वागत किया है। वास्तविकता तो यह है कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धर्म निरपेक्षता में विश्वास नहीं है। यह आवश्यक है कि जम्मू काश्मीर के लोग न केवल धर्म निरपेक्षता पर विश्वास रखें बल्कि उसे व्यवहार में लायें। प्रसन्नता की बात है कि शेख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री बन गए हैं। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि देश संकट काल से गुजर रहा है और यह आवश्यक है कि हम प्रजातंत्र, धर्म-निरपेक्षता एवं समाजवाद के आदर्शों को बनाये रखें और इसके लिए मैं पूरा सहयोग दूंगा। प्रधान मंत्री ने पत्र का उत्तर देते हुए कहा है कि सन्तोष की बात है कि शेख अब्दुल्ला जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, देश को मजबूत बनाने तथा इसके आदर्शों को बनाए रखने के लिए आगे आये हैं।

आज विदेश मंत्री ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई फिर से शुरू करने के बारे में वक्तव्य दिया है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका ने इसके परिणामों पर विचार नहीं किया है। यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ने उपमहाद्वीप में शांति बनाये रखने की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है।

Shri Hari Singh (Khurja) : There is a reference in the Address about the happenings within the country and outside the country which are related with public life. Problems about forthcoming year have already been mentioned. The President has congratulated the peasants and workers of India who worked for strengthening the economy when it was passing through severe crisis.

The peasant is the backbone of Indian economy and if India is to prosper the peasants of India should be made prosperous. They should be supplied with fertilizer, electricity and other essential inputs and equipments for use in agriculture. The peasant of India is still groaning under the heavy burden of credits from landlords and money lenders. Therefore, my suggestion is that the Government should set up a fund from where a peasant can get loan on easy terms. For this purpose, an independent Board should be set up.

Unemployment in India is growing at a very rapid pace. Our opposition parties have resorted to methods of agitation, arson and violence and have posed a new danger before the country. They are not contributing for strengthening the Nation. It appears that there is no law and order in the country. There are certain undesirable elements in India who are interested in seeing the failure of the Government in every sphere. They are hatching up conspiracy in collusion with other forces to subvert all plans for setting up socialist and secular administration in the country and to bring about economic prosperity of the country.

A mention has been made about the condition of scheduled caste. It is a matter of great concern that these weaker sections of the society are unable to face the present crisis. Government have not paid proper attention towards this matter. I would request the Government to pay more attention to them.

Strikes have become order of the day. A ban has to be imposed on strikes in the country. With these words, I support the Motion of Thanks.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : There is an indication in the President's Address that though the fifth five year plan is in the making, Government will soon come out with an annual plan for 1975-76 which will include all those measures. Government propose to take for bringing about the development of backward and undeveloped regions in the country We welcome this step. The fifteen districts of estern U.P. are very backward and neglected ones. Government should earnestly take up the task of development of these economically backward districts.

The President has also mentioned in his Address that certain people, under the leader ship of Shri Jai Prakash Narayan have launched agitations against democracy.

Today the Jan Sangh is very dear to him, Socialist Party is dear to him. Out of the half a dozen parties which are under his banner. Today none is an all-India party.

If Gandhiji had not been killed, Jan Sangh would not have been born.

When Shri Kripalani became the Congress President, he had raised the slogan of one party one leader and one flag. The social is to come out of the Congress Party and Socialist Party and Samyukt Socialist Party were formed. Shri Charan Singh defected from the Congress when he could not became Chief Minister of U.P.

The Congress Party used to pass resolutions for abalities of privy purses, bank nationalization etc. but every thing remained on paper. But when the Prime Minister implemented these policies some people left the Congress and formed Congress (O). Of all the forms of the Government it is only Democracy where in poor people are represented and they participate in the Government. Only will to do people talk about high prices Shri Jaye Prakash Narayan has said that it was at the instance of New Delhi that one party rule was imposed in Bangla Desh. Nothing can be more fantastic then that. In 1952 and 1968 while propogating the cause of socialist party Shri Narayan referring to J.S. and R.S.S. had said it should be obvious that the reatcionary and fascist forces must not be allowed to grow."

With these words I support the motion of thanks on the Presidential Address.

Shri Md. Jamicurrahman (Kishanganj) : The President has in his Address presented a clear picture of the country's internal and external condition.

During the past 4 years unprecedented events like rise in prices, shortage of foodgrains, law and order situations, influx of millions of refugees and war took place and the manner in which the people have tolerated all this deserves praise.

The steps taken by the Government to check inflaction and also the rising prices are praise worthy. As a result of the steps taken against the smugglers, hoarders and the persons concerned with adultration, the prices have come down and the commodities now available. The steps taken by the Government against the economic offenders are commendable. There should be new laws to deal with the smugglers, blackmarketeers and corrupt people. It would be better if these people are given death sentence as is done in the socialist countries.

The eighty percent population of India residing in villages is the backbone of our democracy and we are committed to improve their lot. The distributiom system would have to be strengthened further. It is very necessary to ensure equitable and fair distribution.

One so called Ghandian leader issued coupon for 27 lakh rupees but when these were accounted for there was bungling worth 18 lakh Rupees. There people should first of all end their own corruption before agitating for ending corruption in the country. A number of Muslims were killed in Gujarat in the name of student agitation. The Government has taken up off shore drilling in order to get 10 million tonnes of oil.

One Ghandian Leader has advised the Police and the Army to violate the orders. Do these people want to do away with democracy and establish police or military Government. The people of India would prefer to die than to live in Military 'Raj' wherein the people do not have any representation. Today Shri Jaya Prakash Narayan has praised the R.S.S Who does not know that this organization was responsible for all the communal riots that took place in the country.

We are making every endeavour to provide power, diesel and fertiliser to the small farmers. I find that the officers are doing mischief in the matter of fertilisers and seeds. The Government should attend to this matter. My district is a surplus district but floods take a toll of many lives and crops are destroyed every year. I want that a barrage be constructed to solve this problem.

The problem of unemployment among the Muslims is a serious one. I demand that in order to improve their economic condition, Muslims may be provided employment in every public sector undertaking Railways and Posts and Telegraphs Department.

The Prime Minister has solved the Kashmir tangle amicably. The prestige of the country in the international sphere has risen. The opposition parties instead of appreciating it are criticising it. Our leader has enhanced the country's prestige and it would be on top under her leadership.

With these words I support the motion of thanks on President's Address.

Shri R.P. Yadav (Madhopura) : On President's Address I...

सभापति महोदय : मेरे पास दो सदस्यों के नाम हैं। माननीय सदस्य यदि चाहें तो आज 10-10 मिनट के लिये बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कल बोलूंगा क्योंकि 6 बज चुके हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 फरवरी, 1975/7 फाल्गुन 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 26, 1975 Phalguna 7, 1896 (Saka).

MGIPRRND—1st Day—7 LSS/75—20-5-75—200